बृहस्पतिवार,
२० अगस्त, १९५३

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

चौथा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

# लोक सभा

बृहस्पतिवार, २० अगस्त, १९५३

---

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### राजपूताना रेगिस्तान

*६७४. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ मई, १९५२ को श्री राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १२७ और तत्सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का और अनुपूरक विवरण संख्या २ का, जिसमें लोक सभा के प्रथम सत्र में दिये गये आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही बताई गई थी, निर्देश करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजपूताना रेगिस्तान के विघटन के विषय में किए जाने योग्य उपायों का परामर्श देने के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई प्राविधिक विशेषज्ञों की तदर्थ समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय वन अनुसंधान संस्था, देहरादून [के अधीन कार्य करने वाले जोधपुर





स्थित रेगिस्तान वनीकरण अनुसंधान केन्द्र ने इस संबंध में कुछ काम किया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उसका संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रखना चाहती है ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** (क) से (ग) तक एक । विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]**

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** इस संबंध में अब तक व्यय की गई धन-राशि क्या है, और वार्षिक लक्ष्य बिन्दु कितना है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** योजना आयोग के अनुसार इस कार्य के लिये २ करोड़ रुपये रखे गए हैं । वस्तुतः व्यय हुई राशि के विषय में मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा । पर केन्द्र द्वारा व्यय होने वाली राशि के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य भी हमें सहयोग देंगे ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या रेगिस्तान को रोकने के काम में आस पास के राज्य भी कुछ काम करा रहे हैं और यदि करा रहे हैं तो क्या काम करा रहे हैं, उनका क्या प्रोग्राम है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** जब से यह मामला सब के सामने आया तब से राज्यों ने काफी कार्रवाई करना शुरू किया है । अभी मेरे पास उसकी पूरी इनफार्मेशन नहीं

है। मगर जब यह फारैस्ट्री की मीटिंग देहरादून म हुई थी तो उन्होंने सुझाया कि कोआर्डिनेटिंग कमेटी इस बारे में बन जाय और सारे सूबे के लोगों को इस काम में लाया जाय।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विशेषज्ञों द्वारा रूस में रेगिस्तान को रोकने का जो ढंग है उस की जांच कराई है और यदि कराई है तो क्या वह यहां लाभप्रद सिद्ध होगा ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** इस की तो मुझे कोई खास तौर से जानकारी नहीं है, मगर हमारे पास जो विशेषज्ञ हैं वे सब तरह की जानकारी रखते हैं। मैं समझता हूं कि उसमें कुछ विशेष बात नहीं है।

**श्री हेडा :** जिन दरख्तों को उगाया जा कर इस रेगिस्तान को रोकने की कोशिश की जा रही है उस में क्या बबूल की कुछ विशेषता है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** जी, हां। बबूल और खास कर विलायती बबूल की खास विशेषता है।

**श्री वी० पी० नायर :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं क्या रेगिस्तान का निरोध करने के लिए नियुक्त किये गए व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को रेगिस्तान के विस्तार संबंधी निरोध-कार्य करने का कुछ पूर्व अनुभव था ; और यदि हां तो कहां ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** श्रीमान्, अब तक हमारे पास स्थानीय विशेषज्ञ ही हैं। एक विदेशी विशेषज्ञ के भी आने की संभावना है ; वह अभी तक नहीं आया है।

**श्री बंसल :** पंजाब में रेगिस्तान के बढ़ने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** जैसा मैंने कहा, मैं प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य के विषय में पूर्वसूचना चाहूंगा।

**सेठ गोविन्द दास :** वन-महोत्सव में जो वृक्ष लगाये जाते हैं, उनका हमें जो अनुभव हुआ है, उनमें से अधिकांश मर जाते हैं ; तो क्या इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है या किया जाने वाला है कि इस मरुस्थल को रोकने के लिए जो वृक्ष लगाए जाएं, उनकी रक्षा भी की जाए ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** यह बहुत ग़लत-फ़हमी है काफी लोगों के दिलों में कि वन महोत्सव अफोरेस्टेशन (वनीकरण) के लिए और रेगिस्तान रोकने के लिए है। वह बिल्कुल अलग चीज़ है। वन महोत्सव गांव गांव में मनाया जाता है। उस का शायद आगे चल कर दस बीस साल में असर हो जाय तो हो जाय। लेकिन अभी अफोरैस्टेशन (वनीकरण) का वन-महोत्सव से कोई ताल्लुक नहीं है।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार :** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को सन्तोष है कि उसे इस कार्यक्रम से प्रत्याशित प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** हमने अभी आरंभ ही किया है ; सन्तोष जनक प्रगति हो रही है।

### रेगिस्तान-निरोध के उपाय

*६७५. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेगिस्तान-निरोध संबंधी उपायों के विषय में कुछ प्रदर्शनों का प्रबन्ध किया गया है ;

(ख) सिंध से उड़कर आने वाले रेत के आक्रमण को रोकने के प्रयोजन से पांच मील

चौड़ी वन-पेटी खड़ी करने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने राजस्थान में एक अनुसंधान केन्द्र खोला है; तथा

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब बनने की संभावना है ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :** (क) तथा (ख)। पूर्व वर्ती प्रश्न के उत्तर में सदन पटल पर रखे गए विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) नहीं ।

(घ) अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इसके बनने की संभावना कब है ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या यह सच है कि पूना का सेंट्रल वाटर पावर कमीशन (केन्द्रीय जल विद्युत आयोग) इस सम्बन्ध में केन्द्र स्थापित करने की बात सोच रहा है और यदि हां तो उसका कार्यक्रम क्या है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक दूसरी मिनिस्टरी से है । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग मेरे आधीन नहीं है ।

**कुमारी एनी मस्करीन :** क्या सरकार को किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की किसी ऐसी योजना का ज्ञान है जो सिंचाई योजनाओं द्वारा रेगिस्तानों का निरोध करने के लिए अणु शक्ति का उपयोग करना चाहती है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** हमारे देश में इस समय अणु शक्ति का उपयोग खतरनाक होगा । विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा इसके दुरुपयोग की बहुत संभावना है ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि दिल्ली में राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ से बड़े जोर से रेत बह कर आता है और बड़ा तूफान मच जाता है ? क्या इस को रोकने का कोई तरीका सोचा गया है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** यह उसी का हिस्सा है, जिसको वह समझते हैं कि रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है । इस की हमें पूरी मालूमात है और हम जानते हैं कि यह विस्तार हो रहा है और इसी लिए यह सब किया जा रहा है ।

### कुष्ठ निवारण संबंधी कार्य

***६७६. डा० रामा राव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुष्ठ निवारण संबंधी कार्य के विषय में राज्यों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्यों में संपन्न हुए कार्य का स्वरूप क्या है और कुष्ठ निवारण में यह कहां तक सफल हुआ है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय आधार पर कोढ़ियों की कोई जन गणना की गई है और यदि हां, तो भारत में कितने कोढ़ी हैं ; तथा

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो यह कार्य क्यों नहीं किया गया है ?

**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर):** (क) हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ग) नहीं ।

(घ) विद्यमान स्थितियों में अखिल भारतीय आधार पर कुष्ठरोगियों की जनगणना एक संभाव्य सुझाव नहीं दिखाई पड़ता, विशेषत: इस कारण कि कोढ़ के बहुत से रोगी उस श्रेणी में आना न चाहगे ।

**डा० रामा राव :** विवरण के पृष्ठ दो पर मद्रास के अन्तर्गत यह बताता है कि "सरकार ने संचालक, स्वास्थ्य सेवाओं का यह सुझाव भी मान लिया है कि गैर सरकारी कार्यकर्त्ताओं का कुष्ठ क निवारण नियंत्रण और चिकित्सा में उपयोग किया जाय और साधारण कार्य-कर्त्ताओं के लिए एक मास के प्रशिक्षण की भी स्वीकृति दी है, जिस से वे कोढ़ के मामलों को खोजने में उनको समुचित चिकित्सा के लिए परामर्श देने में और बुरी तरह प्रभावित व्यक्तियों को निवारक-उपायों की सफलता की दृष्टि से सेनीटोरियम भिजवाने का प्रबंध करने में समर्थ हो सकें. ...आदि" ।

मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य प्रणालियों से चिकित्सा करने वाले व्यक्तियों को इस सीमित क्षेत्र में प्रशिक्षित बनाने के विषय में कोई प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** मेरी जान में नहीं ।

**श्री पुन्नूस :** मैं जान सकता हूं कि क्या कुष्ठ निरोध के लिए आवंटित कुल राशि क्या है, और अब तक व्यय की गई राशि कितनी है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** किसके द्वारा ?

**श्री पुन्नूस :** केन्द्रीय सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना में ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर):** भारत सरकार ने कुष्ठ-अनुसंधान-संस्था के जो मद्रास में बनेगी, निर्माण के लिए १५ लाख रुपये अलग रखे हैं। साथ ही भाग 'क' राज्यों द्वारा अलग रखी गई कुल राशि ७१.९३ लाख रुपये भाग 'ख' राज्यों द्वारा २१.७ लाख रुपए और भाग 'ग' राज्यों द्वारा ११.३१ लाख रुपये अर्थात् सब मिलाकर पंचवर्षीय योचना में १०४.९४ लाख की राशि रखी गई है ।

**श्री पुन्नूस :** विवरण में बतायागयाह कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य के लिए आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया था । मैं जान सकता हूं कि उस राज्य में कुष्ठ रोग की स्थिति का कोई चित्र सरकार के समक्ष है ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** त्रावणकोर-कोचीन सरकार अपने कार्य के लिए स्वयं उत्तरदायी है । पंचवर्षीय योजना के अधीन वह एक कुष्ठ अस्पताल के ऊपर एक लाख रुपए व्यय करेगी ।

**श्री वी० पी० नायर :** क्या मैं भारत में कोढ़ियों की प्राक्कलित संख्या और राजकीय या निजी अस्पतालों में स्थान पाने वाले कोढ़ियों का प्रतिशतक जान सकता हूं ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** जैसा मेरे माननीय सहयोगी ने बताया था, कोढ़ियों की जनगणना वस्तुतः संभव नहीं है । हमारा अनुमान है कि भारत में लगभग २० लाख कोढ़ी होंगे । मुझे यह कहते हुए खेद है कि उनके लिए पर्याप्त चिकित्सालय नहीं हैं ।

**श्री वी० पी० नायर :** मैं उन कोढ़ियों की प्रतिशतता जानना चाहता हूं जिन को आजकल कुष्ठ चिकित्सालयों में स्थान प्राप्त होता है ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** मेरे पास आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं, पर मैं यह कह सकती हूं कि प्रतिशतता थोड़ी है ।

**डा० जयसूर्य :** क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कार्य संचालन के लिए कोई सर्वांगीण योजना प्रदान की है ?

**राजकुमारीअमृत कौर :** हां, श्रीमान् । हम केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् में इस पर

विचार करते हैं और उनको कुष्ठ नियंत्रण के लिए सर्वांगीण योजना प्राप्त हो जाती है ।

**श्री सारंगधर दास:** श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या कई वर्ष पूर्व साम्राज्य-कुष्ठ-संघ द्वारा देश भर में कोढ़ियों की संख्या के विषय में एक परिमाप किया गया था और वह वर्तमान प्राक्कलन की तुलना में कितना है ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** मैं नहीं कह सकती कि वर्तमान प्राक्कलन की तुलना में वह कितना है । मेरा अनुमान है कि संख्या बढ़ गई होगी ।

**श्रीमती ए० काले:** क्या सरकार को विदित है कि समग्र दृष्टि से कोढ़ बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश राज्य में कोढ़ की प्रतिशतता १ प्रति शत से बढ़ कर पांच प्रतिशत हो गई है । यदि हां, तो सरकार इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** वस्तुत: मध्य प्रदेश राज्य किसी अन्य राज्य की तुलना में कुष्ठ के नियंत्रण के लिए अपेक्षया अधिक काम करेगा । मुझे वृद्धि का ज्ञान है, पर यह सदैव धन की कमी का प्रश्न है ।

**श्रीमती ए० काले:** केन्द्र ने कितना धन दिया है ?

**राजकुमारी अमृत कौर:** यह सदन पटल पर रखे गए विवरण में देखा जा सकता है ।

**श्री वी० पी० नायर :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य को इस कारण अपनी कुष्ठ निवारण योजनाएं स्थगित करनी पड़ी थीं कि उस राज्य में कोढ़ बहुत काफी होता है और प्रति सहस्र रोगियों के लिए एक भी शय्या उपलब्ध नहीं है ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** श्रीमान्, मुझे विदित नहीं है । प्रत्येक राज्य की अपनी योजना है । त्रावणकोर-कोचीन राज्य के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १ लाख रुपये रखे गए हैं । उनको जितनी राशि चाहिये थी उतनी केन्द्रीय सरकार ने दी है ।

**शोध कार्य के लिए पारिषद्यता**

*६७७. **डा० रामा राव :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा १९४९ से अब तक (वर्षवार) भारतीय संस्थाओं को शोधकार्य के लिए दी गई पारिषद्यताओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम, राष्ट्रीयता, अर्हताएं, आदि बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) ये पारिषद्यता प्राप्त करन वाले व्यक्ति किस प्रकार चुने गए थे ?

(ग) प्रत्येक पारिषद्यता के अधीन दी जाने वाली राशि कितनी है ?

**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर):** (क) भारत में शोध कार्य के लिये विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा कोई भी पारिषद्यता नहीं दी गई है ।

(ख) और (ग) । प्रश्न नहीं उठता ।

**डा० रामा राव:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में शोध कार्य के लिए कोई पारिषद्यता प्रदान की गई है और यदि हां, तो १९५२ और १९५३ में उनकी संख्या क्या है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा विदेशियों को भारत में प्रशिक्षण के लिए पारिषद्यताएं प्रदान की गई हैं : १९५२ में १२ और १९५३ में ९ पारिषद्यताएं प्रदान की गई थीं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या उष्णप्रदेशी रोगों में शोधकार्य के लिए कोई छात्रवृत्ति दी गई है ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर:** नहीं, श्रीमान् ।

**परिवार-नियोजन-योजना**

*६७८. **डा० रामा राव :** (क) स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रामनगर तथा नई दिल्ली में परिवार नियोचन-योजना के अधीन चलने वाले जनसंख्या अध्ययन के लिए विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा दो क्षेत्र कार्यकर्त्ता दिए गए हैं ?

(ख) यदि सच है, तो वे अब तक क्या काम करते रहे हैं ?

(ग) सरकार द्वारा उन पर नई दिल्ली और रामनगर में पृथक् पृथक् (१) उनकी आंतरिक यात्रा (२) निवास व्यय (३) कार्यालय स्थान तथा (४) साचिव्य सहायता पर कितना व्यय किया गया है ?

**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) हां ।

(ख) वे प्रयोग क्षत्रों में आंकड़े एकत्र करने और मदन तरंग प्रणाली में अनुदेश देने के प्रयोजन से विवाहित युग्यों के पास जाने में संलग्न हैं ।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]

**श्री गिडवानी :** श्रीमान् , मैं जान सकता हूं कि क्या जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए दिल्ली के सभी अस्पतालों में गर्भ निरोध औषधालय खोलने के लिए कुछ प्रबंध किए गए हैं ?

**श्रीमती चन्द्रशेखर :** नहीं, श्रीमान् ।

**सभापति महोदय :** मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रतीक्षा करें और जब तक मैं उनके नाम न लूं, प्रश्न न रखें । यदि सभी सदस्य खड़े होकर प्रश्न पूछने लगें, तो बड़ी गड़बड़ हो जायगी ।

**श्री पुन्नूस :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसे आंकड़े हैं, जो बता सकें कि इस योजना को कितनी सफलता मिली है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर):** रामनगर तथा नई दिल्ली से प्राप्त अन्तः कालीन प्रतिवेदनों से पर्याप्त आशा प्रकट होती है, पर स्वभावतः इस प्रकार के प्रयोगों में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि जैसा मैंने बताया यह प्रयोग बहुत थोड़े काल से चल रहा है और कम से कम दो वर्ष के प्रयोग के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अभी हाल ही में हम ने दिल्ली में हुए कार्य की समीक्षा समाचार पत्रों में पढ़ी थी । यह कहा गया था कि जब तक लोगों की शिक्षा उच्चतर न हो, योजना सफल नहीं हो सकती । अतः क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार इस बात पर क्या विचार कर रही है और क्या इसके साथ साथ ही शिक्षा देने की भी कोई योजना चलाई जाएगी ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाल केन्द्रों में शिक्षा दी जा रही है ।

**श्री पुन्नूस :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि योजना की इस मदन तरंग प्रणाली के विरुद्ध प्रचार करने वाले कुछ धार्मिक संगठन विद्यमान हैं, और क्या सरकार इस प्रचार का विरोधी प्रचार कर रही है ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** मदन तरंग प्रणाली के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं हो रहा ह सरकार द्वारा न प्रयुक्त किए गए अन्य उपायों को ही लेकर लोगों को निश्चित आपत्तियां हैं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या यह सच है कि औषधालय में पहली बार आने वाले व्यक्तियों का मुश्किल से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत फिर आगे अनुदेशों के लिए दुबारा आता है ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** नहीं, रामनगर में नहीं ।

**डाक सेवक योजना**

*६७९. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** (क) क्या **संचरण** मंत्री पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश के उन गांवों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जहां डाक सेवक योजना चल रही है ?.

(ख) क्या इन क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार करने का विचार है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) कुछ नहीं ।

(ख) नहीं ।

**प्रो० डी० सी० शर्मा :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि डाक सेवक योजना के केन्द्र किस आधार पर चुने जाते हैं ?

**श्री राज बहादुर :** उनको आरम्भ करने के लिए प्रयोगात्मक रूप में चुना जाता है । दुर्भाग्य से अब तक इन प्रयोगों से वे फल नहीं निकले जिनकी हम इस योजना से प्रत्याशा कर रहे थे ।

**प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या मैं इस प्रयोग की असफलता का कारण जान सकता हूं ?

**श्री राज बहादुर :** यह व्ययशील सिद्ध हुआ है । हम एक शाखा पोस्ट मास्टर, डाक वाहक और एक डाकिए के काम एक ही व्यक्ति में संयुक्त करना चाहते थे, पर अब यह अपेक्षतया अधिक व्ययशील सिद्ध हुआ है । साथ ही जहां तक जनता का संबंध है, सुविधा विषयक दृष्टिकोण भी इस प्रथा के पक्ष में नहीं है ।

**प्रो० डी० सी० शर्मा :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कोई अन्य योजना सरकार के विचाराधीन है, जो इस योजना जितना ही लाभ दे सके ?

**श्री राज बहादुर :** हां । आयव्ययक सत्र में उस योजना विषयक घोषणा की गई थी । निकट भविष्य में हम यथासंभव अधिकाधिक गांवों में डाकघर खोलना चाहते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को डाकघर के लिए तीन मील से अधिक न चलना पड़े ।

**खाद्यान्न के मूल्य**

*६८०. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अग्रताला में और शरणार्थी बस्तियों में कितनी सस्ते खाद्यान्न की दुकानें खोली गई हैं ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि चावल के व्यापारियों ने खाद्यान्न के मूल्यों को कम करने में सहयोग देने का आश्वासन दिया है ?

(ग) व्यापारियों ने अपने वचन को कहां तक पूरा किया है और वर्तमान स्थिति क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :** (क) सरकार ने अग्रताला की नगर पालिका के क्षेत्र में ११ सस्ते अनाज की दुकानें, ५ नगरपालिका के बाहर और शरणार्थी शिविर तथा बस्तियों में ८ दुकानें खोली हैं ।

(ख) तथा (ग) । जी हां, चावल के व्यापारी सरकार को सहयोग दे रहे हैं और त्रिपुरा में चावल का मंडी मूल्य घट रहा है ।

**सरदार ए० एस० सहगल :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि जिन चावल के व्यापारियों ने सरकार को अनुमान दिए थे उन्हों ने अपने वचन पूरे नहीं किए, सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा:** इसी बात से कि उन्हों ने २४ सस्ते अनाज की दुकानें खोली हैं, पता चलता है कि वे मूल्यों को कम करने के इच्छुक हैं और हमारी सूचना यह है कि व्यापारी सहयोग दे रहे हैं और मूल्य कम हो गए हैं, जनवरी, फरवरी १९५३ के मास में उन का मूल्य १ रुपया प्रति मन कम हो गया है, मई में २० रु० से ३०-८-० और जुलाई में यह कम होकर १६ रु० प्रति मन हो गया है, व्यापारी सरकार से सहयोग कर रहे हैं ।

**सरदार ए० एस० सहगल :** व्यापारी किस तिथि से सहयोग दे रहे हैं ?

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा:** जब से उन्हों ने वचन दिया है ।

**सरदार ए० एस० सहगल:** किस मास से ?

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** मेरे विचार में मई मास से । परन्तु हमें उस तिथि से समझना चाहिये जब से मूल्य कम हो गए हैं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि चावल का खुला मंडी मूल्य क्या है और वह मूल्य क्या है जिस पर सस्ते अनाज की दुकानों पर यह बेचा जाता है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):** सस्ते अनाज की दुकानों पर चावल नियंत्रित मूल्य पर अर्थात् सामाहार मूल्य से एक रुपया प्रति मन अधिक पर बेचा जाता है जब कि खुली मंडी में यह सस्ते अनाज की दुकानों के मूल्यों की अपेक्षा एक, अथवा २ रुपये अधिक पर बिकता है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं राशन कार्डों की संख्या जान सकती हूं जो इन खोली गई ११ अथवा १६ दुकानों में बांटे जाते हैं ?

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं ।

**श्री किदवई :** हम लोग जितने कार्ड चाहें बांटन के लिए तैयार हैं, हमारे पास वहां ३००० टन चावल है । इस समय इस का निकास केवल २५० टन है । इस हिसाब से यह २ वर्ष चलेगा । हम उन्हें कितने भी कार्ड दे सकते हैं यदि उन्हें वस्तुतः इन की आवश्यकता हो ।

**श्री बीरेन दत्ता :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या त्रिपुरा राज्य मजदूर संघ ने मजदूरों के लिए सस्ते अनाज की दुकानों की मांग की थी और क्या राज्य सरकार ने उन्हें स्वीकृति दी है ।

**श्री किदवई :** हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है परन्तु मेरे विचार में मजदूरों को सरकारी दुकान से अपने राशन लेने चाहिये । वे अपने विशेषाधिकार की दुकान क्यों चाहते हैं ?

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** मैं जान सकती हूं कि क्या .....

**सभापति महोदय :** अगला प्रश्न ।

**आसाम को मिलाने वाली सड़क**

*६८१. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** (क) क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम लिंक रोड जो बिहार और दूसरे राज्यों को आसाम के साथ मिलाती है, उसका प्रबन्ध अभी तक केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही है ?

(ख) इसकी ठीक देखभाल और मरम्मत के लिए प्रति वर्ष कितनी रकम खर्च की जाती है ?

(ग) क्या राज्य सरकारें भी मरम्मत के खर्च में हाथ बटातीं हैं ?

(घ) क्या पूरी सड़क पर तारकोल बिछाने की कोई योजना है ?

(ङ) बिहार के भागलपुर, सन्थाल परगनों और हज़ारी बाग के जिलों में से जाने वाली इस सड़क की क्या दशा है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) भारत सरकार आसाम एक्सैस रोड राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर ३१ के स्थायी सीमासेतु की देखभाल और उन्नति के लिए खर्च करती है। अस्थायी सीमासेतु के मामले में केन्द्र केवल सड़क की मरम्मत पर खर्च करता है जब तक कि स्थायी रूप से मिलाने वाली पूरी सड़क तैयार नहीं हो जाती। इन अस्थायी मिलाने वाली सड़कों के विकास का उत्तरदायित्व तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग न० ३१ का जो भाग बिहार, पश्चिमी बंगाल और आसाम में पड़ता है वह उन सरकारों की कार्यपालिका में आता है।

(ख) लगभग २४ लाख रुपये।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी, हां। राष्ट्रीय राजपथ के स्थायी सीमासेतु करने के बारे में।

(ङ) सड़क के जिस भाग का निर्देश माननीय सदस्य ने किया, वह सड़क के स्थायी सीमासेतु का अंग नहीं बनता। तो भी इस भाग की देखभाल केन्द्रीय निधि से ही होती है योंकि स्थायी सीमासेतु के बचे हुए टुकड़े अभी बन नहीं पाये हैं, और इस बीच आसाम को सीधे मिलाने का रास्ता बनाना आवश्यक है। इस अस्थायी सीमासेतु का ६७ मील का टुकड़ा काली सतह का, और ८१ मील रोड़ी की सतह का और २१ मील मिट्टी की सतह का है।

**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा**: प्रश्न के (घ) भाग का निर्देश करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि तारकोल का काम कब शुरु होने वाला है, और क्या किसी प्रान्त में यह काम शुरु भी हो चुका है ?

**श्री अलगेशन**: हम ने पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों में पहले ही इस सड़क पर ६८ लाख रुपये खर्च कर दिये हैं।

**श्री बर्मन** : इस बात को विचारते हुए कि १९५० से आसाम को मिलाने वाली सड़क का प्रति वर्ष वर्षाओं के कारण भारी नुकसान हो गया है, क्या सरकार ने बाढ़ के पानी को चलने का रास्ता छोड़ने के लिए अधिक पुल बनाने का विचार किया है ?

**श्री अलगेशन** : जी नहीं। इस आसाम एक्सैस रोड के प्राक्कलन में ये सब बातें सम्मिलित हैं, अर्थात सड़क पर तारकोल बिछाना और पुल बनाना आदि।

**श्री एन० एम० लिंगम**: क्या मैं इस सड़क के लिये इन दो सीमासेतुओं की आवश्यकता को जान सकता हूं और क्या स्थायी सीमा सेतुओं के साथ काम शुरु करने पर इन अस्थायी सीमासेतुओं को हटा दिया जायेगा?

**श्री अलगेशन**: स्थायी सीमासेतु को जब हम अपने हाथ में कर लेंगे उसके बाद सम्बन्धित राज्य सरकारें इन अस्थायी सीमासेतुओं की देखभाल करती रहेंगी।

**श्री एन० एम० लिंगम**: मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

**श्री अलगेशन**: स्थायी सीमासेतु के साथ वाली सड़क कई विभागों में नहीं है।

### रेडियो फोटो सेवा

*६८३. **श्री हेडा**: (क) क्या संचरण मंत्री उन देशों का नाम बताने की कृपा करेंगे जिन के साथ भारत रेडियो फोटो सेवा के द्वारा मिला हुआ है ?

(ख) प्रत्येक देश के लिये अलग अलग क्या देना पड़ता है ?

(ग) क्या यह सेवा अधिकाधिक लोकप्रिय हो रही है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) तथा (ख)। इसका विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा हुआ है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ग) हां, हाल के यातायात के आंकड़ों से तो ऐसा ही प्रतीत होता है।

**श्री हेडा:** सदन पटल पर रखे गये विवरण पत्र से पता लगता है कि केवल यूरोप के और कुछ अमेरिका के देशों के साथ भारत मिला हुआ है। क्या भारत सरकार मध्यपूर्व और दक्षिणपूर्व एशिया के देशों के साथ मेल स्थापित करने के लिये कुछ प्रयत्न कर रही है?

**श्री राज बहादुर:** हम लगातार इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु हमारे मशीनों और वित्तों के साधनों के सीमित होने के कारण हमारे प्रयत्न भी निश्चय ही सीमित हैं।

**श्री हेडा:** चूंकि हमारे अधिक व्यापारिक और दूसरे सांसकृतिक सम्बन्ध एशियाई देशों से हैं तो इस बात के दृष्टिगोचर क्या कोई इस प्रकार की योजना के हाथ में लिये जाने की संभावना है?

**श्री राज बहादुर:** मैं ने जैसा निवेदन किया, यह योजना हमारे विचाराधीन है किन्तु इस में जो योरोपियन देशों का बाहुल्य दिखता है उस का कारण यह है कि हमारे तार के सारे सम्बन्ध जो हैं वह लंदन द्वारा होते हैं इस सर्विस के लिये।

## परिवार परियोजना सम्बन्धी अनुसन्धान तथा कार्यक्रम समिति

***६८४. श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार-परियोजना सम्बन्धी अनुसंधान तथा कार्यक्रम समिति कब बनाई गई थी?

(ख) इसके क्या मुख्य कार्य निर्दिष्ट किये गये हैं?

(ग) क्या समिति ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट दी है?

(घ) यदि ऐसा है, तो इस की क्या सिपारिशें हैं?

(ङ) क्या समिति की अन्तरिम सिपारिशों पर कोई कार्यवाई की गई है?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर):** (क) तथा (ख)। परिवार-परियोजना सम्बन्धी अनुसन्धान तथा कार्यक्रम समिति ६ मई १९५३ को बनाई गई थी कि वह अपनाये जाने वाली परिवार-परियोजना सम्बन्धी अनुसन्धानिक योजनाओं और प्रयोगात्मक तथा अन्य दूसरे कार्यक्रमों की भारत सरकार से सिपारिश करे, और इस लिये कि यदि परिवार-परियोजना के क्षेत्र में स्वयमेच्छा से काम करने वाली संघटनाओं क कोई सहायता दे नी है, तो उनकी वर्तमान कार्यवाइयों का विचार करके किस प्रकार की और कितनी सहायता दी जानी चाहिये।

(ग) अभी नहीं।

(घ) तथा (ङ)। प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री एस० सी० सामन्त:** क्या यह ठीक नहीं है कि जब समिति बनाई गई थी तो यह कहा गया कि तीन महीनों के अन्दर सरकार को अन्तरिम रिपोर्ट दे दी जायगी। यदि ऐसी बात है तो वह क्यों नहीं दी गई?

**राजकुमारी अमृत कौर:** समिति की पहली बैठक बम्बई में १३ से १८ जुलाई तक हुई। वास्तव में समिति ६ मई को बनाई गई थी विवाद का क्षेत्र विशाल था, और एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। समिति के सचिव बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं। मुझे बताया गया है कि रिपोर्ट १० दिनों के अन्दर हमारे पास आ जायेगी।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने दूसरे देशों में किये गये अनुसन्धानों का निर्देश भी इस समिति से किया है, और यदि ऐसी बात है, तो कौन से देशों ने सारभूत अनुसन्धान किये हैं ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** मैं नहीं समझती कि संसार के किसी भी देश ने सरकारी दृष्टि-कोण से अनुसन्धान किये हैं, और इसलिये कोई अनुसन्धान प्राप्त नहीं हैं। दूसरे देशों में किए गए अनुसन्धान हमारे देश पर लागू नहीं होते।

**श्रीमती ए० काले :** जब कि योजना आयोग ने विशेषतया इस बात की सिफारिश की है, तो परिवार-परियोजना के दूसरे तरीकों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता ? सिफारिशों के पैरा ९३ में योजना आयोग कहता है "जनसंख्या के विभिन्न भागों और प्रभागों में उपयुक्तता, स्वीकार्य, तथा प्रभाव को देखने के प्रयोजन के लिये परिवार-परियोजना के विभिन्न ढंगों का प्रयोग करने के लिये" मैं पूछना चाहती हूं कि दूसरे तरीकों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** इस सारी स्थिति पर समुचित विचार करने के लिये ही यह समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

**श्रीमती ए० काले :** यदि दिया गया उत्तर ठीक है, तो क्या मैं एक बैठक की बात का निर्देश कर सकती हूं जो कल हुई, और जिसके सभापति माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे, जिस में यह कहा गया था कि ....

**सभापति महोदय :** शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य को सारा वक्तव्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं।

**श्रीमती ए० काले :** यदि सरकार का ऐसा ही मंशा है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि स्वास्थ्य मंत्री ने अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन द्वारा पारित संकल्पों का विरोध करना क्यों उचित समझा, जिन में कहा गया था कि सरकार परिवार-परियोजना के दूसरे तरीकों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है ? विरोध कैसे उचित था.....

**सभापति महोदय :** शान्ति, शान्ति। यहां कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा अपितु वक्तव्य दिया जा रहा है। उसकी अनुमति नहीं है। केवल दलीलें दी जा रही हैं और कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा।

**श्रीमती ए० काले :** क्या मैं पूछ सकती हूं कि स्वास्थ्य मंत्री क्यों.....

**सभापति महोदय :** इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

**डा० सुरेश चन्द्र :** क्या मैं इस समिति द्वारा सुझायी गई विशेष विधि को जान सकता हूं। मुझे बतलाया गया है कि इस समिति ने एक विशेष विधि का सुझाव रखा है।

**श्री बर्मन :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि किसी देश की पौष्टिक अवस्थाओं के साथ साथ परन्तु विपरीत दिशा में जन्म दर घटती बढ़ती रहती है ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** यह बिल्कुल ठीक है। ज्यों ज्यों लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, त्यों त्यों जन्म दर घटती जाती है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मैं जान सकती हूं कि क्या परिवार-परियोजना अनुसन्धान तथा कार्यक्रम समिति ने देहाती क्षेत्रों में हस्पताल खोलने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और इस के लिये कौन सी संघटनाएं स्वेच्छा से कार्य कर रही हैं।

**राजकुमारी अमृत कौर:** समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मैं आज नहीं कह सकती कि समिति की क्या सिपारिशें होंगी।

**श्री गिडवानी:** पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि हस्पतालों में उत्पत्ति विरोध-चिकित्सालय के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किये जा रहे हैं। परिवार-परियोजना का दूसरा तरीका क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं।

**सभापति महोदय:** प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रश्न में हमारा सम्बन्ध समिति की रिपोर्ट और सिपारिशों से है। अगला प्रश्न।

**डैक यात्रियों के हितकारी समिति**

*६८५. **श्री गिडवानी:** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डैक यात्रियों के हितंकारी समितियों की नियुक्ति के संबन्ध में डैक यात्री पूछ ताछ समिति की सिपारिश को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो ऐसी कितनी समितियां नियुक्त की जा चुकी हैं ; तथा

(ग) ऐसी समितियों के कार्य क्या होंगे ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन):** (क) तथा (ख)। जी हां, इन समितियों की रचना तथा कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध में हम सक्रिय विचार कर रहे हैं, और यह आशा की जाती है कि ये समितियां शीघ्र बनाई जाएंगी।

(ग) ये समितियां डैक यात्रियों की सुविधाओं, आराम, और हितों का समुद्री व्यापार के ज़िलों में और जहाज़ों पर ध्यान रखने के लिए मुख्यत: उत्तरदायी होंगी।

**श्री गिडवानी:** क्या सरकार को विदित है कि डैकों पर बहुत भीड़ होती है और सफ़ाई संबन्धी प्रबन्ध बहुत अपर्याप्त होते हैं ?

**श्री अलगेशन:** जी हां। इन सब आवश्यकताओं को देखने और इन असुविधाओं को दूर करने के लिये ही डैक यात्री पूछताछ समिति ने इन समितियों का सुझाव दिया है और वे नियुक्त की जा रही हैं।

**श्री गिडवानी:** मैं जान सकता हूं कि वे कब नियुक्त की जायेंगी ?

**श्री अलगेशन:** मैंने पहले ही अपने उत्तर मे बताया है कि वे शीघ्र नियुक्त की जायेंगी।

**श्री एस० डी० जोशी:** मैं जान सकता हूं कि क्या डैक यात्री पूछताछ समिति की सब सिपारिशें स्वीकार की गई हैं ?

**श्री अलगेशन:** अधिक तर सिपारिशें स्वीकार की गई हैं और कार्यवाही की जा रही है।

**श्री वी० पी० नायर:** क्या हज़ारों व्यक्तियों के लिए डेक पर स्थान की व्यवस्था करने के लिये और विशेषत: मद्रास और सिंघापुर के बीच चलने वाले जहाज़ों में जाने वाले व्यक्तियों के एकत्र किये जाने की स्थिति को दूर करने के लिए और साथ इन टिकटों की विक्री की ब्लैक मारकिट को रोकने के लिए कोई विशेष सिपारिश की गई है ?

**श्री अलगेशन:** मैं नहीं जानता कि डैक की जो स्थिति माननीय सदस्य ने बताई है वह सत्य बताई गई है अथवा नहीं। यह अत्युक्ति हो सकती है।

**श्री वी० पी० नायर:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि डैकों पर भीड़ होती है और कि उस के कारण मृत्यु भी हुई हैं ?

**श्री अलगेशन:** हमें ऐसी कोई बात विदित नहीं।

**श्री बी० एस० मूर्ति:** मैं जान सकता हूं कि हितकारी समितियां किन आधारों पर बनाई जाएंगी ?

**श्री अलगेशन:** जिस समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया है उसने समितियों की रचना के संबन्ध में भी सिफारिश की है और हम उनकी सिफारिशों के अनुसार समितियां बनायेंगे ।

**श्री गिडवानी:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सब बन्दरगाहों पर ये हितकारी समितियां नियुक्त कर रही है अथवा केवल कुछ बन्दरगाहों पर ?

**श्री अलगेशन:** मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की बन्दरगाहों पर ।

**पटसन उद्योग की स्थिति**

*६८८. **श्री एल० एन० मिश्र:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग के उत्पादन की पूछ ताछ करने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रति-वेदन दे दिया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो इसकी जांच और सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या गत तीन मास में हमारे देश में कच्चे पटसन के लिए प्रदान किए मूल्य उत्पादिकों के लिए आर्थिक रहे हैं ; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो बिहार और बंगाल की पटसन की मंडियों में क्या मूल्य हैं ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख):** (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) गत तीन मास में पटसन के मूल्य चावल के मूल्यों की तुलना में सामान्य समानता से कम थे ।

(घ) कलकत्ता मंडी और बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की मुफ़स्सल मंडियों में कुछ विशेष मूल्य दिखाने वाले विवरण सदन पटल पर रखे हैं । [ **देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध सं० ६०** ]

**श्री एल० एन० मिश्र:** क्या मैं समिति के कर्मचारी वृन्द और उन की नौकरी की शर्तें जान सकता हूं ?

**डा० पी० एस० देशमुख:** ये केवल चार पांच सदस्य हैं और उन्हें कहा गया है कि वे पटसन की किस्म को सुधारने के ढंग पर प्रतिवेदन दें ।

**श्री एल० एन० मिश्र:** क्या यह समिति पटसन की उत्पादन लागत की जांच करेगी ?

**डा० पी० एस० देशमुख:** इस पर भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति विचार कर रही है ।

**श्री एल० एन० मिश्र:** मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल में नियुक्त की गई समिति में कोई समबन्ध है ?

**डा० पी० एस० देशमुख:** जहां तक मैं जानता हूं इन दोनों समितियों के प्रयोजन विभिन्न हैं ।

**श्री एम० आर० कृष्ण:** प्रश्न सं० ६८७ नहीं लिया जा रहा ।

**सभापति महोदय:** यह प्रश्न रखा गया था परन्तु माननीय सदस्य ने उत्तर नहीं दिया । मैं उसे फिर रखूंगा तब वे प्रश्न रख सकते हैं ।

**श्री एस० सी० सामन्त:** मैं जान सकता हूं कि क्या पटसन के सम्बन्ध में एक और विशेषज्ञ समिति की वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का परामर्श लिया गया था ?

**डा० पी० एस० देशमुख:** श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि परामर्श का प्रश्न उत्पन्न

होता है क्योंकि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का जो प्रयोजन है यह उस से भिन्न है ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या कृषि मंत्रालय को यह ज्ञात है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने जो जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की हैं उस में ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में पटसन उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** में माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे सम्बन्धित मंत्री से प्रश्न करें ।

**टाटा में बायलर तथा इंजन निर्माण**

***६८७. श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार टाटा इंजीनियरिंग ऐंड लोकोमोटिव कम्पनी से बायलर और इंजनों के निर्माण का कार्य ले रही है और इसे राज्य अधिकृत उद्योग के रूप में चलाने का विचार रखती है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** लोक लेखा समिति की यह सिपारिश कि सरकार टैल्को से बायलर और इंजन निर्माण को लेने और इसे राज्य अधिकृत उद्योग के रुप में चलाने की प्रज्ञेयता पर विचार करे अभी जांच अधीन है ।

**श्री एम० आर० कृष्ण :** मैं जान सकता हूं कि देश के लिये कुल कितने बायलर चाहियें और इन में से कितने गैर सरकारी तथा कितने सरकारी समवाय बनाते हैं ?

**सभापति महोदय :** यह प्रश्न अनुपूरक प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है ।

**रेडियो टेलीप्रिंटर**

***६९०. श्री हेडा :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय रेडियो टेलीप्रिंटर धाराओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से कितने स्टेशन सम्बन्धित हैं ?

(ख) शीघ्र भविष्य में कितने और स्टेशनों से सम्बन्ध जोड़ा जाएगा ।

(ग) क्या कोई गैर सरकारी लाइनें हैं जो टेलीप्रिंटर का सम्बन्ध जोड़ती हैं ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) भारत में इस समय केवल एक टेलीप्रिंटर धारा है । यह सफदर जंग, देहली और डमडम (कलकत्ता) के हवाई अड्डों को मिलाती है ।

(ख) संटा क्रुज़ (बम्बई) हवाई अड्डा शीघ्र भविष्य में डमडम हवाई अड्डे के साथ रेडियो टेलीप्रिंटर द्वारा जोड़ा जायगा ।

(ग) शून्य ।

**सरदार ए० एस० सहगल :** मैं जान सकता हूं कि रेडियो टेलीप्रिंटर धारा की भविष्य की योजना क्या है ?

**श्री राज बहादुर :** यह वित्त की उपलब्धि पर निर्भर है । मैं सभा को सूचित कर दूं कि गत जनवरी में मैलबोर्न में हुई बैठक में यह सिपारिश की गई थी कि हमें देश में सब अन्तर्राष्ट्रीय अड्डों को रेडियो टेलीप्रिंटरों द्वारा जोड़ने की प्रणाली आरम्भ करनी चाहिये । ये सिपारिशें विचाराधीन हैं ।

**सरदार ए० एस० सहगल :** यह सिस्टम कहां से लिया गया क्या यह बता सकेंगे ?

**श्री राजबहादुर :** कहां से लेने से आपका मतलब क्या है ?

**सरदार ए० एस० सहगल :** किस जगह से ?

**श्री राज बहादुर :** अगर माननीय सदस्य का मतलब इस बात से है कि हम नें कहां से इसे प्राप्त किया है तो मैं उनकी जानकारी के लिए उनको निवेदन करूंगा हमें यह एक डिसपोज़ल स्टाक से मिल गया था वह लगा दिया है । बाकी अगर हम इसमें इज़ाफा करेंगे तो हमको बाहर से मंगाने पड़ेंगे ।

**सेठ गोविन्द दास :** मामूली टेलीप्रिंटर लगाने में जो इस समय भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं, और इसके लगाने के खर्च में कितना फर्क आता है । क्या इसका तख़मीना सरकार ने किया है ?

**श्री राज बहादुर :** मैंने निवेदन किया कि यह रेडियो टेलीप्रिंटर है मामूली टेलीप्रिंटर नहीं है। इसको हमने डिस्पोज़ल स्टाक से लिया था और यह सिर्फ हवाई जहाजों की यातायात की सुविधा के लिए है और इस वक्त सफदर जंग, दिल्ली और दम दम कलकत्ता को मिलाता है ।

**सेठ गोविन्द दास :** मैंने पूछा था कि मामूली टेलीप्रिटर के लगाने में और इसके लगाने में खर्च में कितना फर्क आता है । क्या इसका कोई तख़मीना किया गया है ?

**श्री राज बहादुर :** मैं समझता हूं कि चूंकि इस में ओवरलाईनिंग में तार कम लगाने पड़ते हैं इस लिए इस के इक्विपमेंट की ज्यादा कास्ट होगी और वैसे इस्तैमाल की कास्ट उस के मुकाबले में कम होगी ।

**चीनी उद्योग के उप-उत्पाद**

*६९२. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत १० वर्षों में चीनी उद्योग के उप-उत्पाद का कितना विकास उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और चीनी का मूल्य कम करने के लिए, किया जा सका है ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख):** एक विवरण सदन पटल पर रखा है **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१]**

**श्री पुन्नूस :** मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि पैरी ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा अधिकृत समवाय पाम्बा खिर कारखाना कोचीन में अलकोहल का उत्पादन कर रहा है और न तो चीनी और न ही गन्ने का मूल्य निर्धारित होने के कारण क्या इस उत्पादन द्वारा पाया गया बहुत लाभ हिसाब में लिया गया है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** मुझे प्रश्न के लिए पूर्व सूचना चाहिए ।

**श्री झूलन सिन्हा :** इस तथ्य के आधार पर कि चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय उप-उत्पादों पर ध्यान नहीं दिया जाता क्या कारखानों को यह स्वछन्दता और स्व-विवेक दिया गया है कि वे जिन दरों पर चाहें चीनी बेचें ।

**डा० पी० एस० देशमुख :** हमने गति-विधि और मूल्यों पर नियंत्रण हटा दिया है और हम विश्वास करते हैं कि जो ढंग हमने अपनाए हैं उनके फलस्वरूप मूल्य उपयुक्त रूपेण संतोषजनक हैं ।

**श्री झूलन सिन्हा :** विवरण में केवल उप-उत्पादों के विकास की ऊपर की सीमा दी गई है । क्या नीचे की सीमाओं को भी जान सकता हूं ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य विवरण के किस विशेष भाग की ओर निर्देश कर रहे हैं । यदि वे स्पष्ट करें कि उनका क्या अभिप्राय है तो मैं उन्हे उत्तर दूंगा ।

**श्री झूलन सिन्हा :** मैं सीरे के अधीन पंक्ति २, छोई के अधीन पंक्ति २ और प्रैस-मड के अधीन पंक्ति २ की ओर निर्देश कर रहा हूं ।

**डा० पी० एस० देशमुख :** मुझे इस के लिए पूर्वसूचना चाहिए ।

**सेठ अचल सिंह :** क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि यू० पी० गवर्नमेंट की पालिसी के कारण खंडसारी का व्यापार रोज़ बरोज़ घटता जाता है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** इस वक्त तो मैं समझता हूं कि इस के काफी ऊंचे दाम देने पड़ते हैं ।

**श्री सारंगधर दास :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या गन्ने के मूल्य के आधार पर चीनी और कारखानों में उत्पादित उप-उत्पादों का भी मूल्य निर्धारित किया जाता है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** हां, श्रीमान् और यह इस विवरण में दिया गया है जो मैंने सदन पटल पर रखा है ।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या छोई के प्रयोग के लिए कोई अनुसंधान किया गया है और यदि ऐसा है तो उसका क्या फल निकला है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** बहुत समय से प्रयोग किए जा रहे हैं और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इसे समाचार पत्र मुद्रा तथा अन्य कागज़ बनाने में प्रयोग किया जा सकता है ।

**केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन**

*६९३. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के परिव्यय तथा अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में की गई अनुगणना सम्बन्धी किन धारणाओं को योजना आयोग द्वारा पुनः जांच किए जाने योग्य समझा गया था ?

(ख) इस कार्य के लिए नियुक्ति की गई समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की आशा है ?

(ग) क्या सन् १९५३ में इस संगठन द्वारा कोई नए ट्रैक्टर क्रय किए जाने की प्रस्थापना है ?

(घ) यदि हां, तो (१) कितने, (२) किस मूल्य पर, तथा (३) किन देश अथवा देशों से वह क्रय किए जाने को हैं ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख):** (क) योजना आयोग ने केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के परिव्यय तथा अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में की गई अनुगणना सम्बन्धी किन्हीं विशिष्ठ धारणाओं को पुनः जांच किए जाने का सुझाव नहीं दिया है । आयोग ने यह सूचना दी थी कि संगठन की विभिन्न गति विधियों के संबन्ध में हुए परिव्यय तथा व्यय सम्बन्धी समूचे प्रश्न की जांच की जानी चाहिए ।

(ख) कर्नल बी० एच० ज़ैदी के सभापतित्व में उक्त समिति ने, जो कि उक्त संगठन के कार्य संचालन के विभिन्न अवस्थाओं की जांच कर रही है, अपने कार्य में काफी प्रगति की है और आशा की जाती है कि वह कुछ ही सप्ताहों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

(ग) और (घ) । सन् १९५२-५३ में ३० ट्रैक्टरों के आदेश दिए गए थे और उनके शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । इन ट्रैक्टरों का मूल्य २८,६१,८०० रुपये है और उनको संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त किया जा रहा है ।

**श्री के० सी० सोधिया :** विभिन्न राज्यों में इस संगठन द्वारा किये गये कार्य की प्रति एकड़ दर निश्चित करने में किन कारकों पर विचार किया जाता है ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** हमने समूचे व्यय का ध्यान रखते हुए ही अनुगणना की है । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि दरों के पुनरीक्षित किए जाने की संभावना है क्योंकि हम वर्तमान दरों पर काम नहीं कर सके हैं ।

**श्री के० सी० सोधिया :** क्या यह सच है कि सन् १९५१ में ५२ रुपए प्रति एकड़ लिया जाता था और सन् १९५२ में उसे कम करके ३२ रुपये कर दिया गया था ? इस का क्या कारण है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : मुझे इस प्रश्न विशेष की पूर्व सूचना चाहिए। परन्तु मेरे विचार से ५२ रुपये लिए जाते थे।

**डा० सुरेश चन्द्र** : मैं जान सकता हूं कि इस समिति को क्यों नियुक्त किया गया था जब कि इसी सदन की आंक समिति इस प्रश्न पर ध्यान पूर्वक विचार कर रही थी ? क्या इस समिति को भारत सरकार ने आंक समिति की उपेक्षा करते हुए नियुक्त किया था ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : हमें इस मामले में आंक समिति द्वारा किए गए कार्य का पता नहीं था क्योंकि आंक समिति तो समस्त मंत्रालय की जांच कर रही है। हमारा विचार था कि विशिष्ट निर्देश पदों के इस विशिष्ठ प्रश्न की जांच कुछ संसद सदस्यों द्वारा की जानी आवश्यक थी जिससे कि वह इस मामले में अपना निर्णय दे सकते।

**सेठ गोविन्द दास** : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि बहुत से ट्रैक्टर बेकाम इस लिए पड़े रहते हैं कि उनके अतिरिक्त हिस्से नहीं मिलते हैं और जो अभी इस प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि इतने ट्रैक्टर और आ रहे हैं, तो क्या जहां से ट्रैक्टर मंगाए गए हैं वहां पर इस बात का भी वादा ले लिया गया है कि उनके भाग जब भी ज़रूरत पड़ेगी भेज दिये जायेंगे ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : यह तो बड़ा लम्बा प्रश्न है, मैं इसका नोटिस (पूर्वसूचना) चाहूंगा, संभव है वह कमेटी इस प्रश्न पर भी चर्चा करेगी।

**सेठ गोविन्द दास** : मैं जानना चाहता हूं कि इनके अतिरिक्त भागों के सम्बन्ध में क्या होगा, क्योंकि अतिरिक्त भाग न मिलने से ट्रैक्टर बेकाम पड़े रहते हैं ?

**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह समिति इस मामले पर विचार करेगी।

**सेठ गोविन्द दास** : जी नहीं, मैं समझता हूं कि अतिरिक्त भागों के बारे में कई बार सवाल उठाया गया है और पूछा गया है कि क्या नए ट्रैक्टर और मंगाए गए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां से नए ट्रैक्टर मंगाये गये हैं, या भविष्य में मंगाये जाने वाले हैं उनके अतिरिक्त भागों के बारे में भी कोई प्रबन्ध किया जा रहा है कि जिससे वे वहां से मिल सकेंगे।

**डा० पी० एस० देशमुख** : मैंने निवेदन किया कि मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये।

**कई माननीय सदस्य** खड़े हुए–

**सभापति महोदय** : यदि एक साथ इतने सदस्य खड़े हो जायेंगे तो मैं सभी को तो बला नहीं सकता हूं। श्री बर्मन।

**श्री बर्मन** : म जान सकता हूं कि क्या यह समिति आंक समिति की उपसमिति द्वारा इस मामले की जांच किये जाने से पूर्व नियुक्त की गई थी, अथवा क्या इसे उससे पहले नियुक्त किया गया था ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दे दूं कि काम के दुबारा किये जाने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी—कम से कम मुझे यह विदित नहीं था कि आंक समिति की एक उपसमिति नियुक्त की जा चुकी थी।

**श्री वैलायुधन** : भाग (ग) और (घ) के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि क्या इन ट्रैक्टरों के अतिरिक्त भागों की पूसा इन्स्टीट्यूट में अथवा जंगल में पड़ी भारी परिमात्रा को काम में लाया जा रहा है अथवा वह नष्ट हो रही है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : कुछ अतिरिक्त भाग हैं जिनको काम में नहीं लाया गया है, परन्तु उनको काम में लाने अथवा उनको बेच डालने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कोई न तो ख़राब हो रहा है और न किसी को बिगड़ने दिया जा रहा है।

**श्री एस० एन० दास** : मैं जान सकता हूं कि इस नियुक्त की गई समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : मुख्य रूप से इस समिति को यह मालूम करने के लिए नियुक्त किया गया था कि प्रति एकड़ व्यय कितना बैठता है और समस्त संगठन के कार्य संचालन का पुनरीक्षण किय जाने के बाद क्या इस संगठन को चालू रखना राष्ट्रीय हित में है, और क्या यह किसानों और सरकार दोनों के लिये लाभदायक ह।

**श्री गिडवानी** : मैं जान सकता हूं कि वह कौन सी प्रणाली है जिस के अनुसार नये ट्रैक्टर खरीदे जा रहे हैं, क्या आदेश देने के लिये किसी अधिकारी को वहां भेजा गया है अथवा क्या कोई मूल्यवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे अथवा क्या कोई अन्य तरीक़ा काम में लाया गया था ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : यह सब तो पिछले दिनों में किये गये सौदे हैं। इस समय तो कोई भी नहीं खरीदा जा रहा है।

**श्री गिडवानी** : क्योंकि म जानता हूं कि लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं।

**डा० पी० एस० देशमुख** : इस सब की तो आंक समिति द्वारा जांच की जा चुकी है।

**कुमारी एनी मस्करीन** : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को विदित है कि जनता में यह धारणा फली हुई है कि इस ट्रैक्टर संगठन के संबन्ध में बहुत अधिक गोल माल हुआ है ?

**सभापति महोदय** : शान्ति, शान्ति।

**डा० पी० एस० देशमुख** : मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। जनता में कुछ भ्रम सा फैल गया है और मैं यह कहने को प्रस्तुत हूं कि वह.....

**श्री गिडवानी** : मैं कुछ सूचना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : शान्ति, शान्ति। जब कि माननीय मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हों तो माननीय सदस्य को बाधा नहीं डालनी चाहिये।

**डा० पी० एस० देशमुख** : कदाचित कहीं कोई गलती हुई हो, परन्तु यह कहना कि गोलमाल जैसी कोई बात हुई है बिल्कुल ग़लत है, और मेरे विचार से इस संगठन ने अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाया है और प्रगति में योग दिया है।

**कई माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या सरकार को विदित है कि लोक सभा की आंक समिति ने ट्रैक्टर संगठन सम्बन्धी समूचे प्रश्न पर पूर्णरूप से विचार कर लिया है और आंक समिति की एक उपसमिति ने इस संगठन की गति विधियों की विस्तृत रूप से जांच कर ली है और आंक समिति की रिपोर्ट इस सदन के समझ आज प्रस्तुत की जाने को है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है।

**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि इसी प्रश्न के सम्बन्ध में जांच करने के लिए इस सदन के कुछ सदस्यों की एक समिति के नियुक्त किये जाने से उस रिपोर्ट का, जो कि आंक समिति इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करे, महत्व कम हो जायगा ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : यह कहना कि इससे उसका महत्व कम हो जायगा ग़लत होगा। हम दोनों समितियों का आदर करते हैं और यदि मेरे मित्र यह चाहते हैं कि आंक

समिति का अधिक आदर किया जाये, तो मैं वैसा करने को तैयार हूं।

**डा० लंका सुन्दरम्** : आप स्वयं श्रीमान्, आंक समिति के सदस्य हैं .....

**सभापति महोदय** : अब तर्क का कोई अवसर नहीं है। इस अवसर पर हम इस प्रश्न पर अधिक चर्चा नहीं कर सकते हैं। प्रश्नों का घन्टा माननीय मंत्री से सूचना प्राप्त करने के लिए होता है और इस कारण मैं इस बाद विवाद की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

**डा० लंका सुन्दरम्** : मैं तर्क नहीं दे रहा हूं, श्रीमान्! इस प्रश्न विशेष में इस सदन के विशेष अधिकारों पर आघात करने वाला एक प्रश्न अन्तर्निहित है।

**सभापति महोदय** : आलोच्य बात क्या है? माननीय सदस्य उसकी व्याख्या करें।

**डा० लंका सुन्दरम्** : पिछले सप्ताह एक औपचारिक पत्र के द्वारा मैंने अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दिया है तथा उनका ध्यान इस बात विशेष की ओर आकर्षित किया है कि सरकार द्वारा एक समिति की नियुक्ति, जब कि इस सदन की एक परिनियत समिति उसी प्रश्न की छान बीन कर रही हो, एक बहुत ही गंभीर मामला है। आपको स्मरण होगा कि हीराकुड का प्रश्न एक जांचकर्ता द्वारा उठाया गया था। इसी बात पर मैं बल दे रहा हूं, और मुझे आशा है, कि अध्यक्ष महोदय यथा समय इस सम्बन्ध में कोई विनिर्देश देने की कृपा करेंगे।

**सभापति महोदय** : इस अवसर पर तो यह प्रश्न उठता नहीं है। इस मामले की जांच की जायेगी। चूंकि माननीय सदस्य एक पत्र भेज चुके हैं, इस लिये उसका उत्तर दे दिया जायेगा और इस मामले की छानबीन की जायेगी।

**श्री सारंगधर दास** : मैं जान सकता हूं कि अब जो ट्रैक्टर खरीदे जा रहे हैं, कदाचित संयुक्त राज्य अमरीका में, क्या वह मंत्रालय द्वारा वहां भेजे गये किसी एक अधिकारी द्वारा खरोदे जा रहे हैं अथवा वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन द्वारा ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिए। मैं यह भी चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र ट्रैक्टरों के उस प्रकार का जिस के सम्बन्ध में वह सूचना चाहते हैं, विशेष रूप से निर्देश करें।

**श्री राघवाचारी** : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उस नई समिति के, जिसे उसने आंक समिति की अवहेलना भी करते हुए नियुक्त कर दिया है, कार्य करण को रोक देने की प्रस्थापना करती है ?

**श्री बी० एस० मूर्ति** : जब तक कि कोई विनिर्देश न दिया जाय।

**डा० पी० एस० देशमुख** : इस में कोई विवाद नहीं है। मेरा यह विचार नहीं है कि हम इस दूसरी समिति से जिसे हमने नियुक्त किया ह, आंक समिति के सम्बन्ध में कोई निर्णय कराने की कोई चेष्टा कर रहे हैं। संभावना यही है कि दोनों समितियां एक दूसरे की पूरक होंगी और परस्पर विरोधी नहीं होंगी।

**श्री वैलायुधन** : माननीय मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन उत्तम रीति से कार्य कर रहा है। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का एक उच्च कर्मचारी ट्रैक्टरों की खरीद के सम्बन्ध में धन का दुरुपयोग करने अथवा इसी प्रकार का कोई कार्य करने के कारण सेवा मक्त किया गया था ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : मेरे विचार से किसी को सेवा मुक्त नहीं किया गया था, परन्तु मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना दें।

**डाकखाने**

*६९४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में इस समय कुल कितने डाकखाने हैं ?

(ख) जम्मू तथा काश्मीर के ग्राम-डाकखानों की औसत मासिक आय क्या है तथा इन का व्यय क्या है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) शहरी ३१, ग्रामीण २६९ (३१ मार्च १९५३ को)।

(ख) सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं है।

**श्री ए० एम० टामस :** जम्मू तथा काश्मीर के इन डाकखानों में काम करने के लिये कर्मचारी कहां से लिये जाते हैं ? क्या यह उन्हीं क्षेत्रों के निवासियों में से लिए जाते हैं अथवा बाहर से लिये जाते हैं ?

**श्री राज बहादुर:** अधिकांश रूप से यह सम्बन्धित क्षेत्रों के निवासियों में से लिए जाते हैं।

**श्री ए० एम० टामस :** क्या काश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा लगाया गया यह आरोप सरकार के ध्यान में लाया गया है कि संचरण विभाग में कर्मचारियों की भर्ती में भेदभाव की नीति बर्ती जा रही है, तथा यदि लगाया गया ह तो क्या इस आरोप का कोई आधार भी है ?

**श्री राज बहादुर :** मैं समझता हूं कि वह आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह पूर्णतयः निराधार है।

**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या सरकार जम्मू तथा काश्मीर के ग्रामों में डाकखानों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

**श्री राज बहादुर :** माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में डाकखानों की संख्या १५ अगस्त १९४७ से दुगनी हो गई है। इस समय यह २६९ हैं जबकि यह पहले लगभग १३० थे।

**श्री एन० एम० लिंगम :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में डाकखाने २००० से कम जन संख्या वाले ग्रामों में भी खोले गये हैं ?

**श्री राज बहादुर :** प्रत्येक मामला इसके गुण दोषों के आधार पर आधारित है। अधिकांश मामलों में हमने एकरूपी नीति बर्त रखी है अर्थात् यह कि २००० से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में डाकखाने खोले जायें। परन्तु हो सकता है कि हमने कुछ मामलों में कुछ रियायत भी दी हो।

**पार्लाकिमेदी लाइट रेलवे**

*६९५. **श्री संगण्णा :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि पार्लाकिमेदी लाइट रेलवे लाइन (पूर्व रेलवे क्षेत्र) जून १९५३ की बाढ़ के कारण कई जगह टूट गई है ?

(ख) यदि टूट गई है तो कुल कितना नुक्सान हुआ है ?

(ग) क्या यह लाइन टट जाने के कारण संचरण व्यवस्था वहां कुछ समय के लिये अस्त व्यस्त थी ?

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या सरकार इस में कुछ सुधार करने का विचार रखती है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां):** (क) उत्तर 'हां' है।

(ख) लग भग ५,००० रुपये।

(ग) जी हां, लगभग तीन दिन के लिये।

(घ) अतिरिक्त जलमार्गों का उपबन्ध रखने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

**श्री संगण्णा**: किन किन स्थानों पर लाइन टूट गई थी ?

**श्री शाहनवाज़ खां** : जिन स्थानों पर लाइन टूट गई है उन का कोई विशिष्ट नाम नहीं है । यह घटनाएं रेलवे की एक शाखा पर हुई हैं ।

**श्री बी० सी० दास**: क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि यह लाइन प्रतिवर्ष वहां टूट जाती है ?

**श्री शाहनवाज़ खां** : सरकार को इस बात की जानकारी है तथा वह अतिरिक्त जलमार्गों की व्यवस्था करके इस सम्बन्ध में पर्याप्त उपाय कर रही है ।

**श्री बी० सी० दास**: क्या सरकार इस लाइट रेलवे को मीटर गेज रेलवे में बदलने पर विचार कर रही है ?

**श्री शाहनवाज़ खां**: जी नहीं, श्रीमान् ।

**श्री संगण्णा** : क्या यह दुर्घटनाएं इस कारण से हो रही हैं कि वहां पानी निकालने के रास्ते बहुत तंग हैं ?

**श्री शाहनवाज़ खां** : उन्हें चौड़ा किया जा रहा है तथा अतिरिक्त जलमार्गों की व्यवस्था की जा रही है ।

**टाटा इंजन तथा इंजीनियरिंग कम्पनी**

*६९६. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) टाटा इंजन तथा इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटिड ने वर्ष १९५२-५३ के दौरान में कुल कितने बायलर तथा इंजन तैयार किये ;

(ख) बायलर तैयार करने के सम्बन्ध में प्रति मास लक्ष्य क्या रहा ;

(ग) क्या इंजनों के वार्षिक उत्पादन के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निश्चित किया गया है ; तथा

(घ) यदि किया गया है, तो इस तरह से निश्चित किया गया लक्ष्य क्या है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ३० बायलर तथा ३० इंजन (बायलरों समेत) ।

(ख) दिसम्बर १९५३ से ८ बायलर प्रति महीना ।

(ग) जी हां ।

(घ)

| | |
|---|---|
| १९५१-५२ | ७ |
| १९५२-५३ | ३० |
| १९५३-५४ | ३३ |
| १९५४-५५ | ५० |
| १९५५-५६ | ५० |

**डा० राम सुभग सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कोई सहायता दे रही है अथवा क्या इन वस्तुओं के निर्माण के लिये उन्होंने कम्पनी को किसी मुनाफे की गारंटी दी है ?

**श्री अलगेशन**: इस कम्पनी की पूंजी में हमने भी हिस्सा लिया है। हमारी दो करोड़ रुपये की पूंजी इस में लगी है ।

**श्री एस० एन० दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस फैक्टरी में तैयार किये गए प्रति बायलर की लागत क्या होगी ? तथा यह लागत किस तरह से निश्चित की जाती है ?

**श्री अलगेशन**: मुझे इस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहिये ।

**श्री एस० एन० दास** : इस कम्पनी के साथ जो करार हुआ है क्या उस में अभी तक इस बात का फैसला नहीं किया गया है कि इस फैक्टरी में तैयार किये गये बायलरों की कीमत क्या होगी ?

**श्री अलगेशन** : कई वर्षों से बात चीत चल रही है। हम शीघ्र किसी परिणाम पर

पहुंचेंग तथा कीमतें जल्दी ही निश्चित की जायेंगी ।

**श्री एस० एन० दास**: तैयार किये गये बायलरों के लिये इस कम्पनी की किस आधार पर कोई धनराशि पेश की जाती है ?

**श्री अलगेशन** : चूंकि अभी मूल्य निश्चित नहीं किये गये हैं, इसलिये हम तदर्थ भुगतान कर रहे हैं । मूल्य निश्चित होने पर लेखा-समन्वय किया जायगा ।

**टैलीफोन लेखा-कार्यालयों का यंत्रीकरण**

*६९७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीफोन लेखा-कार्यालयों में टेलीफोन बिलों तथा लेखों के काम का यंत्रीकरण करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि ऐसा विचार रखती है तो यह प्रणाली पहले पहल कहां चालू की जायगी; और

(ग) इस पर कितनी लागत आ जायेगी ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग) तक । इस सिलसिले में टैलोफोन राजस्व लेखा कार्यालय (उत्तर) दिल्ली में लगभग २००,००० रुपये की लागत से एक प्रयोग किया जा रहा है जिस से कि गलत बिलों से सम्बन्धित शिकायतें कम होने पायें । यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इस प्रणाली को अन्य कार्यालयों तक विस्तारित करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

**श्री पुन्नूस**: इस परियोजना को छोड़ के क्या और भी कोई ऐसा उपाय है जिस से कि इन टैलीफोन बिलों से सम्बन्धित शिकायतें कम हो सकती हैं ;

**श्री राज बहादुर**: माननीय सदस्य को मालूम है कि विभाजन के समय से ट्रंक कालों की संख्या बढ़ गई है । १९५२-५३ में इनकी संख्या १२८ लाख थी जब कि १९४८ में यह संख्या केवल ५३ लाख थी । परिणामतः काम का बोझ बढ़ गया है तथा शिकायतें आने लगी हैं । इन शिकायतों को कम करना मानव-श्रम से बाहर था । इसलिये हम ने इस उपाय का आश्रय लिया है ।

**श्रीमती जयश्री** : इस यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप कितने लोग बेकार हो जायेंगे ?

**श्री राज बहादुर**: मैं माननीय सदस्या को आश्वासन दे सकता हूं कि कोई भी कर्मचारी नौकरी से नहीं निकाला गया है । भविष्य में भी, यदि हम इस प्रणाली को विस्तारित करेंगे, हमारी यह नीति होगी कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न निकाला जाये ।

**घटनात्मक चलचित्र**

*६९८. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या एक ऐसे घटनात्मक चलचित्र बनाने का विचार किया जा रहा है जिस में यह बतलाया जाये कि भारत ने गत पच्चीस वर्ष में कृषि क्षेत्र में क्या प्रगति की ?

(ख) यदि हां, तो इस चलचित्र के तैयार किये जाने में कितना समय लग जायेगा ?

(ग) इस के तैयार किये जाने पर कितना व्यय होगा ?

**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)**: (क) जी हां ।

(ख) इस चलचित्र के अप्रैल १९५४ तक बन जाने की आशा है ।

(ग) इस चलचित्र के निर्माण पर कोई व्यय भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद या भारत सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा क्योंकि यह परिषद के लिये टी० सी० ए० के टैक्नीशियनों द्वारा तैयार किया जा रहा है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इस चलचित्र के निर्माण से संयुक्त राज्य सूचना सेवा का कोई सम्बन्ध है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : संयुक्त राज्य सूचना सेवा का नहीं ; यह तो टी० सी० ए० द्वारा तैयार किया जा रहा है।

**सेठ गोविन्द दास** : यह फिल्म किस किस भाषा में बनाया जा रहा है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : यह तो शायद अंग्रेजी में ही तैयार हो रहा है।

**सेठ गोविन्द दास** : क्या इस बात का भी ख्याल रक्खा जाता है कि जिस भाषा को हमने अपनी राष्ट्र भाषा स्वीकार कर लिया है, उसमें भी ऐसा फिल्म बनाने की जरूरत है ?

**डा० पी० एस० देशमुख** : हां, मैं तो समझता हूं कि इस ओर हमारी मिनिस्ट्री ने पहला कदम उठाया है कि ऐनुवल रिपोर्ट बनाते वक्त इस बात का ध्यान रक्खा, उसको अंग्रेजी में भी तैयार किया और हिन्दी में भी बनाया और हमें इसका पूरा ख्याल है कि हिन्दी अब राष्ट्र भाषा है।

**सभापति महोदय** : प्रश्न का घंटा समाप्त हुआ।

**श्री फ्रैंक एन्थनी** : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं जिसका सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार से सम्बन्ध है। जहां तक मैं समझता हूं सदस्य का यह अधिकार है--और शिष्टाचार भी यह कहता है--कि जब कोई प्रश्न अस्वीकार कर दिया जाये तो उसे इसकी सूचना दी जाये और साथ ही संगत नियम या उपनियम का निर्देश किया जाये, जिस से कि वह कार्यालय के साथ किसी प्रकार की लिखा पढ़ी कर सके। परन्तु हमें आजकल ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाती और न ही किसी प्रकार का निर्देश किया जाता है।

**सभापति महोदय** : अधिक अच्छा होता यदि आप यह प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय से उनके कमरे में उठाते। यदि वास्तव में स्थिति इतनी खराब है, तो इसका उपाय समुचित रीति से किया जाना चाहिये।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### कैन्फड़

*६८२. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के महाबलेश्वर और निफड़ स्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्रों में गेहूं की "कैन्फड़" नामक एक नयी किस्म निकाली गई है ?

(ख) इस प्रकार के गेहूं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह अन्य प्रकार के गेहूं से किस प्रकार भिन्न होता है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : (क) जी हां।

(ख) कन्फड़ गहूं अन्य प्रकार के गेहूं की अपेक्षा कम काला पड़ता है।

### वायु दुर्घटनाएं

*६८६. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) गत दो वर्ष में हुई दुर्घटनाओं में से कितनी में डकोटा अन्तर्ग्रस्त थे ; तथा

(ख) इन में से कितनी दुर्घटनाओं में अन्य प्रकार के वायुयान अन्तर्ग्रस्त थे ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख)। मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]**

### अहमदाबाद में माल का इकट्ठा हो जाना

*६८९. **श्री राघुवय्या** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करें

क्या यह सच है कि १९५३ के मई तथा जून मासों में अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं के कारण अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में रुई तथा कोयले की बहुत कमी हो गई थी और कपड़े की गांठें इकट्ठी हो गई थीं ?

(ख) यदि हां, तो परिवहन की अपर्याप्तता के क्या कारण थे ?

(ग) इसके लिये कौन उत्तरदायी थे ?

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इन दो मासों में रुई तथा कोयला अपेक्षतया कम मात्रा में अहमदाबाद गया । जहां तक अहमदाबाद से कपड़े के भेजे जाने का प्रश्न है, छोटी लाइन पर तो वह अधिक मात्रा में भेजा गया था बड़ी लाइन पर कुछ कम मात्रा में ।

आवागमन में कमी इतनी अधिक प्रतीत नहीं होती कि उससे अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में कच्चे माल की कमी हो गई हो और तैयार माल बहुत अधिक इकट्ठा हो गया हो ।

(ख) तथा (ग)। इन मासों में बम्बई की राज्य सरकार ने यह कहा कि दुर्भिक्ष क्षेत्रों को चारा अधिक मात्रा में भेजा जाये चाहे इस से अन्य प्रकार के यातायात में, जिसमें रुई का अहमदाबाद भेजा जाना और कपड़े का अहमदाबाद से आना भी सम्मिलित है, कमी करनी पड़ जाये। कोटा तथा रतलाम जिलों में पानी की अपूर्व कमी के कारण भी --जो रेलवे के वश की बात नहीं थी---माल के यातायात पर बहुत प्रभाव पड़ा और अहमदाबाद को कम कोयला भेजा जा सका ।

(घ) दुर्भिक्ष क्षेत्रों को चारा भेजे जाने की भारी मांग समाप्त हो जाने तथा पानी की कमी से पैदा होने वाली दशाओं में सुधार हो जाने के फलस्वरूप अब स्थिति सुधर गई है ।

**रेल दुर्घटनाएं**

*६९१. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३ में अब तक हुई रेल दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त रेल कर्मचारियों की संख्या ; तथा

(ख) उनको दिये गये प्रतिकर की राशि ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जनवरी-जुलाई १९५३ की कालावधि में---जिसमें ये दोनों मास सम्मिलित हैं---रेल दुर्घटनाओं में २२ रेल कर्मचारियों की मृत्यु हुई और १०० आहत हुए ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

**चीफ कैश विटनैस**

*६९९. **श्री एस० एन० दास :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर रेलवे में चीफ कैश विटनैस के कितने स्थान हैं और पूर्व---ई० पी० रेलवे में कितने स्थान थे ; तथा

(ख) इस स्थान को भरने के लिये नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) उत्तर रेलवे में चीफ कैश विटनैस का केवल एक स्थान है और भूतपूर्व ईस्टर्न पंजाब रेलवे में भी इस श्रेणी में केवल एक ही स्थान था ।

(ख) यह स्थान ऐसे कर्मचारियों में से संवरण द्वारा भरा जाता है जिन्हें नकदी संभालने और संग्रह करने का अपेक्षित अनुभव हो ।

**दावा कार्यालय**

*७००. **श्री आर० एन० सिंह:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुनवर्गीकरण प्रणाली में, उत्तर पूर्वी रेलवे को छोड़ कर कौन कौन सी रेलवेज़ में एक से अधिक दावा कार्यालय हैं ?

(ख) पुनर्वर्गीकरण प्रणालीं में क्या कोई और रेलवे भी ऐसी है जिसका दावा कार्यालय प्रधान कार्यालय से उप-कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया हो ?

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कौन से अपवाद स्वरूप परिस्थितियां थी जिनके अंतर्गत कि उत्तर-पूर्वी रेलवे के बारे में यह मार्ग अपनाना आवश्यक समझा गया ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) उत्तर, मध्य तथा दक्षिण रेलवेज़ में ।

(ख) और (ग) किसी भी पुनर्वर्गीकृत रेलवे का दावा कार्यालय प्रधान कार्यालय से अन्य स्थान को नहीं हटाया गया है । वास्तव में, उत्तर, मध्य, दक्षिण और उत्तर-पूर्वी रेलवेज़ में, संविहित होने वाले एककों के कारण, एक से अधिक दावा कार्यालय आ गये थे । उत्तर पूर्वी रेलवे में, क्रमशः कलकत्ता तथा गोरखपुर में दो दावा कार्यालय रखने की इजाज़त दे दी गई है । किन्तु इन दोनों कार्यालयों के मध्य काम का फिर से वितरण किया गया है ।

**वनपालन**

*७०१. **श्री बर्मन:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय वनों के इन्स्पैक्टर जनरल को वनपालन सम्बन्धी योजनायें राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं ?

(ख) यदि हां, तो सन् १९५२-५३ में कितने मामलों में वनों के इन्स्पैक्टर जनरल से परामर्श लिया गया ?

(ग) क्या इस मामले में कोई केन्द्रीय नीति निश्चित होगी ?

(घ) क्या भारत की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकारों के पेड़ों को फिर से उगाने के लिये मिट्टी की कोई जांच की गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : (क) राज्य-योजनाओं का सार वनों के इन्स्पैक्टर जनरल को भेजा जाता है जिससे कि वह उन पर अखिल भारत की दृष्टि से अपनी टिप्पणी दे ।

(ख) ग्यारह मामलों में ।

(ग) सामान्य नीति मई, १९५२ में जारी की गई 'राष्ट्रीय वन नीति' में निहित है जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(घ) जी हां । जब भी राज्य वन विभाग आवश्यक समझता है तो वह क्षेत्र-विशेष में प्रयोज्य सर्वोत्तम टेकनीक तथा वहां उगाये जाने वाली क़िस्मों के बारे में जानने के लिये मिट्टी का परीक्षण करता है ।

**रेलवे शेड**

*७०२. **श्री हेम राज:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे की 'मुसाफ़िर सुविधा समिति' ने ज्वालामुखी रोड और कांगड़ा रेलवे स्टेशनों पर मुसाफ़िरों के शेड बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन शेडों को निर्मित करने का विचार है ?

(ग) कब तक इन शेडों के निर्माण हो जाने की आशा है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). 'मुसाफ़िर सुविधा समिति' द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सिफ़ारिशें प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी ।

**रेलवे साइडिंग**

*७०३. **श्री देवगम:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तोलने की कठिनाई के कारण पार्टियों को बदमपहर तथा कुलदिहा स्टेशनों पर उनके स्वयं के खर्चे से भी साइडिंग बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ख) क्या कुलदिहा तथा बदमपहर स्टेशनों पर लोहा तोलने का कोई प्रबन्ध उसके बाद से किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो यह प्रबन्ध कब किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो बिना तोले किस प्रकार वैगन बुक किये जाते हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) वेगनों को इस समय उनकी सामान्य समाई और दो टन के आधार पर बुक किया जाता है । अतिरिक्त भार का हिसाब वेगनों में भेजी जाने वाली लौह-अयस्क के घनत्व के आधार पर लगाया जाता है ।

**तिलहन**

*७०४. **श्री मुनिस्वामी:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने कितनी अनुसन्धान योजनायें हाथ में ली हैं ?

(ख) विभिन्न राज्यों में बीजों का उगाने और उनका वितरण करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)**: (क) राज्य सरकारों द्वारा, 'भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति' की वित्तीय सहायता से, २९ योजनायें हाथ में ली गई हैं जिनसे अन्ततोगत्वा तिलहन के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है ।

(ख) अपने-अपने राज्य में अच्छी किस्म के बीजों को उगाने तथा वितरित करने की ज़िम्मेवारी वहां के कृषि विभाग की है । इस प्रयोजन के लिये मद्रास, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद और सौराष्ट्र में, भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति की वित्तीय सहायता से, कार्यवाही की जा रही है ।

**मजदूरों की भर्ती की कंगनी प्रथा**

*७०५. **श्री मुनिस्वामी:** क्या **श्रम** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८१३ के उत्तर को निर्दिष्ट करते हुये यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मज़दूरों की भर्ती की कंगनी प्रथा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को मद्रास सरकार से इस बात की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि क्या उक्त मामले में प्रगति की गई है ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)**: जी हां, 'कंगनी प्रथा' की बुराइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकारों को जो सुझाव भेजे गये थे उनकी क्रियान्विति की रिपोर्ट हाल ही में मद्रास सरकार से प्राप्त हुई है । इसके अनुसार बागान के मालिकों ने केवल सहकारी साख समितियों तथा सहकारी स्टोर्स की स्थापना के अतिरिक्त सब सुझावों को कार्यान्वित कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त प्रथा से सम्बद्ध अनेक बुराइयां समाप्त हो गई हैं ।

**टिड्डियों के दलों की रोकथाम**

*७०६. **श्री मुनिस्वामी:** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में कई स्थानों पर टिड्डी दलों के ख़तरे की मौजूदगी का सामना करने के लिये हमारे वायुयानों का सफल प्रयोग किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कब-कब सरकार द्वारा ये प्रयत्न किये गये थे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस तरीक़े की सम्भाव्यता पर विचार किया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) टिड्डियों के ख़िलाफ़ हवाई कार्यवाही विशिष्ट प्रकार के वायुयानों से ही सम्भव है । किन्तु इन वायुयानों की उड़ान की परधि तथा टिड्डी-विरोधी द्रव्य ले जाने की समाई समिति होने के कारण इस प्रकार की हवाई कार्यवाही की एक सीमा है ।

(ख) अमरीकी सरकार द्वारा उधार दिये हवाई जहाज़ों तथा व्यक्तियों की सहायता से सन् १९५१ तथा १९५२ में हवाई कार्यवाही की गई थी। यह कार्यवाही अब भी जारी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**तेज़पुर तथा रंगपाड़ा के मध्य स्थानीय रेलें**

*७०७. **श्री के० पी० त्रिपाठी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) जब कि सरकार ने टी० बी० रेलवे अपने हाथ में ली थी उससे पूर्व क्या तेज़पुर और रंगपाड़ा के मध्य स्थानीय रेलें चला करती थीं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ।

(ग) क्या उनमें से कुछ गाड़ियां बन्द कर दी गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितनी ;

(ङ) क्या इनमें से कुछ गाड़ियों को पुनः चालू करने की कोई मांग है ; और

(च) क्या सरकार का इनमें से कोई गाड़ियां फिर से चालू करने का विचार है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां ।

(ख) जब कि तेजपुर-बालीपाड़ा रेलवे, पहले कम्पनी द्वारा और फिर सरकार द्वारा, छोटी लाइन के रूप में चलाई जाती थी उस समय प्रति ओर से निम्नलिखित गाड़ियां चलाई जाती थीं :

| | |
|---|---|
| शनिवारों को | तेजपुर और बालीपाड़ा के बीच दो गाड़ियां । |
| रविवारों को | कुल पांच गाड़ियां नामतः दो तेज़पुर और बालीपाड़ा के बीच, दो तेज़पुर और रंगापाड़ा नौर्थ के बीच और एक तेज़-पुर और बिंदूकुड़ी के बीच । |
| सप्ताह के अन्य पांच दिनों को । | कुल तीन गाड़ियां, नामतः दो तेज़पुर और बाली-पाड़ा के बीच तथा एक तेज़पुर और रंगा-पाड़ा नौर्थ के बीच । |

(ग) और (घ). ३०-४-५३ से तेज़पुर रंगापाड़ा नौर्थ सेक्शन के मीटर गेज में परिगत होने के साथ, जिससे कि यह शेष उत्तर-पूर्वी रेलवे से सम्बद्ध हो गई है, रविवारों को प्रति ओर से दो गाड़ियां कम हो गई हैं नामतः एक तेज़पुर तथा रंगापाड़ा नौर्थ के बीच और एक तेज़पुर तथा बिंदूकुड़ी के बीच ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

**कुओं का आवंटन**

*७०८. **श्री राम दास:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) २० अप्रैल, १९५३ को भारत सरकार तथा अमरीकी सरकारों के मध्य हस्ताक्षरित 'अनुपूरक कार्य-संचालन समझौते' के अन्तर्गत पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये कितने कितने कुंयें निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) इन कुंओं का निर्माण प्रत्येक राज्य को कितनी अवधि में पूरा करना है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) ६५० कुंओं को चार राज्यों में इस प्रकार बांटा गया है :—

| | |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | २८० |
| बिहार | ७५ |
| पंजाब | १६० |
| पेप्सू | १३५ |

(ख) सम्पूर्ण योजना जून, १९५६ तक पूरी हो जाने की आशा है ।

**संविहित वस्तु समितियां**

*७०९. **प्रो० मैथ्यू :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत ऐसी कौन कौन सी संविहित वस्तु समितियां हैं जो निम्नलिखित व्यवस्था करती हैं :

(१) अपने सभी कर्मचारियों के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें, जैसी कि केन्द्रीय सरकार ने व्यवस्था कर रखी है ;

(२) अपने केवल कुछ ही कर्मचारियों के लिये निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें, जैसी कि केन्द्रीय सरकार ने व्यवस्था कर रखी है ;

(३) अपने चपरासियों के लिये केन्द्रीय सरकार के वेतन दर; तथा

(४) कर्मचारियों के पद अवनति तथा नौकरी से बर्खास्त करने के विरुद्ध सुरक्षा, जैसी कि केन्द्रीय सरकार ने व्यवस्था कर रखी है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):** (१) तथा (२) . खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के नियंत्रण के अन्तर्गत चार संविहित वस्तु समितियां हैं, अर्थात् :

(१) भारतीय लाख उपकर समिति ;

(२) भारतीय केन्द्रीय रुई समिति ;

(३) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ; तथा

(४) भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति ।

जैसे केन्द्रीय सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, ये सभी समितियां, केवल उन कर्मचारियों को छोड़ कर जो समितियों में विदेश सेवा शर्तों के आधार पर काम करते हैं या समितियों की उन योजनाओं में काम करते हैं जिन्हें राज्य सरकारें चलाती हैं, अपने सभी कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें देती हैं । राज्यों के उन कर्मचारियों, जो समितियों में विदेशी सेवा शर्तों के आधार पर नियुक्त हैं, अथवा समितियों के उन कर्मचारियों, जो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाली योजनाओं में काम करते हैं, के सम्बन्ध में सम्बद्ध राज्य सरकार के चिकित्सा सम्बन्धी नियम लागू होते हैं ।

(३) ये चारों समितियां केवल उन चपरासियों को छोड़ कर जो विभिन्न राज्य सेवाओं द्वारा चलाये जाने वाली योजनाओं में लगे हैं जहां कि सम्बद्ध राज्य सरकार के वेतन दर हैं, अपने चपरासियों को केन्द्रीय सरकार की वेतन श्रेणियों के अनुसार वेतन देती हैं ।

(४) केन्द्रीय सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, उन कर्मचारियों को छोड़ कर जो ठेके पर काम करते हैं और जिन के सम्बन्ध में कर्मचारियों तथा समिति के बीच हुये ठेके की शर्तें लागू होती हैं, सभी संविहित वस्तु समितियों के कर्मचारियों पर आवश्यक परिवर्त्तन के साथ लागू होते हैं ।

**इंजन तथा वैगन**

*७१०. **श्री गणपति राम** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बेकार इंजनों तथा वैगनों की संख्या कितनी है जो कि मुगलसराय रेलवे यार्ड में पड़े हुये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनके उपयोग करने की कोई योजनायें बनाई हैं ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो किस प्रकार के उपयोग के लिये ?

**रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) मुगलसराय के पास वेचूपुर यार्ड में १२३ बेकार इंजिन तथा ९९ बेकार वैगन पड़े हैं ।

(ख) तथा (ग) । उनका उपयोग नहीं किया जा सकता । किन्तु उनके ऐसे भाग निकाल लिये जायेंगे जो कि अन्य इंजनों और वैगनों में प्रयुक्त किये जायें और जो अनावश्यक सामान रह जायगा वह आम नीलामी द्वारा बेच दिया जायगा ।

**प्रादेशिक पर्यटक यातायात मंत्रणा समितियां**

*७११. **श्री बलवन्त सिंह महता** : (क) **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रादेशिक पर्यटक यातायात समितियां बनाई गई हैं ?

(ख) उनके क्या कार्य हैं ?

(ग) पर्यटक यातायात के सम्बन्ध में देश को कितने प्रदेशों में बांटा गया है ?

(घ) क्या सरकार उनका आंशिक रूप से अथवा पूरा पूरा खर्चा उठाती है ?

(ङ) यदि ऐसा है, तो किस प्रकार से ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां । बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली में प्रादेशिक पर्यटक यातायात मंत्रणा समितियां स्थापित की गई हैं । एक समिति मद्रास में भी स्थापित की जा रही है ।

(ख) समितियों का काम पर्यटक यातायात की वृद्धि से सम्बन्धित सभी मामलों पर सलाह देना है ।

(ग) पर्यटक यातायात कार्यों के लिये देश को औपचारिक रूप से प्रदेशों में बांटा नहीं गया है । प्रशासन सम्बन्धी सुविधा के लिये देश को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा काश्मीर इन पांच बड़े प्रदेशों में बांटा गया है । इसके अतिरिक्त, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हैदराबाद, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, त्रावणकोर-कोचीन तथा भोपाल राज्य सरकारों के कुछ अधिकारियों को अपने अपने राज्यों में पर्यटन सम्बन्धी कार्यों में विकास करने के निमित्त केन्द्रीय सरकार को सहायता देने के लिये अवैतनिक प्रादेशिक पर्यटक अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

(घ) तथा (ङ) । आगरा, बनारस, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, तथा श्रीनगर के पर्यटक कार्यालयों का खर्चा सरकार उठाती है ।

**आयात किये गय खाद्यान्नों का भाड़ा**

*७१२. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१ तथा १९५२ में आयात किये गये खाद्यान्न के भाड़े के रूप में अब तक कितनी राशि दी गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):** १९५१ में विदेशों से गेहूं के आयात पर लगभग ४० करोड़ रुपये का भाड़ा दिया गया है तथा १९५२ में लगभग ३८ करोड़ रुपये दिया गया है ।

**बर्मा तथा भारत के बीच मुसाफिरों का आगमन**

*७१३. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कुछ ऐसे अभिवेदन प्राप्त हुये हैं जिसमें बर्मा तथा भारत के बीच मुसाफ़िरों के यातायात के लिये विशाखापटनम् बन्दरगाह को खोलने की प्रार्थना की गई हो ;

(ख) उन अभिवेदनों में क्या कारण दिये गये हैं ; तथा

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्य वाही करने का विचार है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) बर्मा में रहने वाले आंध्र वासियों द्वारा भेजे गये केवल एक अभिवेदन को, जो कि अभी हाल ही में वैदेशिक कार्य मंत्रालय के द्वारा प्राप्त हुआ है, छोड़ कर इस मामले के सम्बन्ध में यातायात मंत्रालय को और कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) एक विवरण, जिसमें अभिवेदन में उल्लिखित कारण दिये हुये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]**

(ग) सरकार ने तुरन्त ही सिन्धिया कम्पनी से इस मामले पर बातचीत की, जिसने इस पर अच्छी प्रकार से विचार करने के उपरान्त यह बताया कि उसके द्वारा वहां निकट भविष्य में जहाज चलाने की कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि दोनों ओर के मुसाफ़िरों के आवागमन तथा माल ढोये जाने की सम्भावना को दृष्टि में रखते हुये ऐसा करना उनके लिये आर्थिक रूप से लाभप्रद न होगा ।

**रंगून को जाने वाले आंध्र मुसाफिर**

*७१४. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास होकर रंगून जाने वाले आंध्र मुसाफ़िरों से मद्रास को जाने तथा वहां से आने में होने वाली असुविधाओं तथा कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई शिक़ायतें मिली हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) तथा (ख) । मैं माननीय सदस्य का ध्यान अभी मेरे द्वारा प्रश्न संख्या ७१३ के दिये गये उत्तर की ओर दिलाता हूं । उसमें निर्दिष्ट बर्मा में रहने वाले आंध्र वासियों के अभिवेदन को छोड़ कर कोई दूसरा अभिवेदन या शिकायतें नहीं मिली हैं । जैसा कि उस में बताया गया, विशाखापटनम् से रंगून तक सीधे जहाज़ चलाने की निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं है ।

**डिब्बों में बन्द मछली**

३६०. **श्री वी० पी० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७-४८ से १९५२-५३ तक भारत में आयात की गई डिब्बों में बन्द मछलियों तथा समुद्र से प्राप्त होने वाले अन्य भोज्य पदार्थों की वर्षवार मात्रा तथा मूल्य कितना है ; तथा

(ख) क्या भारत सरकार का इन भोज्य पदार्थों को सड़ जाने से बचाने के लिये

मछली तथा समुद्र से प्राप्त भोज्य पदार्थों को डिब्बों में बन्द करके सुरक्षित रखने के उद्योग के विकास का कोई कार्यक्रम है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४]

(ख) इस समय ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है ।

**मछली की छीजन**

३६१. **श्री वी० पी० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय मछली उद्योग द्वारा प्रति वर्ष मछली की छीजन का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है ; तथा

(ख) क्या सरकार ने मछली की छीजन से खाद्य, श्रंगार सामग्री तथा औषधि उद्योगों के लिये उपयुक्त रासायनिक पदार्थों के प्राप्त किये जाने के सम्भावना की जांच की है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) मछली की छीजन, विशेषकर सारिडिन मछली की छीजन से तेल निकाल लेने के बाद इसके खाद का उत्पादन प्रति वर्ष भिन्न भिन्न रहा है । १९४८-४९ में इन प्रकार के खाद के उत्पादन होने का अनुमान ९३६,००० मन लगाया गया था ।

(ख) चूंकि मछली पकड़ने के केन्द्र बहुत से हैं और ये देश के पूरे तट पर फैले हुये हैं और इनमें से किसी एक केन्द्र पर जितनी मछली पकड़ी जाती है वह थोड़ी मात्रा में पकड़ी जाती है अतः इस बात की जांच नहीं की जा सकी । इस सम्बन्ध में कुछ प्रयोगात्मक कार्य बम्बई तथा मद्रास राज्य में किया जा रहा है ।

**बीकानेर नहर के दोनों ओर नल-कूप**

३६२. **श्री कर्णीसिंहजी :** खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का प्रस्ताव उस समय जब कि सामान्य रूप से नदी में अप्रैल के मध्य से जून के अन्त तक पानी कम हो जाता है पानी की मात्रा बढ़ाने के लिये फीरोज़पुर निकास स्थान (हेड वर्क्स) के समीप बीकानेर नहर के दोनों ओर नल-कूप खोदने का है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** राजस्थान सरकार का एक ऐसा प्रस्ताव था किन्तु इस योजना के आर्थिक प्रश्न पर अभी विचार किया जाना है ।

**हैड लाइट**

३६३. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के कितने इंजन आजकल बिना हेड लाइट के चलते हैं ?

(ख) ऐसा होने के कारण क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार का इस हेड लाइट की कमी को दूर करने का विचार है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) उत्तर रेलवे के १०६ इंजनों में, जो कि स्टेशन यार्डों पर शंटिंग का कार्य करते हैं, हेड लाइट नहीं है । शेष १२४५ इंजनों में, जो कि रेल गाड़ियों को खींचते हैं, हैड लाइट लगी हैं । सामान्य रूप से शंटिंग करने वाले इंजनों में हैड लाइट नहीं होती है ।

(ख) तथा (ग) । ये उत्पन्न नहीं होते ।

**लखनऊ डिवीजन में गाड़ियों का लेट चलना**

३६४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे

के लखनऊ डिवीज़न में गत दो मास से रेलगाड़ियां लेट चल रही हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस डिवीजन में जून, तथा जुलाई, १९५३ के मासों में सवारी गाड़ियों की समयनिष्ठा में कुछ कमी आ गई थी। लेट न होने वाली रेलगाड़ियों का प्रतिशतक जून में ८० और जुलाई, १९५३ में ७९ था।

(ख) इसका कारण जंघाई और सुरेवान के पानी भरने के स्टेशनों में पानी की भारी कमी का और गाड़ी में चलने वाले कर्मचारियों में रुग्णता की वृद्धि का गाड़ी के चलने पर प्रतिफल था।

**पंजीबद्ध बूक पोस्ट पैकेट**

३६५. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी से अप्रैल, १९५३ के बीच निम्न मदों के अन्तर्गत आय—

(१) पंजीबद्ध बुक पोस्ट पैकेट, तथा

(२) पंजीबद्ध पार्सलें ; तथा

(ख) मई और जून, १९५३ मासों में उक्त दो शीर्षों के अधीन पृथक् पृथक् आय।

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). डाक-संचरण के प्रत्येक वर्ग से प्राप्त होने वाले राजस्व का लेखा नहीं रखा जाता। अतः वह सूचना उपलब्ध नहीं है।

**रेलवे में पानी वाले**

३६६. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) क्या रेल मंत्री उत्तर रेलवे में लगाये गये पानीवालों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उनमें से कितने स्थायी नौकरी में हैं और कितने ग्रीष्म ऋतु के महीनों में ही लगाये जाते हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) २,८०० पानीवाले।

(ख) १,४७८ स्थायी रूप से हैं, और शेष १३७२ केवल ग्रीष्म ऋतु के महीनों के लिये अस्थायी रूप से।

**राशन वाले क्षेत्र**

३६७. **श्री दाभी** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या देश में कुछ ऐसे राशन वाले क्षेत्र हैं, जहां राशन की दुकानों के साथ साथ सस्ते दाम वाली ऐसी दुकानें भी हैं, जहां राशन कार्ड रखने वालों को राशन वाले अनाज अतिरिक्त रूप में बेचे जाते हैं ?

(ख) क्या कुछ ऐसे राशन वाले क्षेत्र हैं, जहां राशन की दुकानों के साथ साथ सस्ते दाम वाली ऐसी दुकान भी हैं, जहां व्यक्तिगत खपत के लिये सीमित मात्रा में राशन वाले अनाजों के आयात की अनुमति रहती है ?

(ग) क्या कुछ ऐसे राशनवाले क्षेत्र हैं, जहां न सस्ते अनाज वाली दुकानें हैं और न व्यक्तिगत खपत के लिये कुछ राशन वाले अनाजों का आयात ही होने दिया जाता है ?

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) से (ग) तक का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो विभिन्न राशन-क्षेत्रों में इस अन्तर का कारण क्या है ?

(ङ) उपरिनिर्दिष्ट राशन-क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** (क) से (ग) और (ङ). कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्रों और दिल्ली राशन-क्षेत्र में सस्ते दाम वाली दुकानें हैं, जहां रशान कार्ड रखने

वालों को चावल की सीमित अतिरिक्त मात्रा बेची जाती है । दिल्ली में गेहूं तथा उसके उत्पाद भी इन दुकानों पर मात्रा सम्बन्धी बन्धनों के बिना ही बेचे जाते हैं ।

हैदराबाद, सिकन्दराबाद तथा कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में निजी खाते में चावल की सीमित मात्राओं का आयात करने की अनुमति है, पर यह मात्रा राशन कार्ड रखने वालों को विशेष दुकानों द्वारा उनके राशन-अभ्यंश के आगे बेची जाती है, इसके अतिरिक्त नहीं ।

सभी राशन क्षेत्रों में कोई भी राशन-वाले अनाजों की सीमित मात्रा का आयात कर सकता है, यदि यह उसकी अपनी भूमि की उपज है और यह राशन कार्ड के आगे गिन ली जाती है । दिल्ली में कोई भी राशन-वाले अनाजों का और कलकत्ता में केवल चावल का आयात कर सकता है, भले ही यह उसकी अपनी भूमि की उपज न हो, पर उसके राशन-कार्ड के आगे गिनी जायेगी ।

(घ) कलकत्ता तथा दिल्ली में ये सस्ती दुकानें इसलिये खोली गई हैं, जिससे निकट-वर्ती उत्पादन-क्षेत्रों से इन क्षेत्रों में राशन वाले अनाजों का छुपे-चोरी आना कम हो जाये ।

**डाक तथा तार विभाग के गोरखपुर डिवीज़न के क्लर्क**

३६८. **श्री थूसिया** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग के गोरखपुर डिवीजन में स्थायी तथा अस्थायी क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) वहां अनुसूचित जातियों के कर्म-चारियों की संख्या कितनी है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** :

(क) स्थायी क्लर्कों की कुल संख्या १४९

अस्थायी क्लर्कों की कुल संख्या १०९

(ख) गोरखपुर में काम करने वाले अनुसूचित जाति वाले कर्मचारियों की संख्या :

स्थायी ४

अस्थायी ७

**पश्चिमी रेलवे में जलशीतक यंत्र**

३६९. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ के अन्त तक पश्चिम रेलवे में लगाये गये जल-शीतक-यंत्रों की संख्या और ऐसे स्टेशनों के नाम ;

(ख) उन पर किया गया कुल व्यय ;

(ग) १९५२-५३ के अन्त तक पश्चिम रेलवे में लगाये गये चलते-फिरते जल-शीतक-यंत्रों की संख्या और ऐसे स्टेशनों के नाम ;

(घ) शीतल पेय जल का विशेषत: वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में वितरण करने के लिये पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर किये गये प्रबन्ध तथा रेल मंत्री द्वारा विगत आयव्ययक सत्र में की गई घोषणा के बाद जिन स्टेशनों पर प्रबन्ध किये गये हैं, उनके नाम ;

(ङ) पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर जल-शीतक लगाने में अब तक की गई कुल राशि ; तथा

(च) १९५३-५४ वर्ष के अन्त तक जल-शीतक लगाने में होने वाले व्यय की प्राक्कलित राशि ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५**]

(ख) २,२९,७५९ रुपये ।

(ग) बम्बई सेंट्रल स्टेशन पर एक चलता जल-शीतक यंत्र काम कर रहा है । साथ ही अठारह स्टेशनों पर निम्न रूप में

ठंडे पानी की (ठेलों जैसी) २८ टंकियों का भी प्रबन्ध किया गया है ।

| | | |
|---|---|---|
| बम्बई सेण्ट्रल | १ | |
| बलसर | २ | |
| सूरत | २ | |
| भड़ोच | २ | |
| बड़ौदा | २ | |
| आनन्द | २ | |
| अहमदाबाद | २ | |
| बीरमगाम | १ | |
| गोधरा | १ | |
| रतलाम | १ | |
| उज्जैन | २ | |
| कोटा | १ | |
| गंगापुर | १ | |
| अजमेर | २ | |
| बांदीकुई | २ | |
| फुलेरा | २ | |
| आबू रोड | १ | |
| जयपुर | १ | |
| योग | १८ | २८ |

(घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या ६६**]

(ङ) २,५४,७१९ रुपये ।

(च) उपर्युक्त (ङ) में दिखाई गई पहले ही व्यय हो चुकी राशि के अतिरिक्त ८१,००० रुपये (लगभग) ।

### गोसदन

३७०. **श्री हेडा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** १९५१-५२ और १९५२-५३ में खोले गये गोसदनों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) विद्यमान गौशालाओं या पिंजरापोलों और इन गोसदनों के बीच क्या अन्तर है ?

(ग) क्या इन गौशालाओं को इन गोसदनों में बदलने से कुछ लाभ है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)**: (क)

| | |
|---|---|
| १९५१-५२ | कुछ नहीं । |
| १९५२-५३ | ९ |

(ख) विद्यमान पिंजरापोल और गौशालायें नियमतः नगरों में या नगरों के पास स्थित होती हैं और उत्पादक तथा अनुत्पादक पशुओं का धारण-पोषण करती हैं, जब कि गोसदन वन क्षेत्रों में केवल अनुत्पादक या अपंगु पशुओं के लिये ही स्थित हैं ।

(ग) नहीं ।

### राष्ट्रीय राजपथ

३७१. **श्री हेडा** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तुंगभद्रा परियोजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ में क्या परिवर्तन करने का विचार है?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : तुंगभद्रा परियोजना (तथा होस्पेट के निकटस्थ बांध) से राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । माननीय सदस्य शायद प्रस्तावित कृष्णा-पेन्नार परियोजना का निर्देश कर रहे हैं । जैसी सम्भावना है, यदि इस परियोजना के बांधस्थल को सिद्धेश्वरम् में रखा जाये तो राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ कुर्नूल वाले मार्ग पर काफी दूरी तक डूब जायगा । अतएव प्रयोगात्मक रूप में यह निर्णय किया गया है कि इस राष्ट्रीय राजपथ को माधवरम् और रायचूर हो कर ले जाया जाये ।

**कच्छ में छोटे बन्दरगाह**

३७२. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कच्छ में छोटे बन्दरगाहों के लिये पुनःसंगठित प्रशासनीय व्यवस्था क्या है ?

(ख) क्या यह प्रशासन आत्म-निर्भर है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) काण्डला को छोड़ कर जो कि एक बड़े बन्दरगाह के रूप में बनाया जा रहा है, कच्छ के छोटे छोटे बन्दरगाह अर्थात् माण्डवी, मुन्द्रा, जाखू, कोटेश्वर तथा लखपत का प्रशासन कच्छ के मुख्य आयुक्त, एक बन्दरगाह आयुक्त तथा एक बन्दरगाह इन्जीनियर की सहायता से चलाते हैं ।

(ख) जी हां, राजस्व व्यय के सम्बन्ध में कच्छ के छोटे छोटे बन्दरगाहों का प्रशासन आत्म-निर्भर है किन्तु कुछ सुधार कार्य के ऊपर किये जाने वाले व्यय के लिये ऋण दिये जा रहे हैं ।

**रेलवे लाइनें**

३७३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, १९५३ तक के काल में कितने मील लम्बी नई रेल लाइन बनाई गईं ; तथा

(ख) इस प्रकार बनाई गई नई रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). जनवरी से जून, १९५३ तक की अवधि में निम्नलिखित रेलवे लाइन बनाई गई हैं:

(१) डिग्गी-टोरडी सागर, १३ मील, १-२५-१९५३ को चालू की गई ।

(२) शोरानूर-अंगाडीपुरम्, १७.५० मील, १६-४-१९५३ को चालू की गई ।

(३) वासद-कथाना, २६.६० मील, १०-६-१९५३ को चालू की गई ।

योजना अवधि में जिन नई लाइनों को हाथ में लेने का विचार है तथा जिनके सम्बन्ध में अभी तक परिमाप नहीं किया गया है उनका काम अगले महीने आरम्भ हो जाने की आशा है ।

**साप्ताहिक वापसी टिकट**

३७४. **सेठ गोविन्द दास** : क्या रेल मंत्री यह बतलायेंगे कि किन किन रेलों पर साप्ताहिक वापसी टिकट प्रचलित किये गये हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्रीअलगेशन)** : अनुमान लगाया जाता है कि माननीय सदस्य रियायती साप्ताहिक वापसी टिकटों का निर्देश कर रहे हैं । यदि हां, तो अभी तक किसी रेलवे ने ऐसे टिकट जारी नहीं किये हैं ।

**प्लेटफार्मों का विस्तार**

३७५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में जून के महीने तक कितने रेलवे स्टेशनों और प्लेटफ़ार्मों का सुधार व विस्तार किया जा चुका है ।

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : अपेक्षित सूचना संग्रह की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

**ज़मीन का कटाव**

३७६. **श्री बर्मन** : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास ज़मीन कटाव के आंकड़े हैं—वरसात तथा हवा दोनों का कटाव ?

(ख) यदि हां, तो आंकड़े क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) मात्रा सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

**डिन्डीगल तथा त्रिचिन्नापोली के बीच डब्बों का पटरी से उतर जाना**

३७७. **श्री मुनिस्वामी :** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जुलाई, १९५३ के अन्तिम सप्ताह में दक्षिण रेलवे के डिन्डीगल तथा त्रिचिन्नापोली के बीच मालगाड़ी के ११ डब्बे पटरी से उतर गये थे?

(ख) क्या इस दुर्घटना के कारण कोई हताहत हुआ था ?

(ग) क्या दुर्घटना रात के समय हुई थी ?

(घ) दुर्घटना के मुख्य कारण क्या थे?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां । २९-७-१९५३ को २६०९ नम्बर की माल गाड़ी दक्षिण रेलवे, के त्रिचिन्नापोली-मदुरा छोटी लाइन सेक्शन पर कालपट्टीचतरम् और अय्यालूर के स्टशनों के बीच पटरी से उतर गई थी ।

(ख) जी हां । गार्ड और दो ब्रेकमैनों को थोड़ी सी चोट पहुंची थी ।

(ग) जी नहीं । दुर्घटना १०.३५ को दिन में हुई थी ।

(घ) ड्राइवर तथा गार्ड द्वारा समय पर ब्रेक न लगाना जो कि उन्हें नियमों के अनुसार लगाने चाहिये थे जिससे अलग हुये भाग निकल न भागते ।

**ड्रेजर**

३७८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के भारत में कितन बकेट ड्रेजर, डिप्पर ड्रेजर और सक्शन ड्रेजर हैं ;

(ख) भारत में कितने ड्रेजरों की आवश्यकता है ; और

(ग) विदेशी कम्पनियों के कितने ड्रेजर भारत में इस समय काम कर रहे हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) तथा (ख). सूचना सरलता से उपलब्ध नहीं है, संग्रह की जा रही है । यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) भारत सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

**बिहार में देहाती डाकघर**

३७९. **श्री रामधनी दास :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३ में बिहार राज्य में कितने देहाती डाकघर खोले जायेंगे ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) :** वर्ष १९५३-५४ में बिहार राज्य में २८६ देहाती डाकघर खोलने का विचार है ।

**अन्तर्राष्ट्रीय कार्य युवक अदला-बदली प्रोग्राम**

३८०. **श्री मुनिस्वामी :** खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अमेरिका में खेती के ढंग का अनुभव प्राप्त करने के लिये कुछ भारतीय किसान विद्यार्थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेजे गये हैं ?

(ख) क्या इन विद्यार्थियों का चुनाव हो गया है तथा वे किन किन राज्यों के रहने वाले हैं ?

(ग) क्या इन विद्यार्थियों में महिला विद्यार्थी भी हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । वे भारत के १५ विभिन्न राज्यों से आये थे किन्तु अन्तिम चुनाव उपयुक्तता के आधार पर किया गया था न कि राज्यों के आधार पर ।

(ग) जी नहीं ।

**नामली में डब्बों का पटरी से उतर जाना**

३८१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे को पहली अगस्त, १९५३ को रतलाम से छः मील दूर नामली स्टेशन पर १८ डब्बों के पटरी से उतर जाने के फलस्वरूप कितनी हानि उठानी पड़ी थी ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : पहली और दूसरी अगस्त, १९५३ की रात को लगभग १२ बज कर ५० मिनट पर डाउन माल गाड़ी नम्बर १३७० के १८ डब्बे पटरी से उतर गये थे जब कि वह पश्चिम रेलवे के खंडवा-अजमेर छोटी लाइन सेक्शन पर रतलाम और नामली स्टेशनों के बीच चल रही थी, जिसके फलस्वरूप रेलवे सम्पत्ति को लगभग ४,७०० रुपये की हानि पहुंची थी

**डब्बों का पटरी से उतर जाना**

३८२. **श्री मुनिस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जुलाई और अगस्त, १९५३ के महीनों में रेलों के डब्बे कितनी बार पटरी से उतर गये हैं ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जुलाई, १९५३ के महीने में रेलों के डब्बे ११५ बार पटरी से उतरे । अगस्त, १९५३ के आंकड़े महीना समाप्त होते ही प्रस्तुत कर दिये जायेंगे ।

**सुलतानपुर-जाफराद रेलवे लाइन पर क्वार्टर**

३८३. **श्री गणपति राम** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुलतानपुर-जाफराबाद रेलवे लाइन पर स्थित स्टेशन इमारतों तथा रहने के क्वार्टरों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) ऐसी इमारतों की देखभाल करने के लिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है ;

(ग) उन पर व्यय की जाने वाली वार्षिक राशि क्या है ;

(घ) सरकारी प्राधिकारियों तथा ग़ैरसरकारी व्यक्तियों को कितनी इमारतें पट्टे पर दी गई हैं ; तथा

(ङ) अब तक कितना किराया वसूल किया गया है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ६ स्टेशन इमारतें और ६८ रहने के क्वार्टर ।

(ख) ४ चौकीदार ।

(ग) प्रतिवर्ष २,२८० रुपये ।

(घ) सुलतानपुर-जाफराबाद सेक्शन के समाप्त कर दिये जाने पर वहां की समस्त इमारतें और ज़मीनें असैनिक प्राधिकारियों को दे दी गई थीं जिससे वे ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को पट्टे पर उठा दें ।

(ङ) अब तक असैनिक प्राधिकारियों ने २१,३३० रुपये खाते में डाले हैं ।

**गुन्टुर में डाकघर**

३८४. **श्री एस० बी० एल० नरसिंहम्** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के गुन्टूर ज़िले में वर्ष १९५२-५३ में कितने डाकघर खोले गये हैं ; तथा

(ख) उन में से कितने डाक तथा तारघर हैं ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) मद्रास राज्य के गुन्टूर जिले में वर्ष १९५२-५३ में खोले गये डाकघर :

| | |
|---|---|
| शहरी | ७ |
| देहाती | २ |

(ख) १९५२-५३ में खोले गये नौ के नौ कार्यालय केवल डाकघर हैं । वे तार-घर नहीं हैं ।

**पीलीभीत में कोयले की चोरी**

३८५. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ तथा १९५३ के वर्षों में पूर्वोत्तर रेलवे पर स्थित पीलीभीत रेलवे स्टेशन में कच्चे कोयले की कितनी चोरियां पकड़ी गईं अथवा कितनों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गई ; तथा

(ख) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) केवल एक ।

(ख) इस मामले की सूचना पीलीभीत स्थित रेलवे पुलिस को दी गई तथा इस समय इसकी जांच हो रही है ।

**राष्ट्रीय राजपथ**

३८६. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या यातायात मंत्री सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में कि वह राष्ट्रीय राजपथ, राज्य-वार, दिये गये हों जो कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बन र हैं, तथा इनकी अलग अलग लम्बाई भी दी जाये ?

**रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : एक विवरण जिस में कि अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रख दिया जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७]

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**

३८७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्तर्रा-ष्ट्रीय श्रम संस्था के विशेषज्ञों के एक दल को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संघटन सम्बन्धी पहलुओं का अध्ययन करने के लिये तथा उन पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये निमंत्रित किया था ;

(ख) यदि किया था, तो क्या इस दल ने अपनी रिपोर्ट पेश की है ; तथा

(ग) इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के विशेषज्ञों की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त की गई है तथा इस पर अब विचार किया जा रहा है । इस रिपोर्ट की मुख्य बातों के सम्बन्ध में एक विवरण यथा समय सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

बृहस्पतिवार,
२० अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

चौथा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

८२९ ८३०

# लोक सभा

बृहस्पतिवार, २० अगस्त १९५३

---

**सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई**

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्न और उत्तर

**(देखिये भाग १)**

---

९.१६ म० पू०

## आन्ध्र राज्य विधेयक

**श्री के० सुब्रह्मण्यम** (विजियानगरम्) : मैं आन्ध्र राज्य विधेयक १९५३ के सम्बन्ध में एक याचिका प्रस्तुत करता हूं जिस पर एक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं ।

---

## आन्ध्र राज्य विधेयक—जारी

**सभापति महोदय** : अब हम विधान संबन्धी कार्य आरंभ करते है । १३ अगस्त १९५३ को डा० कैलाशनाथ काटजू द्वारा रख गये प्रस्ताव पर वाद विवाद जारी हो ।

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री** (डा० काटजू) : कल के वाद विवाद में माननीय सदस्यों ने समस्त भारत का अवलोकन कर डाला तथा अनेक प्रकार के मतों का स्पष्टीकरण किया । पहले दो दिन, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा था, आन्ध्र देश तथा तामिल नाड के माननीय मित्र परस्पर एक दूसरे को बधाईयां देते रहे तब बाद वाले दो दिनों में भाषावार प्रान्तों के सिद्धान्त का प्रतिपादन होता रहा । सब तरह की विचार धारायें मैं ने सुनीं—सम्पूर्ण समर्थन, सम्पूर्ण विरोध की तथा ऐसी जिन में आरंभ तो विरोध से किया गया परन्तु अन्त अधिकतम समर्थन में हुआ । मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस वाद विवाद से कोई यह नहीं कह सकता कि अधिकतर व्यक्तियों का मत क्या है । हो सकता है कि वे सदस्य जो आज इस सिद्धान्त का समर्थन कर रहे हैं कल इसी के विरोधी हो जावें । मेरी समझ में यह आया है कि भाषा का सम्बन्ध ही समृद्धि तथा स्वर्ग की एक मात्र कुंजी है । एक भाषा भाषी व्यक्तियों को आप एकत्रित कर दें तो वह एक होकर अपनी आवाज़ उठायेंगे जैसे कि सारे आर्थिक प्रश्न हल हो गये और सारी कठिनाइयां दूर हो गईं ।

मैं, एक ऐसे स्थान से आया हूं जो मेरा जन्म स्थान है तथा मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है अर्थात मध्य भारत । भाषा

[ डा० काटजू ]

हिन्दी है । यह कई रियासतों का समूह है--ग्वालियर, इंदोर तथा अनेक छोटी छोटी रियासतें । आप मध्य भारत तथा ऐसे राज्यों में जायें जहां भाषा का कोई प्रश्न नहीं है आप को हर प्रकार की कठिनाइयां मिलेंगी । शताब्दियों से लोग एक संगठन में रह रहे हैं उनके सम्बन्ध बन गये हैं । जब हम भाषा के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हम यह बात भूल जाते हैं । जहां तक भाषाओं का प्रश्न है मेरे माननीय मित्र आचार्य कृपालानी ने उस समय से इतिहास बताया है जब वे कांग्रेस के साधारण सचिव थे । ३० वर्ष से सारी कांग्रेस इसी आधार पर पुनर्संगठित हो रही है । किसी माननीय सदस्य ने पंडित मोती लाल के प्रतिवेदन से एक दो वाक्य सुनाये । मैं इस का विरोध नहीं करता हूं । मैं तो केवल इतना कहता हूं कि हमारे हां वयस्कताधिकार तथा प्रजातंत्रात्मक संस्थायें हैं; हम इसलिये एकत्रित होते हैं कि एक दूसरे को समझें एक दूसरे को अपनी बात समझावें तथा उस की बात समझें । इस के लिये भाषा के एक होने की आवश्यकता है अन्यथा प्रत्येक विधान सभा संयुक्त राष्ट्र की महा-सभा हो जायेगी । भाषावार प्रान्तों के पक्ष में यह एक तर्क हो सकता है। मुझे प्रसन्नता है इस वाद विवाद में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य ने सारे भारत की एकता को अक्षुण्ण रखने की चिन्ता प्रकट की है ।

इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं था यदि किसी ने यह कहा कि भाषा के आधार पर प्रान्तों की रचना से भारत की एकता को क्षति पहुंचेगी तो मुझे याद है कि अगले वक्ता ने इस का सख्त विरोध किया था । मुझे याद है कि माननीय मित्र श्री गाडगिल ने ऐसा किया था । मुझे यह भी याद है कि कल एक ने कहा था कि हम बुद्धू नहीं हैं कि हम भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने की इच्छा करें तथा भारत की एकता की बलि दे दें । मैं कहना चाहता हूं कि मेरी यह आकांक्षा है--मैं नहीं जानता कि आप इसे स्वीकार करते हैं अथवा नहीं--कि मैं भारत के प्रत्येक गांव में--कृपया याद रखें मैं गांव कह रहा हूं--जा सकूं और वहां के लोगों से सीधे बात कर सकूं और उन्हें अपनी बात समझा सकूं तथा जो वे मुझ से कहना चाहते हैं उसे समझ सकूं । मैं उत्तरी भारत के गांव की बात नहीं कर रहा जो तथा-कथित हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र है अथवा उन राज्यों की बात नहीं कर रहा जिन के साथ--उड़ीसा और बंगाल--मेरा कई प्रकार से सम्बन्ध है । मैं त्रावंकुर के गांवों की बात कह रहा हूं जहां मैं कभी नहीं गया । इसलिए मुझे उन माननीय सदस्यों की बात पसन्द करनी चाहिये थी जो भाषा के आधार पर जोर दे रहे थे और यह भी कह रहे थे कि प्रत्येक प्रान्त में, चाहे आप इसे भाषा के आधार पर अथवा अन्य आधार पर बनाएं, राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान प्राप्त करने पर भी समान रूप से आग्रह करना चाहिये। यहां मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा कि आप किसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। संविधान में इस के लिए विधान है । यदि आप इसे नहीं चाहते तो आप इसे बदल सकते हैं, संविधान बदला जा सकता है । सरकार के सदस्य के रूप में नहीं वरन् निजी तौर पर मैं ने यह विचार प्रकट किया था, जिसको कि मैं ने आमूल रूप से बदला नहीं है, ताकि इस से इस भावना अथवा विचार

का निवारण हो कि जनता का एक विशेष भाग राष्ट्रीय भाषा का लाभ उठा रहा है, हम भाषाओं की माता संस्कृत को ही राष्ट्रीय भाषा बना सकते हैं। मैं संस्कृत का विद्वान बिलकुल नहीं हूं। मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री इस के पण्डित हैं, परन्तु मैं ने हाल में ही सुना है कि इस भाषा को सुगमता से ६ मास में सीखने के लिए—कालीदास जैसी रचना नहीं—ढंग बनाए जा चुके हैं। आप संस्कृत अवश्य ६ महीनों में बोल सकते हैं। यह बहुत कठिन कार्य नहीं हैं। परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री टंडन आ गये हैं इसलिये मैं इस प्रश्न को नहीं उठाना चाहता।

**श्री टंडन** (जिला इलाहाबाद–पश्चिम): आप अधिक संभल कर और संयम से बोल रहे हैं।

**डा० काटजू**: वे मेरे गुरु हैं संभवतः माननीय सदस्यों को यह विदित नहीं है। आप की राष्ट्रीय भाषा कुछ भी हो आप भाषा के आधार पर कितने प्रान्त बनायेंगे यह १० हो सकते हैं १०० हो सकते हैं, इस से मुझे कुछ अन्तर नहीं पड़ता, हमें इस बात पर आग्रह करना चाहिये कि राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान केवल, शहरों, नगरों और कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे वरन् यह इस देश के प्रत्येक निवासी का घरेलू अधिकार होना चाहिये। यदि आप इसे सीख लें तो संगठन छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। मुझे इसका भय नहीं क्योंकि यहां जीवन की महत्वपूर्ण बातों तथा आर्थिक स्थिति और सब कुछ के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक आवश्यक है क्योंकि यदि आप दूसरे देशों में जाएं—अर्थात् संयुक्त राज्य में—तो एक ओर आपको न्यूयार्क जैसा बहुत समृद्ध और बहुत जनसंख्या वाला राज्य मिलेगा तो दूसरी ओर मैं एक छोटे राज्य वरमौंट को जानता हूं जहां मेरे मित्र रहते हैं और जिस की जनसंख्या ५ लाख है। रोडज़ आईलैंड जैसे अधिक छोटे राज्य भी हैं जिन की जनसंख्या ३॥ लाख है। इसलिये जब आप भाषा के आधार पर प्रान्तों की रचना के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तो जो मैं ने राष्ट्रीय भाषा के सम्बन्ध में कहा है उस महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखना बहुत आवश्यक है। मैं आग्रह, विनम्रता और कुछ ज्ञान के साथ कहता हूं कि हमारे पुराने सम्पर्कों, शताब्दियों पुराने सम्पर्कों से दृढ़ सम्बन्ध उत्पन्न हो जाते हैं जो एक दिन में नहीं तोड़े जा सकते।

अब आप इसी मामले को लें। जिन माननीय सदस्यों ने सभा में बोला है उन्होंने मेरे साथ लाबीज़ में भी बात की है। वे पूछते हैं कि रायलसीमा के सम्बन्ध में क्या स्थिति है। उन्होंने भय व्यक्त किया है कि संभवतः नए आन्ध्र देश में उनके हित सुरक्षित न हों और रायलसीमा के लोगों ने इस सभा में कहा है कि इस विधेयक में आन्ध्र देश की सरकार पर यह आग्रह करने के लिये कि वे रायलसीमा के आर्थिक विकास का विशेष ध्यान रखें, एक निदेश संसद् द्वारा निविष्ट किया जाना चाहिये। अब यह मामला है। इस से स्पष्ट पता चलता है कि केवल आन्ध्र देश के निर्माण से आप की कठिनाइयों का अन्त नहीं हो जाता। आप विश्वास करें—मैं फिर अनुभव की बात कह रहा हूं—यदि आप एक महा राज्य निर्माण करें—अब प्रत्येक चीज़ "विशाल" है, जैसे विशाल महाराष्ट्र उन्होंने यही शब्द "विशाल" प्रयोग नहीं किया, कहीं पर यह "महा" है और कहीं पर "संयुक्त", तो क्या होगा?

[डा० काटजू]

मैं ने मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री से पूछा कि महाराष्ट्र स्थापित करने के सम्बन्ध में वह क्या कहते हैं। वे बोले कि हां हम सर्वथा तैयार हैं इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं। जिस दिन जिस घड़ी नागपुर के महाराष्ट्रियों ने—उनके आठ जिले हैं—कहा कि वे जाना चाहते हैं तो हम उन्हें चाय पार्टी देंगे। उन्होंने कहा कि वे शान्ति सहित आस्तियों की पूर्णतः बांट करेंगे। मध्यप्रदेश के महाराष्ट्री बहुत भयभीत हैं, बरार के ४ जिलों में उनका २ शताब्दियों का सम्पर्क है और नागपुर के साथ और २ शताब्दियों का सम्पर्क है। हां तो वहां पूना है एक बड़ा स्थान है, शिवाजी का महान नाम पूजा के योग्य है परन्तु वे नहीं जानते कि वहां किस प्रकार के मित्र रहते हैं। जब भी यह स्थापित हुआ पहला विवाद यह होगा कि राजधानी कहां हो, दूसरा यह कि उच्च न्यायालय कहां हो और तीसरे यह विवाद होगा कि उद्योग संचालक का कार्यालय कहां स्थापित किया जाये।

इसलिए मैं केवल अपनी सीधी सादी भाषा में सभा को चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्हें अन्य बातों की अवहेलना करके केवल भाषा के सम्बन्ध से प्रभावित नहीं होना चाहिये। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल किसी ने कहा—मैं नहीं जानता कि उस ने गंभीरता से कहा अथवा अन्यथा—कि ट्रावनकोर-कोचीन अवशेष मद्रास राज्य को दिया जाए, मैं नहीं जानता कि क्या इस ने अधिकृत रूप से कहा क्योंकि तुरन्त पश्चात् कुछ अन्य लोगों ने उसका खण्डन किया था। हम में से प्रत्येक जो यहां बोलता है वह सप्रमाण बोलता है क्योंकि वह संसद का सदस्य है। परन्तु अन्य सदस्यों ने उस का खंडन किया था मैं यह सर्वथा समझता हूं कि ज़मोरिन बहुत काल तक अर्थात ७, ८ शताब्दियों तक कोचीन से सम्बन्धित रहा है।

सरदार हुकम सिंह ने तुरन्त घोषणा का प्रश्न उठाया था, कई अन्य माननीय सदस्यों ने इस का समर्थन किया है। सरकार इस के लिए वचनबद्ध है और अखिल भारतीय सीमा आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाएगा। यह बहुत सशक्त होगा इस के कार्य की शर्तें बहुत विस्तृत होंगी और यह सारे देश में जायगा न केवल दक्षिण में वरन् उत्तर में, पूर्व में और पश्चिम में भी। कृपया याद रखिये कि मुझे शंका है। मैं बताऊंगा कि मैं क्यों शंकास्पद हूं क्योंकि मैं कुछ ही वर्षों में जो मेरे पास बचे हैं देश के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में कुछ वास्तविक कार्य करना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य प्रायः ऐसा कहते हैं मैं ऐसा नहीं कहता। आप प्रत्येक ग्रामीण के जीवन स्तर को उठा कर, नौकरी का उपबंध करके और ऐसी सब बातें करके, स्वतन्त्रता के प्रकाश का अनुभव करा सकते हैं। जब सीमा आयोग नियुक्त होगा तो क्या होगा? सीमा आयोग आए यह कुछ ही महीनों की बात रह गई है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि २, ३ वर्ष तक जितनी देर सीमा आयोग काम करेगा सारे देश में हलचल रहेगी। संभवतः दरिद्र ग्रामीणों के सिवाए कोई वास्तविक आधार पर नहीं सोचेगा। पंच वर्षीय योजना की सामुदायिक परियोजनाएं सब भूल जाएंगी और गोदावरी की बाढ़ें आएंगी और चली जाएंगी और कोई व्यक्ति उन के सम्बन्ध में नहीं सोचेगा

कोसी और दामोदर की बाढ़ें आएंगी और चली जाएंगी और कोई उन के विषय में नहीं सोचेगा, परन्तु हर एक विशाल बनने का प्रयास करेगा।

मैं उड़ीसा से भली प्रकार परिचित हूं यहां कुछ संशोधन रखे गये थे। उड़िया लोग कहते हैं कि उन्हें हीरासभा, सरायपाली, चाहिये और वे बस्तर, गंजम और कोरापट के कुछ भाग लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमारा गंजम और हमारा कोरापट खो गया है और श्री गोपालन कोरापट से परिचित हैं। वे कहते हैं कि वे इसे वापस लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि वे अवशेष मद्रास राज्य से कुछ लेना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग होना चाहेगा। विशाल बिहार और विशाल बंगाल बनेंगे। मैं कहता हूं इन सब "विशालों" के लिए पोषण का प्रबंध कौन करेगा? मैं कहता हूं मुझ से सारा मध्य भारत ले लीजिए। उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और मेरा घर भी ये सब ले लीजिए। मेरे मित्र जयपाल सिंह यहां नहीं उन्होंने एक और सिद्धान्त निकाला था उन्होंने उद्योगी प्रान्तों का सिद्धान्त निकाला है। यह बहुत अच्छा है। इन सब प्रान्तों में राजधानी के सम्बंध में कठिनाई होगी। परन्तु छोटा नागपुर में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। रांची भारत के इतिहास में एक इतिहास प्रसिद्ध स्थान है।

मैं उसी बात पर आता हूं। जब हम भाषा के आधार पर प्रान्तों की रचना पर चर्चा कर रहे थे तो यह चर्चा कुछ सैद्धान्तिक प्रकार की थी। श्री गाडगिल को तो भाषावार प्रान्तों की बात करते हुए कुछ जोश आ गया था। उन्होंने कहा "हम इस के लिए लड़ेंगे हम इसे पाएंगे" इत्यादि।

**श्री जे० बी० कृपलानी** (भागलपुर व पूर्निया) : यदि इतनी कठिनाइयां हैं तो विधेयक वापस क्यों नहीं ले लेते ?

**डा० काटजू** : यदि आन्ध्र और तामिल-जन सहमत हों तो हमें बहुत प्रसन्नता हैं। मैं विश्वास दिलाऊं मुझे बहुत संतोष होगा। आन्ध्र और तामिल के सदस्य इकट्ठे आएं और कहें कि हम अलग नहीं होना चाहते। मैं अपनी ओर से चाय पार्टी दूंगा।

मैं कहना चाहता हूं कि जब आप इस प्रश्न पर आएं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है; हम कटुता को बढ़ाना नहीं चाहते। जिस प्रकार की चर्चाएं यहां और देश में हो रहीं हैं उन से मुझे भय हो गया था कि जब अखिल भारतीय सीमा आयोग बैठेगा और इन विषयों पर विचार करेगा तो हम से कई गलतियां होंगी। मेरे माननीय मित्र श्री गाडगिल जानते हैं ....

**श्री जे० बी० कृपलानी** : मैं सरकार से ऐसी समिति नियुक्त करने के लिए नहीं कहता जिस से अधिक दुविधा उत्पन्न हो।

**डा० काटजू** : आप ने ऐसा कहा है मैं आप के शब्दों का उद्धरण दे सकता हूं। आप ने सरकार से यह तुरन्त करने के लिए कहा है।

मैं कह रहा था कि संयुक्त करनाटक आंदोलन में आज क्या हो रहा है ? लड़के रेल की लाइनों पर लेट रहे हैं।

जहां तक सीमा आयोग का प्रश्न है, हम सब--यहां सदन में और बाहर--ज़िम्मेवार लोग हैं। हमें क्रोध न कर के ज़िम्मेवार ढंग से कार्य करना चाहिए। आमरण अनशन तथा गैर-अनुशासनात्मक

[डा० काटजू]

कार्यवाहियां करना उचित तरीका नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक सम्प्रदाय अपना मत सीमा आयोग के सम्मुख सर्वोत्तम तरीके से रखे। हम यह बात देखेंगे कि सीमा आयोग में ऐसे व्यक्ति हों जिनमें सबका विश्वास हो। हमें आगामी दो या तीन वर्षों में बड़ी सावधानता तथा तर्क-युक्त तरीके से इस सम्बन्ध में आगे बढ़ना है। बिना किसी प्रकार का आन्दोलन किए हमें अपना मामला सीमा आयोग के सम्मुख रखना चाहिए।

सदन यह देख चुका होगा कि सरकार ने सीमा आयोग का विधेयक में कोई जिक्र न कर के, इस मामले को पूर्णतया राष्ट्रपति के आदेश पर छोड़ कर, तथा सीमा आयोग के कार्य को अवशिष्ट मद्रास राज्य, नवीन आन्ध्र देश तथा मैसूर की सीमा-रेखा निर्धारण सीमित लक्ष्य तक परिमित कर के सरकार ने ठीक ही कार्य किया है। जो संशोधन प्राप्त हुए हैं, मैं ने उन्हें भली भांति देखा है। वे परस्पर-विरोधी हैं। उन में से कोई तो इसका पक्षपोषक है कि उड़ीसा में कुछ भाग मिला दिया जाए; कोई यह अपेक्षा करता है कि उड़ीसा का कुछ भाग हैदराबाद में मिला दिया जाए। इसी प्रकार कोई मैसूर में के कुछ ले लेने की अपेक्षा करता है। ये सब प्रश्न सीमा-आयोग पर छोड़ देने चाहियें।

जहां तक सीमा-आयोग का सम्बन्ध है, मैं केवल यही चाहता हूं कि आन्ध्र सरकार पहली अक्तूबर से काम आरम्भ कर दे। इस में अभी छः सप्ताह शेष हैं। अखबारों में समाचार आ रहे हैं कि गोदावरी में बाढ़ आ गया है और बहुत नुकसान हुआ है। नई सरकार को सहायता कार्य तथा अन्य बहुत से कार्य अपने हाथ में लेने होंगे। सब से ज़रूरी चीज़ यह है कि कोरी बातें न करके सरकार काम पर जम जाए। वह काम तो आयोग पर छोड़ा जा सकता है।

अब मैं बेल्लारी के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। बहुत से आन्ध्र मित्र आते हैं और कहते हैं कि जहां तक बेल्लारी ताल्लुका का सम्बन्ध है कृपया याद रखिए कि बेल्लारी एक ताल्लुका है और बेल्लारी नगर उस का एक भाग है, और तथ्यों की उपपत्ति के लिए एक दूसरी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जस्टिस वांचू की रिपोर्ट पर हमने छः ताल्लुके मैसूर को और तीन आन्ध्र को दिए थे। हम दोबारा जांच के लिए भी तैयार हो गए और जस्टिस मिश्रा को नियुक्त किया। उन्होंने अपना निर्णय दिया। हमने उसे स्वीकार कर लिया। मुझे अखबारों में यह पढ़ कर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि जस्टिस मिश्रा ने जनमत लेने की सिफारिश की है। मैं ने रिपोर्ट को बार-बार पढ़ा किन्तु मुझे नहीं मालूम हुआ कि जनमत के लिए उस में कहां कहा गया है। बेल्लारी ताल्लुके में कन्नड़ों की संख्या, जस्टिस मिश्रा के अनुसार, २१,००० से अधिक है। तेलुगुओं की संख्या ५१,६१२ है। बेल्लारी नगर में ऐसे लोग हैं जो न तो तेलुगु बोलते हैं और न कन्नड़। ये मुसलमान हैं। जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि यह एक असाधारण स्थिति है। उन्होंने कहा है कि "ऐसी स्थिति में यह कहना अत्यन्त कठिन होगा कि उनमें से अधिक संख्या इस दल के पक्ष में है अथवा उस दल के पक्ष में।" उन्होंने बतलाया है कि मुसलमानों का एक दल उन से मिला जो मैसूर के साथ मिलना चाहता था। एक

दूसरा मुसलमानों का दल भी उनसे मिला जो पहले का विरोधी था। दोनों दलों के समर्थकों की संख्या बराबर प्रतीत होती थी। जस्टिस मिश्रा ने आगे कहा है बिना मतदान के यह ठीक-ठीक कहना सम्भव नहीं है कि दोनों पक्षों में से किस को अधिक मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है। बस केवल इसी स्थान पर 'मतदान' शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : मैं माननीय मंत्री का ध्यान रिपोर्ट के पृष्ठ ६ के पैरा ९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस में कहा गया है कि :

> "प्रत्येक पार्टी ने मुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि लोगों को जो केवल १९३१ की जनगणना के आंकड़े तब तक उपलब्ध थे, वे गलत हैं और प्रत्येक पार्टी का यह दावा था कि उसके समर्थकों की संख्या सब से अधिक है।"

समस्त तालुक, केवल मुस्लिम आबादी नहीं। फिर,

> "मतदान को छोड़ कर, यह कहना असम्भव है कि बहुमत किस ओर है।"

वास्तविक वाक्य यह है। यह केवल मुसलमान जनसंख्या से नहीं समस्त तालुक से सम्बन्धित है।

**डा० काटजू** : जहां तक जनगणना का प्रश्न है, जस्टिस बांचू ने कहा है कि उन्होंने इस बात को देखने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया है कि ये आंकड़े अच्छी तरह जांच लिए जायें। उच्च पदाधिकारी गए थे और उन्होंने वहां नमूने के आपरीक्षण किए थे तथा पुनः गणना की थी। जस्टिस बांचू इस निदान पर पहुंचे हैं कि १९५१ के इन आंकड़ों में कोई गलती नहीं प्रतीत होती। जो आंकड़े मैं ने आपको दिए, अर्थात् ९१,००० और ५१,०००, इन में से यदि आप तेलुगुओं के साल में ३०,००० की समस्त मुस्लिम जनसंख्या को भी जोड दें तो भी वह ८१,००० होती है और दूसरा पक्ष लगभग १०,००० के बहुमत में होगा। इसलिए मतदान का यह सुझाव समय नष्ट करना होगा क्योंकि आंकड़ों के विषय में कोई विवाद नहीं है।

तब, किसी ने अस्थायी राजधानी के बारे में कहा कि अस्थायी राजधानी का क्या मतलब है, अस्थायी राजधानी की क्या आवश्यकता है? इस से हमारा प्रयोजन यह है कि नियुक्त दिन के पश्चात् जब कि नवीन आंध्र सरकार आसन ग्रहण करेगी उसके कार्य करने के लिए कोई स्थान तो होना चाहिए। पहली अक्तूबर को उसे स्थान का चुनाव करना है। यह काम हमने मई के मास से उसी के ऊपर छोड़ दिया था। पांच दिन की बैठक के बाद उन्होंने हमारे पास रिपोर्ट भेजी कि हम कुरुनूल को स्थायी राजधानी बनाना चाहते हैं। इसलिए परिणाम यह होगा कि पहली अक्तूबर को जब वहां की सरकार कार्य करना प्रारम्भ करेगी तो कुरुनूल में जाकर वह कार्यारम्भ कर सकेगी। हम उनसे किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठकर कार्य करने के लिए नहीं कह सकते। अस्थायी राजधानी के पीछे यही विचार था। भारत सरकार की सम्मति यह है कि यह सभी प्रश्न घरेलू प्रकार के हैं और इनसे और अधिक कुछ नहीं हैं। मैं यह सुझाव दे रहा था कि इन नए राज्यों में मुझे यह अनुभव होता है जैसे अपने अपने मतलब की सब को पड़ी हो। राजधानी कहां हो, उच्च न्यायालय कहां रखा जाये, हमारे नगर में क्या हो, यही

[डा० काटजू]

बातें हो रही हैं देश की दशा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

श्री बाघ समझौते का निर्देश किया गया है । उस में इसी आधार पर कार्य किया गया है कि यदि तुम राजधानी अपने यहां चाहते हो तो यहां उच्च न्यायालय रहेगा । मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कहां तक युक्तियुक्त है । वकील होने के नाते मेरी सम्मति है कि सरकार का मुख्य स्थान और उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान एक ही जगह होना चाहिये । प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कायसंचालन में और विशेष रूप से विधि निर्माण में वकीलों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है । यदि सरकार का प्रधान स्थान तथा उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान अलग अलग स्थानों पर रखे जायेंगे तो हम को इस वर्ग के असीमित अनुभव से वंचित रहना होगा । बम्बई तथा कलकत्ता में सदन की बैठक चार बजे शाम को प्रारम्भ होकर आठ बजे तक चलती रहती है क्योंकि ऐसा करने से विधान जी की परिषद् के वह सदस्य जो विधान सभा के भी सदस्य हैं सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं यह सभी प्रश्न कि राजधानी कहां हो उच्च न्यायालय कहां हो इत्यादि सीमा आयोग के समक्ष तो उठाये जायेंगे ही ।

अब मैं परिसम्पत् के विभाजन का प्रश्न लेता हूं । जहां तक परिसम्पत् के विभाजन का प्रश्न है मैं अपने कार्यबन्धु वित्त मत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आर्थिक दृष्टि से भारत सरकार की स्थिति बना दी है और यह भी बता दिया है कि इस मामले के सम्बन्ध में जांच करने के लिए किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में किसी आयोग के नियुक्त किये जाने की बात को स्वीकार करने में वह क्यों असमर्थ हैं । एक बात यह भी है नक़दी जैसी कोई चीज़ नहीं जिसे बांटा जाय । दूसरी बात यह है कि आयोग के कार्य का प्रारम्भ कब से होगा । क्या क्लाइव के समय से अब तक का हिसाब करना होगा । यह सब करना तो बहुत कठिन होगा न्यायाधीश श्री वांचू न जिस २३० लाख रुपये की सिफ़ारिश की है वह रकम काफी जांच के पश्चात् निश्चित की गई है ।

**एक माननीय सदस्य** : पर वह तो नक़द नहीं है ।

**डा० काटजू** : यह मैं जानता हूं । मेरे विचार से आन्ध्र राज्य के लिए सब से उत्तम बात अपना कार्य प्रारम्भ कर देना, अपनी योजनायें बनाना और फिर भारत सरकार के वित्त मंत्री से सहायता मांगना है । वह यह कह सकता है कि पिछले दिनों में उसकी उपेक्षा की जाती रही है उसे विकसित नहीं किया गया है । यदि प्रार्थना इस प्रकार से की गई तो आशा है कि वित्त मंत्री उस पर ध्यान देंगे ।

अन्त में मैं एक दो शब्द न काम में आये भांडारों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा । मैं ने यह जांच की थी कि यह न काम में आये भांडार क्या थे और मुझे यह सूचना मिली है कि यह वह सामान हैं जो विन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पृथक् रक्षित किये गये हैं । इनको प्राप्त करके गन्तव्य परियोजनाओं के स्थानों को भेज दिया गया है । केन्द्रीय भांडार में जो वस्तुएं हैं वह दो तरह की हैं । एक तो पानी के लिए लोहे के नल हैं । जल की व्यवस्था

करना एक केन्द्रीय विषय है और इन लोहे के नलों को सरकारी भांडारों की भांति प्राप्त कर के जिलावार बांट दिया जाता है। आदेश जारी कर दिये गये हैं कि केंद्रीय स्टोरों से कोई सामान न निकाला जाये। अतः अब केन्द्रीय स्टोर में दो वस्तुएं ही हैं, एक तो बचेखुचे लोहे के नल और दूसरे लेखन सामिग्री।

**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि मुचुकन्द परियोजना के लिए मंगाई गई वस्तुओं को आन्ध्र से बाहर ले जा कर दक्षिण में काम में लाया गया है ?

**डा० काटजू** : इस मामले पर मद्रास विधान सभा में चर्चा हुई थी। मद्रास सरकार ने निश्चित रूप से इसे ग़लत बताया था। मैं ने न काम में आये भांडारों की बात इसलिये को ताकि सदन को ज्ञात हो जाये कि यह कितनी क्षुद्र सी बात है। इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे और कुछ अधिक नहीं निवेदन करना है। हम प्रार्थना करते हैं कि आन्ध्र राज्य का भविष्य उज्जवल हो। एक मित्र की भांति मैं एक परामर्श देना चाहता हूं। इस सीमा आयोग की बात को भुला दीजिये। इस प्रश्न पर एक वर्ष, दो वर्ष या तीन वर्ष के बाद भी विचार किया जा सकता है। आपका पहला कर्तव्य राज्य को स्थापित करने का है। अपने संसाधनों को संगठित कीजिए, अपने शासन यंत्र को सुदृढ़ कीजिये। यदि आप उच्च न्यायालय चाहते हैं तो उसे स्थापित कर लीजिये अन्यथा वह जहां अब है उसे वहीं ही रहने दीजिये। चन्द गावों के विभाजन पर अपनी शक्ति व्यय न कीजिये।

**श्री पी० आर० राव** (वारंगल) : तेलंगाना में जो एक करोड़ आन्ध्र रहते हैं उनके बारे में आपने जिक्र नहीं किया।

**डा० काटजू** : जी हां, मैंने कहा, आपने सुना नहीं। मैं ने यह अर्ज किया कि जो अखिल भारतीय आयोग बैठेगा वह सब देखेगा। वह भाषा के बारे में भी देखेगा और बाकी सब बातें देखेगा। वह आयोग सब मौकों पर जायेगा और सब बातों को देखेगा।

**डा० लंका सुन्दरम्** : माननीय मंत्री ने रायलासीमा की जनता की सुरक्षा के लिए विधेयक में किसी प्रकार के निर्देशक सिद्धांत के रखे जाने के लिए आग्रह किया है। अभी तीन दिन इस विधेयक पर और चर्चा होनी है, अतः इस प्रश्न पर क्या आन्ध्र सदस्यों की सम्मति ज्ञात नहीं की जा सकती है ?

**डा० काटजू** : मैं ने इसके विषय में क़ानूनी परामर्श किया है। यह संविधान के संशोधित किये जाने की बात हो सकती है परन्तू इस विधेयक के खंड ३ और ४ के अनुसार हम ऐसा कोई निर्देशक सिद्धान्त आदिष्ट नहीं कर सकते हैं। यह बात सामान्य निर्देशक सिद्धान्तों में आ सकती है। मुझे आशा है कि एक अक्तूबर को बनने वाली आन्ध्र सरकार तथा भविष्य में बनने वाली आन्ध्र सरकारें यदि रायलसीमा की उपेक्षा करेंगी तो वह निश्चय ही अपने कर्तव्य से च्युत हो जायेंगी। इस प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है।

**सभापति महोदय** : अब मैं लंका सुन्दरम् के विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने से सम्बन्ध रखने वाले संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"विधेयक को डा० कैलाशनाथ काटजू, श्री बलवन्त नागेश दातार, श्री आर० वेंकटारमन, श्री एस० वी० रामास्वामी, श्री एस० निजलिंगप्पा, श्री सी० आर०

[सभापति महोदय]

बासप्पा, श्री वी० रामचन्द्र रेड्डी, डा० एन० एम० जयसूर्य, श्री कडयाला गोपाल-राव, श्री कोठा रघुरामय्या और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे २२ अगस्त, १९५३ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।".

**श्री बासप्पा** (टुमकुर) : मेरा नाम प्रवर समिति से निकाल दिया जाये ।

**सभापति महोदय** : उन का नाम निकाल दिया जाये ।

**श्री निजलिंगप्पा** (चितलदुर्ग) : मेरा नाम भी निकाल दिया जाये ।

**सभापति महोदय** : श्री निजलिंगप्पा का नाम भी निकाल दिया जाये ।

इन दो नामों को निकाल कर प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

**सभापति महोदय** : अब मैं प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि आंध्र राज्य की स्थापना, मैसूर राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने तथा मद्रास राज्य के क्षेत्रफल को कम करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों का प्रावधान करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**सभापति महोदय** : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

**खंड २— (परिभाषाएं)**

**सभापति महोदय** : जो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे मुझे बता दें । इसका यह अर्थ नहीं है कि वे संशोधन नियमानुकूल ठहरा दिये गये हैं । मैं तो इस समय केवल यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं ।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : सब खंडों के संशोधन या केवल २ के ?

**सभापति महोदय** : सब खंडों के कैसे लिए जा सकते हैं ? केवल खंड २ के ।

**श्री एस० वी० रामस्वामी** (सलेम) : विभिन्न दलों के नेताओं से संशोधनों का चुनाव करने के लिए कह दिया जाए ।

**सभापति महोदय** : यह तो वैयक्तिक मामला है । इस से नेताओं का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

इस खंड के संशोधन केवल श्री एन्थनी और श्री आर० एन० एम० देव द्वारा रखे गए हैं । जहां तक श्री आर० एन० एम० देव के संशोधन का सम्बन्ध है, प्रत्यक्षतः यह नियम-विरुद्ध प्रतीत होता है । इस विषय में मैं उनके विचार जानना चाहता हूं ।

**श्री आर० एन० एस० देव** (कालाहांडी-पौलनगिर) : मेरा संशोधन यह है :

पृष्ठ १, पंक्ति २८ में,

"State of Mysore" ("मैसूर राज्य") के पूर्व "State of Orissa or the" ("उड़ीसा राज्य या") निविष्ट किया जाये ।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य का अभिप्राय यह मालूम होता है कि कुछ

क्षेत्र उड़ीसा राज्य में शामिल कर दिये जायें। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वह इस संशोधन के पक्ष में क्या आधार बतलाते हैं।

**श्री आर० एन० एस० देव** : प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि १९ दिसम्बर, १९५२ को, प्रधान मंत्री ने संसद् में यह सूचना दी थी कि भारत सरकार ने एकआन्ध्र राज्य स्थापित करने का निश्चय किया है जिसमें वर्तमान मद्रास राज्य के तेलुगु-भाषी क्षेत्र रहेंगे। उस समय मंशा यह थी कि अतेलुगु-भाषी क्षेत्र अवशिष्ट मद्रास राज्य में रह जायेंगे; परन्तु अब यह प्रस्थापना की गई है कि कुछ अतेलुगु-भाषी क्षेत्र मैसूर राज्य में मिला दिये जायें। इसी आधार पर मेरा कहना यह है कि कुछ अतेलुगु-भाषी क्षेत्र जो उड़ीसा से मिले हुए हैं, उड़ीसा राज्य में मिला दिये जायें।

**सभापति महोदय** : उड़ीसा की सीमा का विस्तार किया जाना विधेयक के क्षेत्र के परे है, अतः मैं इस संशोधन को नियम-विरुद्ध ठहराता हूं।

प्रश्न यह है :

"खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक का अंग बना लिया गया।

**खंड ३— आन्ध्र-राज्य का निर्माण**

**सभापति महोदय** : मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से संशोधन प्रस्तुत किये जाने हैं।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कुष्टगी) : मैं अपने सब संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री राजगोपाल राव** (श्रीकाकुलम्) : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**डा० लंका सुन्दरम्** : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : मैं संशोधन संख्या ४९ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री मुनिस्वामी** (टिंडिवनम्) : मैं संशोधन संख्या १४६ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री बासप्पा** : मैं संशोधन संख्या १७३ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** (गुन्टूर) : मैं संशोधन संख्या ५० प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : मैं संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री पी० आर० राव** : मैं संशोधन संख्या १९९ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**डा० लंका सुन्दरम्** : मैं संशोधन संख्या १३ तथा संख्या ४ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर): मैं संशोधन संख्या ४० प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : मैं संशोधन संख्या ५२ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री नेसामनी** (नागरकोइल) : मैं संशोधन संख्या १०९ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री सारंगधर दास** (ढेनकनाल-पश्चिम कटक) : मैं संशोधन संख्या ११० प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : मैं संशोधन संख्या १७४ और संख्या ३ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

**श्री बासप्पा** : मैं संशोधन संख्या १७५ प्रस्तुत कर रहा हूं ।

**श्री राजगोपाल राव** : मैं संशोधन संख्या १५ तथा संख्या १६ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

**श्री सी० आर० चौधरी** (नरसरावपेट): मैं संशोधन संख्या ५४ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

**श्री आर० एन० एस० देव** : मैं संशोधन संख्या १११ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

**श्री मोहन राव** (राजामुंद्री--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं संशोधन संख्या ५५ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

**श्री राजगोपाल राव** : मैं संशोधन संख्या ५६ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

**श्री सी० आर० चौधरी** : मैं संशोधन संख्या ५७ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

**श्री रघवय्या** (ओंगोल) : मैं संशोधन संख्या ११२ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

**श्री आर० एन० एस० देव** : मैं संशोधन संख्या ११३ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

**श्री मुनिस्वामी** : मैं संशोधन संख्या १४७ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

**श्री नम्बियार** (नयूरम्) : मैं संशोधन संख्या २०० प्रस्तुत कर रहा हूं ।

**सभापति महोदय** : अब मैं इन संशोधनों को एक एक करके लूंगा ।

पहले श्री गौडिलिंगन गौड का संशोधन संख्या ८ ।

**श्री गौडिलिंगन गौड़** (कुरनूल) : इस संशोधन के विषय में कुछ शब्द कहने के पश्चात् मैं इसे वापस ले लूंगा ।

**सभापति महोदय** : यदि आप संशोधन वापस ही लेना चाहते हैं तो फिर इसे प्रस्तुत करने की ही क्या आवश्यकता है ?

**श्री आर० एन० एस० देव** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति ७ में,

(१) "Srikakulam" ("श्रीकाकूलम्") के पश्चात् "and" ("और") निविष्ट किया जाये; तथा

(२) "Vishakhapatnam" ("विशाखापटनम") के पश्चात् यह निविष्ट किया जाये—

> "districts minus the Oriya speaking tracts of Mandasa, Tekkali, Tarla, Budharsing, Jalantar, Ichchapur, Sompeta, Patapatnam, Udyankhand, Madgul, Sujankot, Mutha, Paderu, and Arkupalli,"
>
> ("जिले, मंडासा, टेकाली, टर्ला, बुधरसिंग, जलन्तर, इच्छपुर, सोमपेटा, पटपटनम्, उदयखंड, मदगुल, सुजानकोट, मुथा, पडेरू और आरकुपल्ली के उड़िया-भाषी क्षेत्रों को छोड़ कर," )

आप को याद होगा कि एक पृथक् उड़ीसा राज्य के निर्माण का प्रश्न सन् १८६८ में उठा था । १८७४ में आसाम प्रान्त तो बना दिया गया परन्तु उड़िया क्षेत्र तीन-चार भिन्न भिन्न प्रान्तों में रहे आये । हर जगह उड़िया लोगों ने कष्ट

झेले यहां तक कि उनकी भाषा भी खतरे में पड़ गई। कुछ अन्य प्रान्तों के विपरीत, उड़ीसा ब्रिटिश शासन के अधीन भिन्न भिन्न समय पर आया। धीरे धीरे उड़िया लोगों की संख्या में भी कमी दिखलाई जाती रही। १९०१ में गंजम ज़िले की जनसंख्या १२,७४,००० के लगभग थी जो १९२१ में घटा कर ९,३१,७९० कर दी गई, जबकि तेलुगु-भाषी लोगों की संख्या ३,४२,००० से बढ़ा कर ८,३४,००० कर दी गई। सन् १९०३ में उत्कल संघ सम्मेलन ने उड़ीसा का पृथक् राज्य बनाये जाने की मांग की थी। उसके तुरन्त बाद ही राजनीति ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि जनसंख्या के आंकड़ों में इस प्रकार की कमी और वृद्धि होने लगी। जब अलग उड़ीसा प्रान्त का निर्माण किया गया तो इन क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। उनके सम्मिलित न किये जाने के कोई सन्तोषजनक कारण भी नहीं थे।

**श्री एस० वी० रामस्वामी** (सलेम): आपने जो निर्णय दिया था उसको ध्यान में रखते हुए यह संशोधन भी नियम-विरुद्ध है क्योंकि यह राज्य के क्षेत्र में कमी करने के लिये अभिप्रेत है।

**सभापति महोदय**: विधेयक में भी तो मद्रास राज्य के क्षेत्र में कमी करने की अपेक्षा है।

**श्री रघवय्या**: यह संशोधन इस लिये नियम-विरुद्ध है क्योंकि संशोधन के प्रस्तुत-कर्ता के तर्क से यह प्रतीत होता है कि वह यह चाहते हैं कि उड़ीसा राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया जावे जिसका कि विधेयक की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है।

**सभापति महोदय**: यह तो मैं ने पहले ही कह दिया था कि यदि किसी संशोधन में किसी अन्य राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने की अपेक्षा होगी तो वह संशोधन नियमानुकूल नहीं होगा। इसीलिये मैं ने माननीय सदस्य से पूछा भी था कि उन के संशोधन में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र मद्रास राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य का भाग तो नहीं हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि वे अब क्षेत्र मद्रास राज्य के ही भाग हैं। अतः मैं ने इस संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दे दी। प्रस्तुत संशोधन पूर्णतः नियमानुकूल है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

**श्री आर० एन० एस० देव**: इस प्रकार उड़िया लोगों के साथ अन्याय किया गया। 'फ़िलिप डक कमेटी' तथा 'उड़ीसा कमीशन' ने यह सुझाव दिया था कि समूचा विशाखापटनम् एजेन्सी क्षेत्र उड़ीसा में मिला दिया जाना चाहिये, परन्तु इस सुझाव पर अमल नहीं किया गया।

**सभापति महोदय**: मैं ने पहले ही कह दिया था कि ऐसा कोई प्रश्न संगत नहीं होगा जो उड़ीसा के क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से उठाया जाये। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपने तर्कों को केवल इस प्रश्न तक सीमित रखें कि ये क्षेत्र नये आन्ध्र राज्य में शामिल होने चाहियें या अवशिष्ट मद्रास राज्य में ही रहने चाहियें।

**श्री आर० एन० एस० देव**: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें अभी उड़ीसा में मिला दिया जाना चाहिये। मेरे कहने का अभिप्राय तो यह है कि पहले वे अनुचित रूप से उड़ीसा में शामिल नहीं किये गये थे।

**सभापति महोदय**: यह कहना भी यहां संगत नहीं होगा कि वे कुछ समय पूर्व अनचित रूप से उड़ीसा में शामिल नहीं

[सभापति महोदय]

किये गये। यहां तो प्रश्न केवल यह है कि ये क्षेत्र नये आन्ध्र राज्य में शामिल किये जायें या अवशिष्ट मद्रास राज्य में ही रहने दिये जायें।

**श्री आर० एन० एस० देव** : मेरा कहना तो यही है कि ये क्षेत्र नये आन्ध्र राज्य में शामिल न किये जायें क्योंकि ये उड़िया-भाषी क्षेत्र हैं। वैसे तो मैं इस प्रश्न को यहां न भी उठाता और हम इसे सीमा आयोग के निर्णय पर छोड़ देते, परन्तु हमारे आन्ध्र मित्रों के उड़ीसा के विरुद्ध किये गये दावों ने हमें इस बात के लिये मजबूर कर दिया कि हम भी जवाबी दावा करें। यदि यह बात स्वीकार कर ली जाय कि इस समय न तो दावों पर और न ही जवाबी दावों पर कोई निश्चय किया जायेगा तो इस दशा में मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करूंगा। परन्तु यदि मेरे आन्ध्र मित्र अपने दावों पर ज़ोर देंगे तो हमें भी अपने जवाबी दावे रखने ही होंगे।

**डा० लंका सुन्दरम्** : श्रीमान्, क्या आपका विचार यह है कि एक संशोधन के प्रस्तुत किये जाने के बाद उस पर वाद विवाद हो जाये फिर दूसरा संशोधन लिया जाये ?

**सभापति महोदय** : निस्सन्देह, अन्यथा संशोधन सदन के मत के लिये कैसे रखा जा सकता है।

**डा० लंका सुन्दरम्** : इस प्रकार के विधेयकों में यदि पहले सब संशोधन प्रस्तुत कर दिये जायें और फिर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाये तो अधिक अच्छा होगा। फिर आप संशोधनों को सदन के मत के लिए रख सकते हैं।

**सभापति महोदय** : इसका अर्थ तो यह हुआ कि सामान्य चर्चा फिर से करनी होगी। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों का ध्यान अमुक संशोधन पर विशेष रूप से केन्द्रित हो।

**डा० लंका सुन्दरम्** : परन्तु इस प्रकार तो सब संशोधनों के प्रस्तुत किये जाने के लिये समय ही नहीं मिलेगा।

**सभापति महोदय** : इसलिये तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें।

**डा० काटजू** : मेरा एक सुझाव है जिस से डा० लंका सुन्दरम् द्वारा बतलाई गई कठिनाई दूर हो सकती है। संशोधन रखने वाले सब माननीय सदस्य आपस में विचार-विमर्श करके कुछ महत्वपूर्ण संशोधन चर्चा के लिय अलग छांट लें, शेष संशोधन वापस ले लिये जायें।

**श्री नम्बियार** : आप जिन संशोधनों को स्वीकार करने को तैयार हों, हम उन्हीं को अलग रख लें।

**डा० काटजू** : मैं उन्हें स्वीकार करता हूं या नहीं करता हूं यह तो दूसरी बात है। कोई १६० संशोधन हैं और यदि हम प्रत्येक पर चर्चा करेंगे तो, जैसा कि डा० लंका सुन्दरम् ने बतलाया, हम दो दिन में मुश्किल से ३०-४० संशोधन ही निपटा सकेंगे।

**सभापति महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने भाषणों को संक्षिप्त रखें और केवल उन्हीं संशोधनों को प्रस्तुत करें जिनके बारे में वे यह समझते हों कि सदन उन्हें मान लेगा।

**श्री वेंकटारमन्** : इस संशोधन में जो क्षेत्र निर्दिष्ट किए गये हैं वे अवशिष्ट

मद्रास राज्य से बहुत दूर के हैं । ऐसी दशा में वे मद्रास राज्य के भाग कैसे बन सकते हैं ? जब बिल्लारी का ही प्रश्न उठा था तब भी अवशिष्ट मद्रास राज्य ने यह मान लिया था कि यह उसमें शामिल न किया जाकर किसी भी ऐसे राज्य में मिला दिया जाये जिसका दावा वैध तथा तर्क-संगत हो । अतः इस संशोधन में कोई सार नहीं है, अपितु इससे तो प्रशासनीय कठिनाइयां बढ़ जायेंगी । अवशिष्ट मद्रास राज्य इस क्षेत्र को आंशिक सीमा में रखने के लिए तैयार नहीं है । मैं इस संशोधन का कड़ा विरोध करता हूं ।

**डा० कटजू** : मैं माननीय मित्र श्री वेंकटारमन् द्वारा बताये गये कारणों के आधार पर संशोधन का विरोध करता हूं ।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ पर पंक्ति ८-१० में

"Anantpur, Cuddapah and Chittoor districts and in the Alur, Adoni and Rayadrug taluks of Bellary district in the State of Madras"

[मद्रास राज्य के अनन्तपुर, कुड्डप्पा तथा चित्तूर जिलों के एलूर, एडोनी तथा रायदुर्ग ताल्लुकों में ]

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :

"Cuddapah, Chittoor districts and Anantpur district other than the Karnatak areas of Madakasira, Kalyandrug and Hindupur taluks and Adoni, Alur and Rayadrug taluks of Bellary district to be determined by the Boundary Commission before the appointed day."

("कुड्डप्पा, चित्तूर जिले तथा मडकसिरा कल्याणदुर्ग तथा हिन्दूपुर के कर्नाटक क्षेत्रों को छोड़ कर अनन्तपुर जिला तथा जिला बेल्लारी के अडोनी, एलूर तथा रायदुर्ग ताल्लुके जिन्हें कि सीमा-आयोग निश्चित दिनांक से पहले ही निर्धारित करे ।")

सभापति द्वारा उक्त संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन मूव करते हुये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुत जमाने से बिल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का एक हिस्सा था और बाद में इसको आन्ध्र राज्य में मिलाया जाना तय हुआ । इस सम्बन्ध में मिश्रा रिपोर्ट के पेज २१ पर लिखा गया है कि १८७२ के लगभग बेल्लारी का सारा जिला तथा अनन्तपुर जिले का कुछ हिस्सा प्रमुखतयः कन्नड़ भाषी था । धीरे धीरे इसमें तेलुगु-भाषी लोग घुसते चले आये क्योंकि यह विस्तृत तेलुगु-भाषी क्षेत्र से लगता था इसके बावजूद बेल्लारी का आज अपना एक अस्तित्व है तथा कोई कारण नहीं कि इसे क्यों तेलुगु क्षेत्र में विलीन किया जाय ।

सन् ३१ की सेंसस रिपोर्ट को आप देखें तो मालूम होगा कि कुल तीन ताल्लुकों में तकरीबन् १५० और २०० आन्ध्र विलेजेज़ से एक ताल्लुका बन सकता है जो बिलारी डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर मैसूर से ज्वायन किया जा सकता है सन् १९३१ का सेंसस एथेंटिटेटिव है, उसमें आप पायेंगे कि १२४ विलेजेज़ में ६० परसेंट कन्नड़ स्पीकिंग पीपुल मिलेंगे, और २५ से ३० विलेजेज़ में ४० से ५० परसेंट कन्नड़ स्पीकिंग पीपुल मिलेंगे और १५, २० गांवों के बारे में अभी तक फोगर नहीं का जा सकी हैं तो यह पूरा एक ताल्लुका जो आन्ध्र टेरिटरी में शरीक हो रहा है,

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

वह अनुचित है और मुनासिब नहीं है, उसको मैसूर के साथ मिलाया जाना चाहिये. और एक जमाना था जब वह कर्नाटक का हिस्सा था, मैं चाहता हूं कि जो हिस्सा ताल्लुका कन्नड़ स्पीकिंग है, और वहां करीब ५० और ६० परसेंट कन्नड़ स्पीकिंग पीपुल हैं, उनको आन्ध्र से न मिलाया जाना चाहिए और मैं इस सम्बन्ध में अपने प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू के इन शब्दों को आपके सामने रखता हूं कि केवल अविवादास्पद क्षेत्र ही आन्ध्र में शामिल किये जायेंगे । वहां के लोगों की ओर से इस सम्बन्ध में मेमोरेंडम और पेटीशन्स भी आयी हैं और मैंने स्वयं एक पेटीशन उन लोगों की ओर से इस सदन में पेश की है उसमें इस चीज की मांग की गयी है कि उन्हें आन्ध्र में न शामिल किया जाय, और वहां को जो इलेक्टेड बाडीज उन्होंने रेजोलूशन पास करके गवर्नमेंट को भेजा है, होम मिनिस्टर को भेजा है, कांग्रेस के प्रेसीडेंट को भेजा है कि उनको मैसूर में शरीक किया जाय, मुझे भी उन्होंने एक पेटीशन के रूप में अपनी ख्वाहिशात बतलाई हैं और उस पेटीशन में जो कि मैंने सदन में पेश की है उसमें तकरीबन् सब बातें दी हुई हैं और उस पेटीशन पर करीब ६२१ लोगों के दस्तखत मौजूद है और रेज़ोलूशन के साथ एक नकशा भी है जो जस्टिस मिश्रा ने बनाकर दिया है और मैं समझता हूं कि न्याय का तकाज़ा है कि वहां के लोगों ने जो पेटीशन में अपनी आवाज़ उठायी है वह न्यायसंगत है कि बिल्लारी के तीन ताल्लुके जो आन्ध्र टेरीटरी में मिला गये हैं, उनमें आधा हिस्सा कर्नाटक का है, इसको एपायन्टेड डेट से पहले यानी पहली अक्तूबर से पहले, यानी आंध्र स्टेट आने से पहले बाउंडरी कमीशन या किसी इम्पारशियल जज से तस्फिया कराकर कर्नाटक के हिस्से को तीन ताल्लुके मडकसिरा, कुल्यानदुर्ग और हिन्दूपुर वगैरह को मैसूर स्टेट में मिलाया जाय। इसी तरह अनन्तपुर डिस्ट्रिक्ट का वह हिस्सा जो प्रीडामिनेन्टली कन्नड़ है वह भी मैसूर में मिलाया जाना चाहिए, ऐसे ऐरियाज़ जिनके बारे में बाउंडरी कमीशन का फैसला होना है, उन ऐरियाज़ की हुकूक की हिफ़ाज़त और निगरानी के लिए सेंटर की हुकूमत ख्याल रक्खे उस वक्त तक जब तक कि बाउंडरी कमीशन कोई फैसला नहीं करता और कोई लाइन आफ डिमारकेशन नहीं खींचता। इन तीन ताल्लुकों में बिल्कुल कांटीग्यूटी है, और इसलिए इनको तो आन्ध्र में शामिल नहीं करना चाहिए और इनको मैसूर में मिलाना चाहिए। परसों जो मेमोरेंडम होम मिनिस्टर को दिया गया है उसमें तफसील से सब बातों का ज़िक्र है। उसमें यह भी सुझाया गया है कि एक हफ्ते में किसी एक इम्पारशियल जज को एपायन्ट करके यह फैसला करा लें कि एडोनी, एलूर और दूसरे मवाज़ियात कर्नाटक या मैसूर में मिलाये जायें, बस इतना ही निवेदन करके मैं अपने अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं।

**डा० काटजू** : यह संशोधन जिस धारणा पर आधारित है, मैं उसका विरोध करता हूं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी यदि यह धारणा उत्पन्न की जाये कि जब यह भाषावार प्रान्त बनाये जायेंगे तो कोई विशिष्ट भाषा भाषी समुदाय चाहे वह एक ही ग्राम में क्यों न रहता हो, दूसरे प्रान्त में सन्तुष्ट नहीं रहेगा। इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुझे इस पर भारी परेशानी हुई है। मेरे माननीय मित्र इन ग्रामों के सामीप्य का उल्लेख करते हैं तथा कहते हैं, कि उन्हें वहां से

लिया जाना चाहिए। यदि इस तर्क को पेश किया जाये तो उन ग्रामों के बारे में आपकी क्या राय है जो कि समीप नहीं हैं। यदि कैन्नड़-भाषा भाषी लोग सीमा से २० मील दूर रह रहे होंगे तो क्या उन्हें मार डाला जायगा? मैं तो इस कथन से प्रभावित नहीं हो रहा हूं। यह विधेयक इस अनुमान के आधार पर आधारित है कि हम ज़िलावार फैसला कर रहे हैं। हम ग्रामों, फिरकों तथा ताल्लुकों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। इसी विशिष्ट आधार पर मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूं।

**श्री नम्बियार**: जहां मैं इस संशोधन विशेष का विरोध करता हूं वहां मैं सीमा आयोग नियुक्त करने की मांग का समर्थन करता हूं। सीमा आयोग ही एक ऐसा निकाय होगा जो दोनों पक्षों के विचारों को ध्यान में रखते हुए झगड़ों का निपटारा कर सकेगा। अभी तिरुत्तनी के बारे में तामिलों ने आन्दोलन शुरू किया है। दावे तथा जवाबी दावे किये जा रहे हैं। इनका समाधान सीमा आयोग ही कर सकता है। जहां आवश्यकता पड़े वहां लोक-मत संग्रह भी कराया जा सकता है। यह लोकहित के विरुद्ध नहीं होगी।

जहां तक तामिलों का सम्बन्ध है वह आन्ध्र राज्य के विरुद्ध नहीं हैं। वह भी अपने लिए एक ऐसा ही राज्य चाहते हैं। सरकार को हमें इस कार्य में सहायता देनी चाहिए।

[ सभापति ने विचाराधीन प्रस्ताव पर सदन की राय ली तथा सदन ने इसे अस्वीकृत किया ]

**सभापति महोदय**: अब संशोधन नम्बर ९ को लिया जाता है।

**श्री एन० आर० नायडू**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में पंक्ति ९ तथा १० के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"Cuddapah and Chittoor districts and in the Alur, Adoni, Rayadrug and Bellary Talukas of Bellary district in the State of Madras and the said"

"मद्रास राज्य के कुडुपा तथा चित्तूर जिलों में तथा बेल्लारी ज़िले के एलूर, अडोनी, रायद्रुग तथा बेल्लारी ताल्लुकों में....."]

श्रीमन्, आन्ध्र राज्य केवल भाषा के आधार पर ही नहीं बनाया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार प्रशासकीय सुविधा आदि बातों को भी ध्यान में रख रही है। सारा बेल्लारी ताल्लुका एक प्रशासकीय इकाई है जो कि आन्ध्र क्षेत्र के समीपस्थ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

[ सभापति महोदय द्वारा चर्चाधीन संशोधन सदन के समक्ष रखा गया तथा सदन ने इसे अस्वीकृत किया। ]

**सभापति महोदय**: संशोधन न० १० डा० लंका सुन्दरम।

**डा० लंका सुन्दरम्**: मैं संशोधन न० १४ को भी प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**सभापति महोदय**: अवश्य करिये।

**डा० लंका सुन्दरम्**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ का

(१) पंक्ति ९ में, "and Chittoor" ("तथा चित्तूर") के स्थान पर

[डा० लंका सुन्दरम्]

"Chittoor and Bellary" ("चित्तूर तथा बेल्लारी") रखा जाये। और

(२) पंक्ति ९ तथा १० में "and in the Alur, Adoni and Rayadrug taluks of Bellary districts" ("तथा बेल्लारी जिले के एलूर, अडोनी तथा रायद्रुग ताल्लुकों में") का लोप किया जाये।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि : पृष्ठ २ में पंक्ति ११ के पश्चात निम्नलिखित शब्द रखे जायें :—

"Provided that the Government of India cause within six months a plebiscite to be taken to ascertain the views of the people of the firkas of Bellary, Moke and Rupangudi."

"बशर्तेकि भारत सरकार छे महीनों के अन्दर बेल्लारी, मोका तथा रुपनगुडी फिरकों की जनता की राय जानने के लिए एक जनमत संग्रह का प्रबन्ध करेगी।"

मेरे मित्र माननीय गृह-मंत्री ने मैसूर का कुछ क्षेत्र हस्तांतरित करने की प्रस्थापना के समर्थन में जो शब्द कहे हैं उनसे मेरा संतोष नहीं हुआ है। जहां तक मैसूर का सम्बन्ध है, वहां के मुख्य मंत्री ने २७ जुलाई को वहां की विधान सभा में बोलते हुए कहा है कि मैसूर राज्य को भाषावार टुकड़ों में बांटने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसके उलट यदि पड़ौसी क्षेत्रों में रहने वाले लोग मैसूर में आना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि मैसूर क मुख्य मंत्री के इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए क्या बेल्लारी की जनता ने अपनी राय प्रकट की है ? क्या उन्हें ऐसा करने का अवसर दिया गया है ? क्या उनसे न्याय किया गया है ?

स्वयं श्री राजगोपालाचार्य ने १७ जुलाई को मद्रास विधान सभा में बेल्लारी प्रश्न पर बोलते हुए कहा है कि हमें इस सम्बन्ध में अपने निबन्धनों को ढीला रखना चाहिये जिस से कि सरकार स्थिति पर पुनर्विचार कर सके। आगे उन्होंने कहा कि बेल्लारी तथा चित्तूर में कुछ विवाद उत्पन्न हुये हैं। इन पर सीमा आयोग को विचार करना पड़ेगा, वही इन्हें हल कर सकता है, विधेयक का कोई खण्ड अथवा उपखंड इनका निवारण नहीं कर सकता है।

आन्ध्रवासी भी केवल इतना ही चाहते हैं कि बेल्लारी का मामला सीमा आयोग के सुपुर्द किया जाये। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जस्टिस वांचू की सिफारिशों को क्यों रद्द किया गया तथा जस्टिस मिश्रा की सिफारिशों को क्यों कार्यरूप दिया गया। इस का कारण यह है कि जस्टिस वांचू की सिफारिशें सत्ताधारी दल के कुछ व्यक्तियों की इच्छा के अनुकूल नहीं थीं। मैं इस दोष के लिये भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं।

हमें इस सारे मामले को सीमा आयोग के सामने रखना चाहिये। यह कोई अनुचित मांग नहीं है। मुझे आशा है कि सदन आन्ध्रवासियों की इस मांग को स्वीकार करेगा कि विवादास्पद क्षेत्रों का मामला सीमा आयोग को निर्दिष्ट किया जाये।

[सभापति द्वारा उक्त संशोधन प्रस्तुत किय गए।]

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं डा० लंका सुन्दरम् के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि बेल्लारी के सम्बन्ध में तथ्यों पर विचार करने से पूर्व ही फैसला दे दिया गया है। वास्तव में इस मामले के सभी पहलुओं पर जस्टिस मिश्रा ने विचार कर के अपना फैसला दिया है। मुझे मालूम नहीं कि डा० लंका सुन्दरम इसे असंतोषजनक कैसे कहते हैं।

जस्टिस वांचू को यह सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं था कि बेल्लारी ज़िला अथवा इसका कोई ताल्लुका मैसूर में शामिल हो जाना चाहिए। उनके विचार-विषय सीमित थे। डा० लंका सुन्दरम् ने इस क्षेत्र में जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया है किन्तु मेरा निवेदन यह है कि यह तरीका अच्छा नहीं, इस से गड़बड़ फैल सकती है। कई ऐसे क्षेत्र आन्ध्र में शामिल किए गए हैं जहां की जनता मैसूर राज्य में जाना चाहती थी। किन्तु हम फिर भी ऐसे क्षेत्रों पर अपना दावा नहीं करते हैं। बेल्लारी का प्रश्न सदा के लिए हल हुआ समझा जाना चाहिए। सीमा आयोग को केवल अन्य क्षेत्रों के मामले पर विचार करना चाहिए।

**श्री बी० एस० मूर्ति** : मैं डा० लंका सुन्दरम के संशोधनों का समर्थन करता हूं। इस विषय के सम्बन्ध में दो न्यायाधीशों ने अपने अलग अलग फैसले दिए हैं। उन फैसलों में अन्तर है। इसलिए सब से अच्छा तरीका यह होगा कि सम्बन्धित क्षेत्रों की जनता से राय पूछी जाए कि वह मैसूर में जाना चाहते हैं अथवा आन्ध्र में। यह उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह इस बारे में अपनी राय प्रकट करें।

**श्री रघुरामय्या** (तेनाली) : सदन में यह कहा गया है कि बेल्लारी का प्रश्न समाप्त हो गया। इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृहकार्य मंत्री का ध्यान उनके मंत्रालय के ज्ञापन की ओर दिलाना हूं जिसके अन्तगत इस मामले पर विचार करने के लिय श्री मिश्रा को नियुक्त किया गया था। उस ज्ञापन में यह दिया हुआ है कि बेल्लारी ताल्लुका पर अन्तिम निर्णय करने से पूर्व इस मामले पर किसी न्यायाधीश द्वारा पूरी पूरी जांच की जायगी। उस ज्ञापन में पूरे ताल्लुका का निर्देश किया गया है और उसमें आगे यह कहा गया है कि इस प्रश्न को अन्य बातों में भाषा का प्रश्न, सांस्कृतिक एकता, प्रशासन सम्बन्धी सुविधायें तथा आर्थिक कल्याण सम्बन्धी बातें भी हैं। इस कार्य के लिये सरकार ने हैदराबाद के मुख्य न्यायाधिपति श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा को नियुक्त किया है जो कि शीघ्र ही इसकी जांच करके सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। छोटी छोटी अन्य बातों को सीमा आयोग, जो कि आंध्र राज्य बन जाने के बाद नियुक्त किया जायगा, तय करेगा। अतः ज्ञापन में केवल पूरे ताल्लुक के विषय में कहा गया है। हम आन्ध्र में जिस बात का आन्दोलन कर रहे हैं उसका पूरी तरह से बेल्लारी ताल्लुक से ही सम्बन्ध नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि बेल्लारी शहर तथा मोका और रुपांगुदी के दो फिरकों के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन कर दिया जाय। ऐसी बातों को सरकार सीमा आयोग पर छोड़ देना चाहती थी। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस बात को ध्यान में रखें कि सरकार जो वक्तव्य निकालती है उन पर आंध्रवासी बहुत

[श्री रघुरामय्या]

अधिक ध्यान दे रहे हैं और हमें माननीय मंत्री से यह आशा है कि वह उन्हें पूरा करेंगे ।

**डा० जयसूर्य** (मेदक) : न्यायमूर्ति मिश्रा की रिपोर्ट के बारे में बड़ा असन्तोष है । मेरा कहना यह है कि जब आप आंध्र की पूरी समस्या पर विचार करने जा रहे हैं तो सरकार एक दम न्यायमूर्ति मिश्रा से यह कहती है कि वह बेल्लारी के प्रश्न का निश्चय करें कि बेल्लारी किसमें मिला दिया जाय । श्री मिश्रा वहां गये और वहां आठ दिन तक रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस मामले में गलती हुई है । आखिरकार उच्चतम न्यायालय भी तो इसी लिये है कि एक न्यायाधीश भी गलती कर सकता है । इस मामले में उच्चतम न्यायालय तथा गृह मंत्रालय हैं । मेरा विचार तो यह है कि इस रिपोर्ट पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिये था । इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है । मैं समझता हूं कि ऐसा इसलिये किया गया था कि यह बात सरकार की नीति के अनुकूल थी । इस मामले में अन्याय हुआ है । आप, लोगों को इस बात का विश्वास दिलाइये कि आपने न्याय किया है । मेरी बेल्लारी के प्रश्न में अधिक रुचि नहीं है । मेरी रुचि तो इस प्रश्न के मूल सिद्धान्त तथा इसके तरीके में है । मेरा सझाव तो यह है कि आप इन बातों में न पड़िये और इन्हें सीमा आयोग पर छोड़ दीजिये जिस से कि हम इन पर चर्चा न करके अपना समय नष्ट न करें । मेरा बेल्लारी से कोई सम्बन्ध नहीं, किन्तु जिस प्रकार यह रिपोर्ट तय्यार की गई है तथा जिस प्रकार स्वीकार की गई है, मुझे उस पर आपत्ति है ।

**श्री नानादास** (ओंगोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : मैं डा० लंका सुन्दरम् तथा डा० जयसूर्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १० का विरोध करता हूं । हम नहीं चाहते कि पूरा बेल्लारी ज़िला आन्ध्र में मिला दिया जाय । संशोधन संख्या १४ में यह दिया हुआ है कि मोका रूपांगुदी तथा बेल्लारी इन तीन फिरकों में जनमत लिया जाना चाहिये । इन फिरकों में लगभग ३६,००० तेलुगु भाषी लोग हैं और लगभग ३०,००० मुसलमान हैं । यह बात इन लोगों पर छोड़ देनी चाहिये कि वे किस राज्य में मिलना चाहते हैं । अतः इन लोगों के साथ न्याय करने के लिये इन फिरकों के सम्बन्ध में, जिसमें बेल्लारी शहर तथा बेल्लारी फिरका के कुछ गांव सम्मिलित हों, जनमत लिया जाना चाहिये । मैं संशोधन १४ का समर्थन करता हूं तथा संशोधन संख्या १० का विरोध करता हूं ।

**डा० काटजू** : इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है और यह उचित ही है कि इस मामले को स्पष्ट कर दिया जाय । न्यायमूर्ति वांचू ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह एक ज़िले को बांट नहीं सकते थे अपितु वह केवल पूरे पूरे ज़िलों को ही बांट सकते थे । मद्रास राज्य के सम्बन्ध में उनका विचार यह था कि मद्रासवासी बेल्लारी को तेलुगु भाषी ज़िला समझते हैं । अतः अवशिष्ट मद्रास राज्य बेल्लारी को तामिल क्षेत्र होने के आधार पर नहीं मांग सकता ।

फिर, अपनी रिपोर्ट के पांचवें पृष्ठ पर उन्होंने केलकर रिपोर्ट का निर्देश किया जो कि कांग्रेस के संगठन कार्य के लिये १९२१ में तय्यार की थी, जिसमें श्री केलकर ने तीन ताल्लुकों को तामिल नाड को तथा बेल्लारी को मिला कर छै ताल्लुक आंध्र प्रान्तीय कांग्रेस समिति को देने के लिये कहा था । न्यायमूर्ति वांचू इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निर्देश पद के अन्तर्गत वह एक ज़िले को बांट नहीं सकते थे, वह केवल एक ज़िले को हां ले सकते थे उन्होंने कहा कि यह ज़िला मसूर को नहीं मिल सकता ; बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर तुंगभद्रा की दृष्टि से आंध्र में मिलाया जाना चाहिये । उन्होंने कहा कि "इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि कन्नड़ भाषी लोग इस बात के विरुद्ध हैं ।" और आरम्भ में उन्होंने कहा कि "१९५१ की जन-गणना के आंकड़ों के अनुसार, तामिल भाषी लोग अडोनी में लगभग ५० प्रतिशत, अलूर में ६३ प्रतिशत और रायद्रुग में ५९ प्रतिशत हैं । बाकी ताल्लुकों में कन्नड़ भाषियों की अधिकता है । यह पूरी रिपोर्ट इस धारणा पर आधारित है कि निदश पदों के अनुसार वह एक जिले को टुकड़ों में नहीं बांट सकते थे। जब सरकार को उनकी रिपोर्ट मिली—उन्होंने पर्याप्त बातें रखी थीं—तो हमारा यह विचार था कि जनमत संग्रह का ध्यान रखते हुए हम एक जिले को कई भागों में बांट सकते थे और हमने उनकी रिपोर्ट के अनुसार कार्य किया अर्थात् छै ताल्लुक एक राज्य को तथा तीन ताल्लुक दूसरे राज्य को दिये। केवल बेल्लारी शेष रह गया । बेल्लारी के बारे में अधिक सूचना प्राप्त नहीं थी, और मैं सदन को यह बता दूं कि बेल्लारी में प्रान्तीय महत्व के कुछ कार्यालय हैं यथा प्रान्तीय सहकारी निदेशालय तथा तीन या चार सेन्ट्रल (केन्द्रीय) जेल हैं। वहां एक पोलीटैक्नीक संस्था भी है । अतः हमने इसके बारे में पूर्ण जांच करवाना ठीक समझा । इस बेल्लारी जांच के लिये हमने मुख्य न्यायाधिपति मिश्रा को नियुक्त किया, जो हैदराबाद के निवासी नहीं हैं अपितु हाल ही में उनका तबादला हैदराबाद किया गया था । वास्तव में वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और उन्हें न्यायिक अनुभव भी बहुत हैं। हमने उनसे वहां जाने के लिये कहा वह वहां पन्दरह दिन तक रहे । वहां उन्होंने बहुत से स्थानों का दौरा किया, हज़ारों आदमियों से मिले और उनको बहुत से अभ्यावेदन किये गये। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और दोनों पार्टियों के मामले बतलाये । उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दोनों पार्टियों ने यह बतलाया कि १९३१ की जन गणना के आंकड़े गलत थे। उस समय तक १९५१ की जन गणना के आंकड़े मद्रास सरकार के कार्यालय में ही थे, वे पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किये गये थे, वे केवल आंशिक रूप से प्रकाशित किये गये थे, इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि १९५१ की जन गणना से काम निकल जायगा । उन्होंने ये आंकड़े मंगवाये उनके समक्ष सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि १९५१ की जन गणना के आंकड़े ठीक थे। यह मैं बता चुका हूं कि अन्त में उन्होंने क्या विचार किया ।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जनमत संग्रह का अर्थ क्या है। अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति मिश्रा ने लिखा कि वह बेल्लारी शहर भी गये और कुछ अन्य स्थानों में भी गये । उन्होंने लिखा है कि वह

[डा० काटजू]

कुछ बड़े गावों में भी जाना चाहते थे, किन्तु वहां के दो परस्पर विरोधी दलों में उत्तेजना थी और उनके जाने से वह और भी बढ़ सकती थी। दोनों दलों के कामों से कुछ हिंसात्मक कार्य भी हुए और इन बातों के कारण उन्हें अपना कार्यक्रम छोड़ना पड़ा। जो सदस्य जनमत संग्रह की बात करते हैं वे देखें कि वहां इस प्रकार का जनमत संग्रह होगा और हिंसात्मक कार्य भी होंगे।

**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या आप समझते हैं कि मिश्रा पंचाट को कार्यान्वित करके आपने इस प्रश्न को हल कर लिया है ?

**डा० काटजू** : मैं डा० लंका सुन्दरम से यह अपील करने ही जा रहा था कि वह बेल्लारी में लोगों से इस पंचाट को स्वीकार करवाने में हमारी सहायता करें। किन्तु वह ऐसा नहीं करेंगे।

आप मिश्रा रिपोर्ट को देखिये। वह वहां के गांवों में गये उन्होंने वहां के आंकड़े और तथ्य दिये। उन्होंने बेल्लारी ताल्लुक के सम्बन्ध में यथार्थ आंकड़े दिये हैं जिसमें कुल जनसंख्या दी हुई है, स्थायी निवासी, तेलुगु भाषी, अस्थायी निवासी, कैदी आदि सब के आंकड़े दिये हुए हैं। उन्होंने इस शहर के ३०,००० मुसलमानों के सम्बन्ध में भी आंकड़े दिये हैं और उन्होंने अपनी यह राय प्रकट की है कि उनमें से आधे एक ओर हैं और आधे दूसरी ओर। इस सम्बन्ध में हम कौन सा सिद्धान्त अपनायें ? मेरे माननीय मित्र पूछते हैं कि क्या हम इसे कार्यान्वित करेंगे।

मान लीजिये कि हम जनमत संग्रह करें, तो इससे इसे बांटा तो नहीं जा सकता इससे तो इस बात का निश्चय हो सकता है कि यह इसमें मिलाया जाये या उसमें मिलाया जाय। मान लीजिये जनमत संग्रह करने से इसे मैसूर में या आंध्र में मिलाना पड़े तो जो लोग इससे असंतुष्ट होंगे, वे भूख हड़ताल तथा हिंसात्मक कार्य करने के लिये कहेंगे।

पहिले लोग कहते हैं कि एक न्यायाधीश होना चाहिये। वहां एक न्यायाधीश जा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। फिर लोग सरकार से कहते हैं कि दूसरा न्यायाधीश भेजिये। फिर दूसरा न्यायाधीश जाता है। आप न्यायालयों की बातों से परिचित हैं ही। जब तक मामला विचाराधीन होता है, वकील अपनी जिरह करते रहते हैं। न्यायाधीश को पूरी बात सुननी पड़ती है और अन्त में उसे एक पार्टी के विरुद्ध निर्णय देना पड़ता है। जो व्यक्ति हार जाता है वह कहता है कि वह कुछ समझ ही नहीं सका और उसका वकील कहता है कि न्यायाधीश भी मामले को समझ नहीं सका और फिर वे लोग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाने का निश्चय करते हैं और समझते हैं कि वे वहां जीत जायेंगे। यदि अन्त में वह आदमी वहां भी हार जाता है तो वह और भी अधिक असंतुष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं ? इन सब मामलों में हमें किसी प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये और मेरा तो यह कहना है कि इस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिये। इस मामले में हम जो कुछ कर सकते थे हम ने किया मेरे माननीय मित्र ने राजा जी तथा श्री हनुमन्थय्या के भाषणों के कुछ भाग पढ़े इन सब मामलों पर उच्च स्तर पर विचार किया गया है। श्री हनुमन्थय्या से इस विषय में परामर्श किया गया था।

उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिये। और यदि उन्होंने यह कहा होता कि उन्हें बेल्लारी शहर नहीं चाहिये था तो हम उन्हें यह शहर नहीं देते। किन्तु बेल्लारी के कर्नाटक वाले भाग के निवासी मैसूर में मिलना चाहते थे। क्या इसका यह अर्थ है कि मैसूर सरकार ने इस बात को नहीं माना था; हमने तो इस बात को खत्म कर दिया। यही हमारा निर्णय है। हमने दो योग्य न्यायाधीशों से इस प्रश्न की विस्तार पूर्वक जांच करवाई थी। और मैं समझता हूं कि इस सदन तथा बेल्लारी के निवासियों को यह निर्णय स्वीकार कर लेना चाहिये।

**श्री रघुरामय्या** : न्यायाधीश मिश्र का कथन है कि सारे तालुके का निर्देश उन्हें किया गया है। चाहे कितने ही छोटे भाग या अनुसमर्थन हों, उनका निर्णय सीमा आयोग द्वारा ही होगा जिसकी नियुक्ति आन्ध्र राज्य के निर्माण के पश्चात् की जायगी। मैं सीमा आयोग से चाहूंगा कि वह इन सब बातों पर गृह मंत्रालय के स्मरण-पत्र की भाषा के अनुसार ही विचार करें।

**डा० काटजू** : मैं उस से पूर्ण सहमत हूं, किन्तु कृपया यह याद रखिये कि छोटे अनुसमर्थन चाहे वह इस गांव का हो और चाहे उस गांव के, उन सबका तात्पर्य बेल्लारी की भांति जिसकी जन संख्या ६०,००० या ७०,००० है, शहरों के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में नहीं है।

**श्री नम्बियार** : किन्तु ऐसा करने के लिए एक सीमा आयोग होना चाहिए। जब तक सीमा आयोग की नियुक्त नहीं की जायगी, ये छोटे छोटे समन्वय नहीं किये जा सकते।

**डा० काटजू** : हमको सम्मति दी गई है कि आगे के संसदीय विधान निर्माण के लिए एक ही गांव एक ओर से दूसरी ओर नहीं लिया जा सकता अतः सीमा आयोग की नियुक्ति का प्रश्न उस दिशा की ओर एक कदम उठाना है चाहे आप उसका इस विधेयक में उल्लेख करें अथवा राष्ट्रपति के कार्यकारी-आदेश द्वारा किया जाय, इसकी कोई विशेष महत्ता नहीं है मैंने अनेक बार आश्वासन दिये हैं कि ज्यों ही यह विधेयक चालू होगा, और आंध्र राज्य बन कर तैयार हो जायगा, तो हम दोनों सरकारों के समझौते पर छोड़ देंगे यदि वे ऐसा कर सकीं तो, या हम इसके लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि राष्ट्रपति एक सीमा आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध के आदेश जारी करता है जैसा कि अभी अभी कहा गया था, यहां वहां के छोटे छोटे भागों या अनुसमर्थनों के प्रश्न की जांच करने के लिए आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात सीमाओं आदि के परिशोधन में एक आगे भी संसदीय विधान निर्माण होगा।

**श्री नम्बियार** : सीमा आयोग की नियुक्ति अभी क्यों नहीं कर दी जाती ?

**सभापति महोदय** : मैं संशोधन संख्या १० तथा १४ सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

[सभापति द्वारा प्रस्ताव रखे गये और अस्वीकृत हुए।]

**सभापति महोदय** : जहां तक संशोधन संख्या ४९ का सम्बन्ध है, यह संख्या १० के समान ही होने के कारण समाप्त किया गया।

[सभापति महोदय]

संशोधन संख्या १४६, जो सीमा आयोग के प्रश्न से सम्बन्धित था, मैं समझता हूं कि वह व्यावहारिक रूप से तय हो गया है। जैसा कि माननीय गृह-मंत्री द्वारा अभी बताया गया है कि सीमा आयोग की नियुक्ति छोटे छोटे अनुसमर्थनों के प्रश्न की जांच करने के लिए आंध्र राज्य के निर्माण के पश्चात होगी। यही संशोधन चित्तौड़ ज़िले के सम्बन्ध में भी लागू होता है।

**श्री मुनिस्वामी** : न्यायाधीश श्री वांचू के प्रतिवेदन में भी यह स्वीकार किया गया है कि इन ज़िलों की सीमाओं पर कुछ झगड़े होते रहते हैं। उनका तात्पर्य बेल्लारी तथा चित्तौड़ ज़िलों से है। चित्तौड़ के तीन प्रमुख तालुके--तिरुत्तानी, पुट्टूर तथा नागड़ी में अधिकतर तामिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। मद्रास राज्य के भूतपूर्व मंत्री द्वारा न्यायाधीश वांचू के पास अभ्यावेदन किया गया था कि वे तालुके उसमें से हटाकर अवशिष्ट मद्रास राज्य में मिला दिये जाय। चूंकि इसमें कुछ कठिनाइयां थीं अतः श्री वांचू ने स्पष्टतः कहा है कि सम्पूर्ण चित्तौड़ को आंध्रराज्य में मिला दिया जाय। श्री वांचू ने कहा कि कुछ जटिलताओं को दूर करने के विचार से उन्होंने इन तालुकों को चित्तौड़ ज़िले में मिला दिया है। किन्तु आगे की जटिलताओं एवं कठिनाइयों को बचाने के लिये मेरा कहना यह है कि ये तीनों तालुके अवशिष्ट राज्य में मिला दिये जायें। यह हमारा नैतिक तथा विधिक अधिकार है।

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : श्रीमान्, मैं इसका विरोध करता हूं।

[सभापति महोदय ने इस पर सदन का मतदान लिया। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।]

**सभापति महोदय** : संशोधन संख्या १२ हैदराबाद राज्य से सम्बन्धित है। क्या माननीय सदस्य यह बतलायेंगे कि यह विधेयक में कहां तक न्यायसंगत है कि ये भू भाग हैदराबाद राज्य में आते हैं।

**श्री वी० जी० देशपांडे** : जैसा कि विधेयक में कुछ भागों को आन्ध्र राज्य से निकाल कर मैसूर राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो जब आन्ध्र राज्य का निर्माण किया जा रहा है तो कुछ प्रबन्ध.....

**सभापति महोदय** : शान्ति, शान्ति, जब पिछला समादेश दिया गया था तो सम्भवतः माननीय सदस्य सदन में नहीं थे।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा आयोग द्वारा १ अक्तूबर, १९५३ के पहले अनन्तपुर ज़िले के तीनों तालुके तथा बेल्लारी ज़िले के अडोनी, अलूर तथा रायद्रुग तालुकों के क्षेत्र तय किये जायेंगे।

मेरा संशोधन केवल सीमा आयोग के तत्काल नियुक्त कर देने के सम्बन्ध में है जिससे आन्ध्र राज्य के निर्माण के पूर्व ही सीमा के झगड़े समाप्त हो सकें।

**सभापति महोदय** : यह मामला दोनों राज्य ही मिलकर तय करेंगे यदि वे सहमत नहीं होते, तब तो सीमा आयोग की नियुक्ति का प्रश्न आता है। मैं माननीय मंत्री के इस कथन से सहमत

हूं कि आयोग की नियुक्ति १ अक्तूबर से पहले ही हो जानी चाहिए ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** मैं चाहूंगा कि सीमा आयोग की नियुक्ति तत्काल ही कर दी जाय और मामले को निर्णय के लिये मैसूर तथा आंध्र राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाय । कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में झगड़ा चल रहा है अतः तत्काल ही सीमा आयोग की नियुक्ति करने में कोई हानि नहीं और वह प्रश्न आंध्र राज्य के निर्माण हो जाने के पूर्व भी तय हो जायेगा ।

**श्री दातार :** एक अन्य सदस्य ने भी इस सीमा आयोग की नियुक्ति १ अक्तूबर १९५३ से पूर्व कर देने के सम्बन्ध में निदश किया था किन्तु इस पर कोई विचार अभी नहीं किया जा सकता ।

[सभापति द्वारा प्रस्ताव सदन के मत के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ]

**श्री रघवय्या :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र तथा मैसूर राज्यों के बीच तथा आंध्र एवं मैसूर राज्यों के भी बीच सीमा निर्धारित करने के एक माह पूर्व सीमा आयोग की नियुक्ति कर दी जानी चाहिये । इसका आधार भाषा एवं निकटता होगी । गांव इसकी इकाई होगी तथा जहां कहीं आवश्यक समझा जाय वहां इस पर जनमत लिया जाना चाहिये । चूंकि बेल्लारी पर सम्पूर्णरूप से निर्णय देने के सम्बन्ध में अभी कुछ झगड़ा हो सकता है अतः यह प्रश्न दोनों राज्य आपस में मिलकर तय कर लेंगे । न्यायाधीश मिश्र का निर्णय अन्तिम निर्णय है और इसमें यदि कुछ सीमा आयोग के लिये करने को बचेगा तो बहुत छोटे छोटे सुधार करने होंगे ।

**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री ने बताया है कि सीमा आयोग की नियुक्ति विधेयक के पारित हो जाने, सरकार द्वारा कुछ निश्चित कर लेने तथा दोनों राज्य सरकारों के बीच किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में असहमत हो जाने के पश्चात ही की जायेगी जिस से सीमा आयोग की नियुक्ति का प्रश्न समाप्त न किया जा सके । संशोधन ११२ तथा २०० सीमा आयोग की शीघ्र ही नियुक्ति के सम्बन्ध में हैं । यह प्रश्न अभी तक वर्जित नहीं किया गया है ।

**श्री रघवय्या :** मेरे विचार से दो जजों के प्रतिवेदनों से इतना स्पष्ट बोध होता है कि ३ फिरकों तथा बेल्लारी राज्य का एक मात्र हल जनमत लेने में ही है । यह केवल बेल्लारी राज्य, तीन फिरकों तथा बेल्लारी शहर का प्रश्न ही नहीं है किन्तु इस सीमा आयोग को अन्य उद्देश्य की प्राप्ति भी करनी है जैसे सम्पूर्ण कोलार जिला स्वाभाविक रूप से आंध्र राज्य में जाना चाहिये क्योंकि वहां तेलुगु बोलने वालों की अधिकता है ।

**श्री पी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरी):** कोलार के क्षेत्र को कम करने का तात्पर्य है मैसूर के क्षेत्र को कम करना ।

**सभापति महोदय :** अतः तर्क यह है कि मैसूर का कुछ भाग तो लिया जाना चाहिये ।

**श्री रघवय्या :** इस प्रस्ताव का अर्थ है मैसूर के क्षेत्र को घटाना ।

**डा० रामा राव** (काकिनाडा): संशोधन के अनुसार ऐसा नहीं है ।

**सभापति महोदय** : तर्क को रोका नहीं जा सकता किन्तु यह संशोधन वर्जित है ।

**श्री एस० वी० रामस्वामी** : हमने इस प्रश्न को पहले ही तय कर लिया है कि सीमा आयोग के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है अतः इस संशोधन को अब रखा जाता है ।

**सभापति महोदय** : अभी तक किसी भी संशोधन में इतने सारे शब्दों में सीमा आयोग का प्रश्न नहीं उठाया गया है और इसीलिये मैंने इसे प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है ।

**श्री रघवय्या**: मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि सीमा आयोग के लिए सरकार जो निर्देश पद तैयार करे उसमें समस्त विवाद ग्रस्त प्रश्नों को शामिल कर ले, विशेषकर, वे जो बहुत ही गम्भीर प्रकार के हैं । यद्यपि एक अखिल भारतीय सीमा आयोग नियुक्त करने का भी प्रश्न सामने है, फिर भी, मैं चाहता हूं कि एक सीमा आयोग ऐसा नियुक्त किया जाये जो आंध्र और मैसूर तथा आंध्र और मद्रास के बीच की सीमाओं के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे सके । मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर अपना ध्यान दे ।

सारे झगड़े की जड़ बेल्लारी है और वहां पर मुसलमानों का बहुमत है । इस बारे में अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा गया है । मुझे विश्वास है कि यदि बेल्लारी की उर्दू भाषी जनता का जनमत संग्रह किया जाये तो वह अवश्य ही आंध्र के पक्ष में होगा और किसी राज्य के पक्ष में नहीं । इस सम्बन्ध में जो आयोग नियुक्त किया जाय वह मौका, रोपानागुड्डी तथा बेल्लारी जैसे फिरकों के प्रश्न पर भी विचार करे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जो निर्देश के पद तैयार करें उनमें बेल्लारी शहर भी हो क्योंकि इसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है । सभापति द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

**श्री दातार** : मैं संशोधन का विरोध करता हूं । माननीय सदस्य जिस बात को करवाना चाहते हैं वह उनके भाषण से पूरी न हो सकेगी । उनके संशोधन से तो सीमा आयोग के हाथ ही बन्ध जायेंगे क्योंकि उन्होंने जनमत संग्रह करने, आदि की बात कही है । सीमा आयोग को इस बात की छूट होगी कि वह जिन बातों को उचित समझे उन पर विचार करे । अतएव, मेरा निवेदन है कि अपना उद्देश्य प्राप्त करने के हेतु यह कहीं अच्छा होगा कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें क्योंकि इससे क्या लाभ कि वह अस्वीकार कर दिया जाय ।

संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया ।

**श्री नानादास** : सदन में इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार को विवादग्रस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में निश्चय कर लेना चाहिये था । उन्हें कम से कम अवशिष्ट मद्रास राज्य तथा मैसूर राज्य से लगे हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध में तो निश्चय कर ही लेना चाहिए था । यह सत्य है कि चित्तूर ज़िले में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें तामिल अधिकतर बोली जाती है उसी प्रकार चिंगलीपुट, उत्तरी आरकाट तथा सलेम के ज़िलों में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां तेलुगु बोलने वालों का

बहुमत है। इस प्रकार तामिल बोलने वाले क्षेत्रों को अवशिष्ट राज्य में और तेलुगु बोलने वालों को नये आंध्र राज्य में मिलाया जा सकता है। उसी प्रकार बेल्लारी, अलूर, अडोनी तथा राय-दुर्ग के ताल्लुके हैं। मैसूर में कोलार, तुमकुर तथा चित्तलदुर्ग के ज़िले हैं। मेरे विचार में इन स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों को यह निर्णय करने का मौका दिया जाये कि वे किस राज्य में रहना चाहते हैं। यही लोकतन्त्रात्मक तरीका ह। इस सारे मामले को सीमा आयोग को सौंपा जा सकता है जो गांव की इकाई मान कर अपना निर्णय दे सकता है। पहले सरकार ने कहा था कि जो सीमा आयोग नियुक्त किया जायगा वह अवशिष्ट मद्रास राज्य तथा आन्ध्र और आन्ध्र तथा मैसूर राज्य के बीच विवादग्रस्त क्षेत्रों के बारे में अपना निर्णय देगा। परन्तु माननीय गृह-कार्य मंत्री के भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल सीमित कार्य के लिये नियुक्त किया जायेगा। उन्होंने मैसूर राज्य के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार अब सरकार अपने कहे से पीछे हट रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से सब बातों को रखे।

सीमा आयोग के नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में न तो कोई तारीख ना ही निदेश के पद निश्चित किय गए हैं। इससे लोगों में गलत धारणायें उत्पन्न होने लगी हैं। अतएव, मेरा निवेदन है कि स्वयं विधेयक में ही इस बात का प्रावधान कर दिया जाये।

**डा० लंका सुन्दरम्** : मेरे विचार में सीमा आयोग के सम्बन्ध में कुछ गलत फहमी फैली हुई है। एक तो अखिल भारतीय सीमा आयोग नियक्त किया जाना है तथा दूसरा स्थानीय आयोग जो दो विवादग्रस्त राज्यों की समस्याओं पर विचार करेगा। इसी गड़बड़ी को लेकर यह चर्चा अब तक चलती रही है। दो राज्यों के बीच उठ खड़ी होने वाली समस्याओं को हल करने का माननीय गृह-मंत्री ने जो तरीका बतलाया है उस से भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। भारत के इतिहास में पहली बार भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा रहा है। जब हम ने एक बार सिद्धान्त बना दिये हैं तो हम उन पर क्यों नहीं चलते ? प्रक्रिया को उचित रूप से निर्धारित कर दिया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस सदन को भी इस विषय पर चर्चा करने का समय दिया जाये, विशेषकर जब कि अखिल भारतीय सीमा आयोग बनाया जा रहा है। मेरे विचार में यदि एक बार दोनों आयोगों के सम्बन्ध में गलतफहमी दूर कर दी जाये तो आन्ध्र राज्य के बनाए जाने के सम्बन्ध में जितनी गड़बड़ी है वह दूर हो जायेगी।

**श्री केशवैयंगार** : मद्रास तथा मैसूर दोनों ही के विधान-मंडलों ने यह सिफारिश की है कि सीमा आयोग को इस विधेयक के उपबन्धों में स्थान दिया जाये। मेरे विचार में इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने से पहले ही सीमा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिय था। सदन में चर्चा को सुनने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अखिल भारतीय सीमा आयोग तथा अन्य आयोग के सम्बन्ध में कुछ मतभेद किया जा रहा है। कुछ भी हो, मैं माननीय गृहमंत्री से निवेदन करूंगा कि सीमा आयोग को वह जो हिदायतें दें

[श्री कैशवैयंगार]

उस में इस बात को पूर्णतया स्पष्ट कर दें कि मैसूर राज्य की सीमाओं को हाथ नहीं लगाया जायेगा । मैसूर राज्य का कोई भी भाग किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलाया जायेगा ।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

**खण्ड ४—(क्षेत्र का हस्तांतरण)**

**सभापति महोदय :** इस खण्ड के सम्बन्ध में जिन अनेक संशोधनों की सूचना दी गई थी उनमें से अनेक पर बहस हो चुकी है । यदि अन्य सदस्य उसी विषय के सम्बन्ध में संशोधनों की सूचना देंगे तो मैं उन्हें अनियमित घोषित कर दूंगा । संशोधन संख्या १७, ५८ तथा ११४ अनियमित हैं । इसके बाद संशोधन संख्या ४१ है ।

**श्री वेंकटारमन् :** यह खण्ड ३ के कारण बाधित है, क्योंकि उसके सम्बन्ध में मत लिया जा चुका है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** यह खण्ड ३ के कारण बाधित नहीं है । इस संशोधन का प्रयोजन बिल्कुल भिन्न है ।

**श्री वेंकटारमन् :** मैं इस बात को स्पष्ट करे देता हूं । चूंकि संशोधन संख्या ४१ खंड ३ द्वारा वर्जित है इस लिये इस पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** इस संशोधन में बेल्लारी ज़िले के कन्नड़ क्षेत्रों के अतिरिक्त मद्रास के अवशिष्ट राज्य के भी कुछ क्षेत्रों का जिक्र है अतः इस का प्रथम भाग यदि विचारणीय नहीं है तो द्वितीय भाग अवश्य विचारणीय है ।

**श्री बेंकटारमन् :** सभापति महोदय, मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस का निर्णय करें कि क्या यह संशोधन विचारणीय है ।

**सभापति महोदय :** इस विषय पर विचार किया जा चुका है ।

**श्री दातार :** 'मलाकसिर', 'कल्यान दुग' तथा 'हिन्दू पुर' के प्रश्न पर भी विचार नहीं किया जा सकता है क्यों कि 'अनन्त पुर' आन्ध्र राज्य में मिलाया जा चुका है और खण्ड ३ में हम इस का निर्णय कर चुके हैं ।

**सभापति महोदय :** अतः इन प्रश्नों पर भी विचार नहीं किया जा सकता है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** मेरे संशोधन का अन्तिम भाग क्षेत्रों से सम्बन्धित है जो अवशिष्ट मद्रास राज्य में हैं अतः वह स्वीकार्य है ।

**श्री वेंकटारमन् :** उस के लिये पृथक संशोधन होना चाहिये ।

**सभापति महोदय :** जहां तक आन्ध्र राज्य में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों का सम्बन्ध है हम निर्णय कर चुके हैं और जहां तक मैसूर राज्य में मिलाये जाने वाले क्षेत्रों का सम्बन्ध है हम खण्ड ४ में उन पर विचार कर रहे हैं ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** मेरा आशय तो केवल इतना है कि भावी अवशिष्ट मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों को

कायदे से मैसूर राज्य में सम्मिलित करना चाहिये ।

**सभापति महोदय :** मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक का सम्बन्ध केवल ऐसे क्षेत्रों से है जिन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की जा चुकी है तथा जिन के सम्बन्ध में मैसूर तथा मद्रास की विधान सभाओं में वादविवाद हो चुका है तथा उन के विचारों का अन्दाज़ा लगाया जा चुका है । इसलिये यदि कोई संशोधन ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं, जिन के सम्बन्ध में न तो दोनों विधान सभाओं में विचार किया गया है और न उन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने कोई सिफारिश की है तो ऐसे संशोधनों पर सदन द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है ।

**श्री लक्ष्मय्या :** मेरे माननीय मित्र बहुत लालची हैं । सम्भवतः वे 'कल्यानद्रुग' ताल्लुक के मेरे क्षेत्र का एक भाग ले जाना चाहते हैं ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** मुझे खेद है कि मेरी बात का गलत अर्थ समझा गया । जब यह विधेयक मैसूर विधान सभा तथा परिषद के सामने रक्खा गया था तो केवल बेल्लारी के प्रश्न पर विचार किया गया चूंकि उन को यह बताया नहीं गया था कि वे मद्रास राज्य के कन्नड़ क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी विचार कर सकते हैं । मेरा निवेदन है कि मद्रास राज्य में कुछ कन्नड़ क्षेत्र हैं जो मैसूर में मिलाये जा सकते हैं ।

**सभापति महोदय :** मैं संशोधन का असली तात्पर्य समझ गया । परन्तु यहां तो हम केवल आन्ध्र राज्य के निर्माण से सम्बन्ध रखते हैं । जहां तक कन्नड़ राज्य के निर्माण का सम्बन्ध है तो उस पर विचार केवल उसी समय किया जा सकता है जब अखिल भारतीय सीमा आयोग इस प्रश्न पर विचार कर चुके तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दे । अतः मुझे खेद है कि मुझे यह निर्णय करना पड़ रहा है कि यह संशोधन नियमों विरुद्ध है । अब हम संशोधन संख्या १७६ लेंगे । श्री बासप्पा तथा श्री नेसवी अनुपस्थित हैं । संशोधन संख्याएं ४, १८ तथा १९ प्रस्तावित नहीं की गई । इस के पश्चात् संशोधन संख्या ५ है ।

**श्री वेंकटारमन :** इस का आशय वही है जो संशोधन संख्या ४१ में है ।

**सभापति महोदय :** इस को प्रस्तावित नहीं किया गया है । इस के पश्चात् संशोधन संख्या ५९ है मेरा विचार है कि इस पर विचार हो चुका है ।

**श्री दातार :** हां ।

**सभापति महोदय :** इसे प्रस्तावित नहीं किया गया है । संशोधन संख्याएं ६०, २०, १७८, ४२ तथा ४३, प्रस्तावित नहीं किए गए हैं । संशोधन संख्या १७७ पर विचार हो चुका है । संशोधन संख्याएं ११५, ११६, ६१ तथा ११७ नियम के विरुद्ध हैं। संशोधन संख्या १४८ अनेक बार रक्खा गया है और अस्वीकृत हो चुका है। अब मैं खंड पर सदन का मत लूंगा ।

**श्री राघवाचारी :** मैं ने एक संशोधन की सूचना दी है कि एक नया खंड ४ (क) बढ़ाया जाये ।

**सभापति महोदय :** पहले हम खंड ४ को समाप्त कर लें ।

**श्री एन० पी० दामोदरन :** मैं ने पन्द्रह मिनट पूर्व एक नये संशोधन की सूचना दी है । कल उपाध्यक्ष ने बचन दिया था कि वे जिन को बोलने का अवसर नहीं मिला उन्हें बोलने का अवसर देंगे ।

**सभापति महोदय :** जब माननीय मंत्री को सूचना न दी जाए तो मैं उस संशोधन को रखने की आज्ञा देने में असमर्थ हूं। यदि उपाध्यक्ष ने कोई वचन दिया था तो मैं उसे पूरा करने को तैयार हूं । जब कोई खंड वार्ता के लिए ली जावे तो मैं इसका ध्यान रक्खूगा कि जिनको बोलने का अवसर नहीं मिला है उन्हें बोलने का अवसर दिया जावे । परन्तु इस समय तो बोलना इतना आवश्यक नहीं है जितना इस विधेयक को पारित करना है । प्रश्न यह है कि :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बनाया जावे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
खंड ४ विधेयक का अंग बना दिया गया ।

**श्री राघवाचारी :** मैं एक नये खंड ४ (क) के सम्बन्ध में अपना संशोधन संख्या १४८ रखना चाहता हूं ।

**श्री वेंकटारमन्:** नियम १००(२) के अनुसार जो कुछ निर्णय किया जा चुका है उस के कारण यह संशोधन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

**श्री राघवाचारी :** खण्ड ३ तथा ४ में आन्ध्र राज्य के निर्माण तथा मैसूर राज्य के क्षेत्र विस्तार की ओर निर्देश है । मेरा संशोधन यह है कि इन दोनों राज्यों की सीमाओं का एक सीमा योग द्वारा अन्तिम निर्णय कर दिया जावे ।

**सभापति महोदय :** इसी आशय के अनेक संशोधन रखे गए और वे सभी अस्वीकार हो गये। मुझे खेद है कि मुझे इसे भी अनियमित घोषित करना पड़ता है । माननीय सदस्य चाहते हैं कि अन्तिम निर्णय हो जावे । और साथ ही साथ शीघ्र ही सीमा आयोग बना दिया जावे । माननीय मंत्री कह चुके हैं कि एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाने वाला है परन्तु सीमा आयोग की आवश्यकता तब ही पड़ेगी जब दो सरकारें सर्वसम्मति से किसी बात पर निर्णय न कर पावें । जहां तक सीमा आयोग नियुक्त करने का प्रश्न है माननीय मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि मद्रास, आन्ध्र तथा मैसूर राज्यों के झगड़ों को निपटाने के लिए एक अखिल भारतीय सीमा आयोग होगा तथा छोटे छोटे सीमा आयोग भी होंगे । मेरी समझ में नहीं आता कि तब इस संशोधन को स्वीकार करने से और कौन लाभ होगा। मैं देखता हूं कि इस विषय पर वार्ता हो चुकी है तथा मुझे बड़े दुख के साथ निर्णय करना पड़ रहा है कि यह संशोधन अनियमित है ।

खंड ५ से १८ तक विधेयक के अंग बना लिए गए ;

**खण्ड १९—(मद्रास विधान परिषद्)**

**श्री नम्बियार :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खण्ड १९ के स्थान पर मेरा संशोधित खण्ड १९ (संशोधन संख्या २०१) रक्खा जाय जिसके अनुसार आन्ध्र राज्य का निर्माण होते ही मद्रास राज्य में कोई विधान परिषद न रहेगी ।

**श्री वेंकटारमन्** : मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं। विधान के अनुच्छेद १६९ के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य ही विधान परिषद का निर्माण या अंत कर सकते हैं। इस सदन को यह कहने का अधिकार नहीं है कि विधान परिषद रहे या न रहे।

**श्री नम्बियार** : जब तक आंध्र राज्य का निर्माण न हो जावे मद्रास राज्य का अस्तित्व ही नहीं है।

**सभापति महोदय** : तो आंध्र राज्य का निर्माण कहां से होगा।

**श्री नम्बियार** : आंध्र का नया राज्य मद्रास राज्य में से बनाया जायगा।

**सभापति महोदय** : इस लिये मद्रास राज्य का अस्तित्व है।

**श्री नम्बियार** : पहली अक्तूबर १९५३ को मद्रास का अस्तित्व पुराने रूप में नहीं वरन नये रूप में होगा। चूंकि हम सारे राज्य पर विचार कर रहे हैं इस लिये हम द्वितीय सदन हो या न हो इस पर भी विचार कर सकते हैं।

**सभापति महोदय** : विधान का अनुच्छेद १६९ इस विषय पर विचार करने से हमें रोकता है। मुझे इस संशोधन को दुख के साथ अनियमित घोषित करना पड़ता है।

**श्री दातार** : मैं सरकार की ओर से एक संशोधन रखता हूं। इस खण्ड के मूल रूप में 'पस्तुक' में २२ अप्रैल, १९५४ अंकित है। अब हमें पता चला कि २२ के स्थान पर २१ होना चाहिये। यह एक बहुत साधारण संशोधन है और आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

संशोधन किये गए:

पृष्ठ ६ पंक्ति ३५ पर

"अप्रैल के २२वें दिन" के स्थान पर "अप्रैल का २१वां दिन" रखा जावे।

पृष्ठ ७ की पंक्ति ३ पर

"अप्रैल के २१वें दिन" के स्थान पर "अप्रैल का २०वां दिन" रखा जाये।

पृष्ठ ७ की पंक्ति ६ तथा ७ पर

"अप्रैल के २२वें दिन" के स्थान पर "अप्रैल का २१वां दिन" रखा जाये।

पृष्ठ ७ की पंक्ति ११ पर

"अप्रैल के २२वें दिन" क स्थान पर "अप्रैल का २१वां दिन" रखा जाये।

—[श्री दातार]

**सभापति महोदय** :- प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १९ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनाया जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड १९ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनाया गया**

**खंड २०—(मद्रास परिषद निर्वाचन क्षेत्र)**

संशोधन किये गये :

पृष्ठ ७ पंक्ति २० पर

"अप्रैल के २२वें दिन" क स्थान पर "अप्रैल का २१वां दिन" स्थानन्तरित किया जावे।

—[श्री दातार]

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया जावे"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनाया गया

खंड २१ से २७ तक विधेयक के अंग बनाये गये

**सभापति महोदय :** अब सदन २२ तारीख को ८-१५ म० पू० तक के लिये स्थगित होता है।

**[इस के पश्चात सदन की बैठक शनिवार, २२ अगस्त १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।]**